सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
भारत में अध्ययन हेतु अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना
पर
निष्पादन लेखापरीक्षा
कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में

संघ सरकार (सिविल)
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
2018 की प्रतिवेदन सं. 12
(निष्पादन लेखापरीक्षा)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
भारत में अध्ययन हेतु अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना
पर
निष्पादन लेखापरीक्षा
कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में

संघ सरकार (सिविल)
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
2018 की प्रतिवेदन सं. 12
(निष्पादन लेखापरीक्षा)

विषय सूची

विवरण	पृष्ठ सं.
प्राक्कथन	iii
कार्यकारी सारांश	v
भाग एक - प्रस्तावना	
प्रस्तावना	1
भाग दो - योजना का कार्यान्वयन	
पांच चयनित राज्यों में लाभार्थी	9
योजना दिशानिर्देशों में अंतर	11
वित्तीय प्रबंधन	21
योजना दिशानिर्देशों और आदेशों का अनुपालन न किया जाना	30
आवेदन पत्रों की अपर्याप्त संवीक्षा तथा प्रसंस्करण	44
आईटी प्रणाली स्तर पर नियंत्रणों की कमी	54
अप्रभावी मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन	61
भाग तीन - निष्कर्ष तथा अनुशंसाएं	
निष्कर्ष तथा अनुशंसाएं	67
अनुबंध	71
संकेताक्षरों की सूची	114

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन, मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में पांच राज्यों कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 'दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना' के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं। इस रिपोर्ट में उल्लिखित लेखापरीक्षा निष्कर्ष वे हैं जो अप्रैल 2012 से मार्च 2017 की अवधि में नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा की गई है।

कार्यकारी सारांश

मुख्य तथ्य

योजना उद्देश्य	दशमोत्तर या माध्यमिकोत्तर स्तर पर अध्ययनरत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा पूर्ण करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।	
जारी की गई केन्द्रीय सहायता (2012-17)	सभी राज्य/यूटी	₹ 10,784 करोड़
	पांच चयनित राज्यों को	₹ 6,439 करोड़
2012-17 के दौरान व्यय	पांच चयनित राज्यों में (केन्द्र +राज्य भाग)	₹ 18,647 करोड़
लक्षित लाभार्थी	अनुसूचित जाति समुदाय से विद्यार्थी जिनके माता-पिता/अभिभावक की आय सभी स्रोतों से ₹2.5 लाख वार्षिक से अधिक न हो (2013-14 से प्रभावी)। पहले यह सीमा ₹2 लाख वार्षिक थी।	
चयनित राज्यों में 2012-17 में आच्छादित लाभार्थियों की सं.	भारत (सभी राज्य/यूटी)	268.69 लाख
	कर्नाटक	14.98 लाख
	महाराष्ट्र	22.80 लाख
	पंजाब	12.40 लाख
	तमिलनाडु	36.29 लाख
	उत्तर प्रदेश	49.49 लाख
	कुल (5 राज्य)	**135.96 लाख**
लेखापरीक्षा निष्कर्ष:	छात्रवृत्ति निधि का विपथन	₹ 28.94 करोड़
	छात्रवृत्ति के भुगतान में विलम्ब	18.58 लाख विद्यार्थी
	छात्रवृत्ति की अप्रयुक्त/अवितरित निधि	₹ 375.30 करोड़
	छात्रवृत्ति से इनकार/कम प्रतिपूर्ति	₹ 125.82 करोड़
	छात्रवृत्ति का अधिक भुगतान	1.88 लाख विद्यार्थियों को ₹ 49.67 करोड़
	अपात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान	374 विद्यार्थियों को ₹ 1.95 करोड़
	वेब पोर्टलों के माध्यम से सृजित डाटा में भिन्नता और विसंगतियां	₹ 455.98 करोड़ की वित्तीय विवक्षा

दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना को एससी समुदाय के विद्यार्थियों के शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए 1944 में शुरू किया गया था। तब से यह योजना निरंतर परिचालन में हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुरोध पर, कर्नाटक, महाराष्ट्र पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश पांच राज्यों में 2012-13 से 2016-17 तक पांच वर्षों की अवधि को कवर करते हुए योजना के कार्यान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा की गई। एससी समुदाय के 1.36 करोड़ छात्रों को लाभ देने के लिए 2012-17 की अवधि के दौरान पांच राज्यों में योजना में किया गया कुल व्यय ₹18,647 करोड़ था।

योजना के कार्यान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा ने स्वंय योजना दिशानिर्देशों में व्यवस्थित अंतराल के साथ-साथ योजना की कमी, खराब वित्तीय प्रबंधन और ₹581.68 करोड़ के वित्तीय विवक्षा के साथ छात्रवृत्ति निधियों के संवितरण में अनियमितताओं के साथ ₹455.98 करोड़ की अतिरिक्त वित्तीय भागीदारी के साथ वेब पोर्टलों के माध्यम से सृजित डाटा में भिन्नता और विसंगतियां उजागर की जो कि योजना दिशानिर्देशों और उसके कार्यान्वयन की संपूर्ण समीक्षा हेतु आवश्यकता की ओर इंगित करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अन्य उद्देश्यों के लिए योजना निधियों का गलत उपयोग या विपथन नहीं किया जा सके।

विभिन्न प्रक्रियाओं हेतु तंत्र को स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण योजना दिशानिर्देशों को कई पहलुओं में त्रुटिपूर्ण पाया गया था। न तो मंत्रालय को केन्द्रीय सहायता हेतु प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण से पूर्व पात्र लाभार्थियों की पहचान हेतु कार्य योजना/परिप्रेक्ष्य योजना की तैयारी के किसी योजना कार्य हेतु कोई तंत्र निर्धारित किया गया था और न ही दिशानिर्देशों ने छात्रों द्वारा आवेदन के प्रस्तुतीकरण और उनकी संवीक्षा और अनुमोदन हेतु कोई समय सीमा निर्धारित की थी। परिणामस्वरूप, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के चार राज्यों में एक से लेकर छ: वर्षों के बीच 18.58 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति के भुगतान में विलंब थे। दिशानिर्देशों में मॉनीटरिंग और मूल्यांकन हेतु कोई प्रावधान नहीं है जोकि योजना की प्रगति का वास्तविक मूल्यांकन करने एवं इसके कुशल कार्यान्वयन में रूकावटों को पहचानने के लिए निर्णय लेने वालों के लिए आवश्यक हो।

केन्द्र सरकार द्वारा निधियों के अपर्याप्त आबंटन तथा राज्यों द्वारा खराब वित्तीय प्रबंधन द्वारा योजना के कार्यान्वयन में बाध्यताएं थीं। भारत सरकार राज्यों से निधियों की बढ़ती हुई मांग को पूरा नहीं कर पाई जिसके कारणवश पांच चयनित राज्यों में ₹5,368 करोड़ की राशि के बकाया का संचय हुआ था। यहां तक की बैंक विवरणों के मेल न खाने के कारण ₹375.30 करोड़ असंवितरित पड़े रहने के साथ महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के तीन राज्यों में उपलब्ध निधियों को पूर्ण रूप से प्रयुक्त नहीं किया गया। जिसके कारण पात्र छात्रों को छात्रवृत्तियों से वंचित रखा गया था। इसके अतिरिक्त, 2012-17 के दौरान ई-छात्रवृत्ति पोर्टल के अनुरक्षण और लेखन सामग्री, कम्प्यूटर, आदि के क्रय के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र में ₹28.94 करोड़ की छात्रवृत्ति निधियों को विपथित किया गया था।

राज्य भी लाभार्थियों की पात्रता और आवेदनों को आगे बढ़ाने और छात्रवृत्ति निधियों के संवितरण हेतु प्रक्रियाओं से संबंधित योजना दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करने में विफल हुए थे। लेखापरीक्षा ने कर्नाटक, तमिलनाडु और पंजाब के तीन राज्यों में ₹125.82 करोड़ की राशि की कम प्रतिपूर्ति/छात्रवृत्ति से इनकार पाया था। दरों के गलत उपयोग के कारण 2012-17 के दौरान पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 1.88 लाख छात्रों को ₹49.67 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ था। 2012-17 के दौरान, उत्तर प्रदेश में 374 अपात्र छात्रों को ₹1.95 करोड़ की छात्रवृत्ति की प्रतिपूर्ति हुई थी।

शैक्षणिक सत्र 2013-14 से महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश द्वारा आय सीमा के संशोधन से संबंधित योजना दिशानिर्देश का पालन न करने के कारण राज्यों में पात्र छात्रों को लाभ से इनकार किया गया था। पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के राज्य छात्रवृत्ति के कुछ घटक अर्थात् थीसिस भत्ता, पुस्तक भत्ता, विक्लांग भत्ता, अध्ययन दौरा प्रभारों को भी कवर नहीं कर रहे थे।

मंत्रालय तकनीकी मामलों के कारण राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से पीएमएस-एससी को कार्यान्वित करने में सक्षम नहीं था और राज्य पोर्टलों के माध्यम से उसे कार्यान्वित किए जाने का निर्णय लिया गया था। हालांकि, राज्य पोर्टलों में सुरक्षा पहुँच सुनिश्चित करने और यह आश्वासन देने कि लेन-देन, वैध,

प्राधिकृत, संपूर्ण और सही हों ऐसा करने के लिए सामान्य तथा उपयोग नियंत्रण

दोनों में कमी थी। पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में, लेखापरीक्षा ने ₹455.98 करोड़ के वित्तीय विवक्षा के साथ राज्य पोर्टलों द्वारा सृजित डाटा में विसंगतियां पायी जोकि अनियमित भुगतान तथा अपकरण के जोखिम से बचने के लिए मंत्रालय के साथ-साथ राज्यों द्वारा समेकित जांच को आवश्यक करता है।

आंतरिक लेखापरीक्षा, आवधिक निरीक्षणों तथा शिकायत निवारण अधिकारियों की नियुक्ति सहित मॉनीटरिंग और शिकायत निवारण हेतु संस्थागत तंत्र या तो विद्यमान नहीं थे या व्यावहारिक रूप से कार्यात्मक नहीं थे। मंत्रालय ने अपने प्रभाविकता को बढ़ावा देने और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक परिवर्तनों की पहचान करने के लिए योजना के कार्यान्वयन का व्यापक मूल्यांकन नहीं किया था।

भाग एक
प्रस्तावना

प्रस्तावना

अनुसूचित जाति छात्रों हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना (पीएमएस-एससी) अनुसूचित जाति छात्रों के शैक्षणिक सशक्तिकरण हेतु भारत सरकार द्वारा सबसे बड़ी एकल मध्यस्थता है। इसका उद्देश्य दशमोत्तर अथवा माध्यमिकोत्तर स्तर पर पढ़ रहे अनुसूचित जाति छात्रों को उनकी शिक्षा पूर्ण करने में समर्थ बनाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। योजना को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (मंत्रालय) द्वारा संचालित किया जाता है तथा छात्रवृत्ति उस राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है जहां का आवेदक है।

योजना की मुख्य विशेषताओं का नीचे सारांश प्रस्तुत किया गया है:

पात्रता	केवल वह छात्र जो अनुसूचित जाति से संबंधित है। वह छात्र जिनके माता-पिता/अभिभावको की सभी स्रोतों से आय ₹2.5 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं है।
अध्ययन हेतु	भारत में मान्यता प्राप्त संस्थानों में किए गए सभी मान्यता प्राप्त दशमोत्तर अथवा माध्यमिकोत्तर पाठ्यक्रम[1] ।
छात्रवृत्ति संघटक	• अनुरक्षण भत्ता (पाठ्यक्रम समूहों के बीच अलग) • अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क • अध्ययन यात्रा प्रभार • थीसिस टकंण/मुद्रण प्रभार (अनुसंधान छात्रों हेतु) • पुस्तक भत्ता (पत्राचार पाठ्यक्रम प्राप्त कर रहे छात्रों हेतु) • विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रमों हेतु पुस्तक बैंक सुविधा • दिव्यांग छात्रों हेतु अतिरिक्त भत्ता
पाठयक्रमों के चार वर्ग	**वर्ग-I** में डिग्री/स्नातकोत्तर डिग्री स्तरीय व्यासायिक पाठ्यक्रम जैसे कि इंजीनियरिंग, सभी चिकित्सा, व्यवसाय, वित्त तथा कम्प्यूटर विज्ञान तथा उच्चतर पाठ्यक्रम जैसे कि पीएचडी; एमफिल, सीए, आईसीडब्ल्यूए, सीएस, पीजीडीएम तथा वाणिज्यिक पायंलट लाईसेंसिंग शामिल है। **वर्ग II** में स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तथा अन्य समकक्ष व्यावसायिक पाठ्यक्रम जिन्हें वर्ग । में शामिल नहीं किया गया जैसे कि नर्सिंग, फार्मेसी तथा होटल प्रबंधन। **वर्ग III** में स्नातक डिग्री वाले सभी अन्य पाठ्यक्रम शामिल है जिन्हें वर्ग । एवं ।। के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया। **वर्ग IV** में सभी माध्यमिकोत्तर स्तरीय गैर-डिग्री स्तरीय पाठ्यक्रम शामिल है।

[1] प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जैसे वायुयान अनुरक्षण इंजीनियर पाठ्यक्रम तथा निजी पॉयलेट लाईसेंस पाठ्क्रम, प्रशिक्षण पर पाठ्यक्रम-शिप डफ्फरिन (अब राजेन्द्र), सैन्य कालेज देहरादून में प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम, अखिल भारतीय तथा राज्य स्तर के पूर्व-परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों में पाठ्यक्रमों को छोड़कर।

छात्रों की संख्या जिन्हें सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में 2012-13 से 2016-17 की अवधि हेतु इस योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया गया था, को चार्ट-। में दिया गया है:

चार्ट-1: 2012-17 के दौरान लाभार्थियों की प्रवृत्ति (सभी राज्य/यूटी)

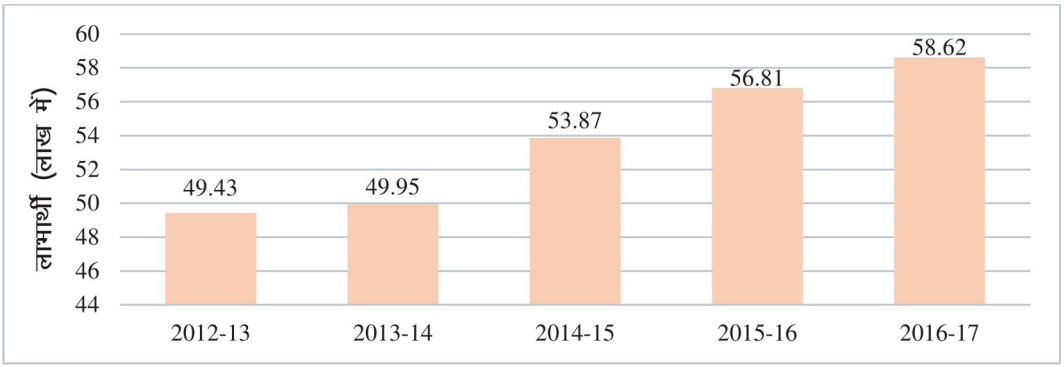

स्रोत: मंत्रालय के अभिलेख

नोट: 2016-17 के डाटा में बिहार, झारखण्ड, दिल्ली तथा पुदुचेरी के लाभार्थी, उपलब्ध न होने से शामिल नहीं है।

लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि 2013-14 की तुलना में वर्ष 2014-15 में अधिकतम (8 प्रतिशत) है जो 2013-14 से आय सीमा में ₹2 लाख से ₹2.5 लाख तक वृद्धि के कारण हो सकती है। मंत्रालय ने लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि को आय सीमा में वृद्धि के अतिरिक्त योजना की जागरूकता में वृद्धि को भी कारण माना।

1.1 लेखापरीक्षा करने हेतु पृष्ठभूमि

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने जुलाई 2017 में भारत के नियत्रंक एवं महालेखापरीक्षक को पांच राज्यों कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश में योजना की लेखापरीक्षा करने का अनुरोध किया क्योंकि वर्षों से राज्यों से मांग बजटीय आबंटन के सापेक्ष अनुपातहीन बढ़ती रही थी। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने यह भी सूचित किया कि उत्तर प्रदेश में योजना के कार्यान्वयन पर पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (भारत के नियत्रंक एवं महालेखापरीक्षक के 2016 का प्रतिवेदन सं.1) ने योजना के कार्यान्वयन में कुछ अनियमितताओं को उजागर किया था।

हमने यह भी पाया कि 60 प्रतिशत[2] केन्द्रीय सहायता 2012-17 के दौरान इन पांच राज्यों के लाभार्थियों को संवितरण के लिए जारी की गई थी जो सभी राज्यों/यूटी में कुल लाभार्थियों का 51 प्रतिशत है।

1.2 संगठनात्मक ढांचा

केन्द्रीय स्तर पर, योजना को सचिव जिसे संयुक्त सचिव तथा अन्य अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, के अधीन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है।

राज्य स्तर पर, अन्य अधिकारियों की सहायता से अवर सचिव/प्रधान सचिव/सचिव समाज कल्याण प्रभारी (तमिलनाडु में आदि द्रविदर एवं जनजातीय कल्याण) योजना के कार्यान्वयन पर पूरा नियंत्रण रखते हैं। मंत्रालय में तथा पाँच चयनित राज्यों में राज्य स्तर पर सगंठनात्मक ढ़ांचा **अनुबंध-1** में दर्शाया गया है। संबंधित प्राधिकारियों द्वारा चयनित पाँच राज्यों में कार्यान्वयन की प्रक्रिया **अनुबंध-2** में दी गई है।

1.3 वित्तपोषण स्वरूप

योजना हेतु वित्तपोषण संघ तथा राज्य सरकारों दोनों के द्वारा किया जाता है। राज्य/यूटी द्वारा किसी भी योजना अवधि (पहले पंचवर्षीय योजना अवधि) के अंतिम वर्ष के दौरान योजना पर किए गए व्यय को उस राज्य की 'प्रतिबद्ध देयता' के रूप में परिभाषित किया गया है तथा उसके द्वारा इसे अगली योजना अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष हेतु अपने स्वयं के बजटीय प्रावधानों से पूरा किया जाना अपेक्षित है। 'प्रतिबद्ध देयता' से अधिक किसी भी निधि आवश्यकता को संघ सरकार द्वारा केन्द्रीय निर्गमों[3] के माध्यम से पूरा किया जाएगा। 2012-17 की अवधि हेतु बजट अनुमानों, संशोधित अनुमानों तथा सभी राज्यों को जारी निधियों (केन्द्रीय सहायता) के वर्ष-वार ब्यौरे **तालिका-1** में दिए गए है।

---

[2] संदर्भ: पैराग्राफ सं. 1.3

[3] उत्तरपूर्वी राज्यों को बारहवीं योजना अवधि (1997-2002) के बाद से प्रतिबद्ध देयता के प्रति अपने स्वंय के बजटीय प्रावधान करने से छूट प्रदान की गई है तथा इनके संबंध में योजना के अंतर्गत पूर्ण व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

तालिका-1: बजटीय प्रावधानों की तुलना में राज्यों को जारी निधियों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	राज्यों* को जारी निधियां	पांच चयनित राज्यों को जारी निधियां	कॉलम (4) के प्रति कॉलम (5) की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2012-13	1,500.00	1,500.00	1654.65	1130.42	68%
2013-14	1,500.00	1,908.87	2153.49	1235.02	57%
2014-15	1,500.00	1,904.78	1963.37	1303.73	66%
2015-16	1,599.00	2,216.05	2213.88	1337.25	60%
2016-17	2,791.00	2,820.70	2798.76	1433.01	51%
कुल	**8,890.00**	**10,350.40**	**10784.15**	**6439.43**	**60%**

* आरई आबंटन से अधिक निर्गम अन्य योजनाओं की बचतों से किया गया था।

2012-13 से 2015-16 के दौरान पांच चयनित राज्यों में छात्रों का वर्ग-वार विभाजन तथा संवितरित छात्रवृत्ति को **तालिका-2** में दर्शाया गया है:

तालिका-2: चयनित राज्यों में छात्रवृत्ति तथा छात्रों का वर्ग-वार वितरण

वर्ग ↓/ वर्ष→	छात्रों की संख्या				संवितरित छात्रवृत्ति की राशि (₹ करोड़ में)			
	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
वर्ग I पाठ्यक्रम	2.37,693 (9.6%)	2,77,364 (10.5%)	3,31,145 (11.9%)	3,38,161 (13.3%)	1,140.15 (35.4%)	1,534.01 (40.4%)	1,832.72 (45.9%)	2,611.26 (50.4%)
वर्ग II पाठ्यक्रम	3,13,473 (12.7%)	2,60,155 (9.8%)	2,76,575 (10.0%)	2,45,809 (9.7%)	723.94 (22.5%)	648.54 (17.1%)	654.01 (16.4%)	802.08 (15.5%)
वर्ग III पाठ्यक्रम	8,88,821 (35.9 %)	8,99,157 (34.0%)	9,31,140 (33.6%)	8,75,624 (34.5%)	716.59 (22.3%)	811.96 (21.4%)	778.72 (19.5%)	830.29 (16.0%)
वर्ग IV तथा अन्य पाठ्यक्रम *	10,35,750 (41.8%)	12,08,305 (45.7%)	12,33,021 (44.5%)	10,81,396 (42.5%)	637.88 (19.8%)	803.01 (18.2%)	728.34 (21.1%)	935.59 (18.1%)
कुल योग	**24,75,737 (100%)**	**26,44,981 (100%)**	**27,71,881 (100%)**	**25,40,990 (100%)**	**3,218.56 (100%)**	**3,797.53 (100%)**	**3,993.79 (100%)**	**5,179.22 (100%)**

(स्रोतः राज्यों द्वारा मंत्रालय को प्रस्तुत मांग प्रस्ताव)

** इसमें दूरस्थ शिक्षा, अन्य राज्यों में शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों के मामले शामिल है जबकि ऐसे मामलों का कोई वर्ग-वार विभाजन उपलब्ध नहीं है।*

नोटः कोष्ठक में आकड़े सभी वर्गों के योग के संबंध में उस वर्ग की प्रतिशतता को प्रदर्शित करते है।

2016-17 के संबंध में वर्ग-वार डाटा उपलब्ध नहीं था।

2012-16 के दौरान छात्रों की प्रतिशतता तथा छात्रों को संवितरित छात्रवृत्ति की प्रतिशतता का चित्रात्मक प्रस्तुतीकरण **चार्ट-2** में है:

चार्ट-2: 2012-16 के दौरान छात्रों तथा संवितरित छात्रवृत्ति की प्रतिशतता

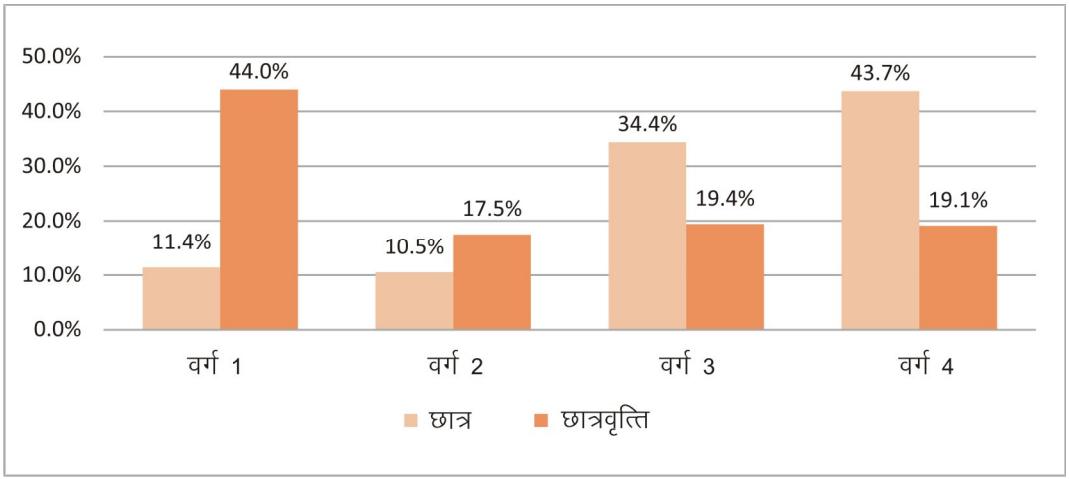

यद्यपि वर्ग-I पाठ्यक्रम (व्यावसायिक) में छात्रवृत्ति निधि का लगभग 44 प्रतिशत उपयोग हुआ जबकि इस वर्ग में छात्रों की प्रतिशतता लगभग 11 प्रतिशत थी। अधिकांश छात्र जिन्होने योजना का लाभ उठाया वर्ग-IV अर्थात् गैर-डिग्री स्तरीय पाठ्यक्रमों से संबंधित थे। 2012-13 से 2015-16 की अवधि के दौरान यद्यपि वर्ग-I पाठ्यक्रम कर रहे लाभार्थियों की संख्या 2.38 लाख (कुल का 9.6 प्रतिशत) से 3.38 लाख (कुल का 13.3 प्रतिशत) तक सीमान्त रूप से बढ़ी फिर भी इन छात्रों को संवितरित छात्रवृत्ति की राशि ₹1,140 करोड़ (35 प्रतिशत) से ₹2,611 करोड़ (50 प्रतिशत) तक तेजी से बढ़ी।

1.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

पीएमएस-एससी की निष्पादन लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने के उद्देश्य से की गई थी कि क्या:

ए) योजना की प्रक्रिया संतुलित तथा व्यापक थी;

बी) निधियों के निर्गम तथा उपयोग सहित वित्तीय प्रबंधन प्रभावी तथा कथित उद्देश्यों के साथ संयोजित था;

सी) योजना का कार्यान्वयन प्रभावी था तथा पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति के समय पर प्रसंस्करण, संस्वीकृति तथा संवितरण को सुनिश्चित किया गया था; तथा

डी) विभिन्न स्तरों पर आंतरिक नियंत्रण तथा मॉनीटरिंग प्रणाली पर्याप्त थीं।

1.5 लेखापरीक्षा मापदण्ड

लेखापरीक्षा मापदण्ड को निम्नलिखित से प्राप्त किया गया थाः

ए) मंत्रालय द्वारा जारी दिसंबर 2010 के योजना दिशानिर्देश;

बी) उपयुक्त कार्यान्वयन तथा पीएमएस-एससी छात्रवृत्ति निधियों के उपयोग हेतु मंत्रालय के अनुदेश/दिशानिर्देश; तथा

सी) योजना के कार्यान्वयन पर विभागीय अनुदेश तथा नियमपुस्तिका, यदि कोई है।

1.6 लेखापरीक्षा क्षेत्र तथा पद्धति

निष्पादन लेखापरीक्षा में 2012-13 से 2016-17 तक पांच वर्षों की अवधि शामिल की गई। लेखापरीक्षा में मंत्रालय तथा पांच चयनित राज्यों में कार्यान्वयन अभिकरणों अर्थात् राज्य स्तर तथा जिला स्तर में अभिलेखों तथा अन्य दस्तावेजों की संवीक्षा तथा चयनित संस्थानों तथा चयनित लाभार्थियों के सर्वेक्षण शामिल है।

पांच चयनित राज्यों में नमूना चयन हेतु निम्नलिखित सांख्यिकीय ढांचे को अपनाया गया था:

- **टियर-I नमूना :** पीपीएसडब्ल्यूओआर (प्रतिस्थापन बिना आकार का संभावित अनुपात) पद्धति का उपयोग करके राज्य में जिलों की कुल संख्या के 25 प्रतिशत अधिकतम दस जिलों तथा न्यूनतम तीन जिलों का चयन किया गया था। पीपीएसडब्ल्यूओआर हेतु आकार पांच वर्षों 2012-13 से 2016-17 हेतु जिलों में किए गए व्यय की राशि को एक साथ मिलाकर था।
- **टियर-II नमूना:** पीपीएसडब्ल्यूओआर का उपयोग करके प्रत्येक चयनित जिले में, ऐसी छात्रवृत्ति का दावा करने वाले 10 संस्थानों/कालेजों/विद्यालयों का चयन किया गया था। पीपीएसडब्ल्यूओआर हेतु आकार शैक्षणिक वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 में संस्थान में उपलब्ध सीटों की कुल संख्या के सापेक्ष छात्रवृत्ति का लाभ उठा रहे एससी छात्रों की प्रतिशतता थी।
- **टियर-III नमूना:** प्रत्येक 10 चयनित संस्थानों में, 20 आवेदनों का चयन किया गया था।

i. इन 20 आवेदनो में (i) चार आवेदन जहां अधिकतम राशि अदा/क्षतिपूर्ति की गई है तथा (ii) 16 आवेदन, दोनो 'नए' तथा 'नवीकरण' मामलों से बराबर प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करते हुए एसआरएसडब्ल्यूओआर (बिना प्रतिस्थापन सरल यादृच्छिक नमूना) का उपयोग करके शामिल है।

ii. चयनित 20 आवेदनों में से 10 लाभार्थियों का सर्वेक्षण (केवल संस्थान में) किया गया था।

iii. इसके अतिरिक्त, प्रत्येक चयनित जिले हेतु दूरस्थ शिक्षा हेतु शामिल छात्रों से संबंधित 20 आवेदनों का भी एसआरएसडब्ल्यूओआर (बिना प्रतिस्थापन सरल यादृच्छिक नमूना) पद्धति का उपयोग करके विस्तृत संवीक्षा हेतु चयन किया गया था। तदनुसार, निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु नमूने को **तालिका-3** में दर्शाया गया है।

तालिका-3: नमूना चयन के विवरण

राज्य का नाम	जिलों की कुल संख्या	चयनित जिलों की संख्या	जिलों में चयनित संस्थानों की संख्या	चयनित संस्थानों की संख्या	चयनित संस्थानों में लाभार्थियों की कुल संख्या	विस्तृत जांच हेतु चयनित आवेदन की संख्या	जांच किए गए आवेदनों में से सर्वेक्षण किए गए लाभार्थियों की संख्या (संस्थान में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
कर्नाटक	30	8#	1,985	80	57,440	1,600	825
महाराष्ट्र	36	9	1,892	90	23,933*	1,800	924
पंजाब	22	6	1,345	60	1,20,363	1,200	593
तमिलनाडु	32	8	2,552	80	64,693**	1,600	800
उत्तर प्रदेश	75	10	5,126	100	71,271**	2,000	973
कुल	**195**	**41**	**12,900**	**410**	**3,37,700**	**8,200**	**4,115**

कर्नाटक में योजना को तालुका स्तर पर तालुका कल्याण अधिकारियों द्वारा कार्यान्वित किया गया है। इसलिए आठ जिलों में स्थित 16 तालुका कल्याण कार्यालयों का कर्नाटक में चयन किया गया था।

* केवल 2016-17 हेतु लाभार्थियों की संख्या

** केवल 2015-17 हेतु लाभार्थियों की संख्या

चयनित जिलों तथा सस्थांनों के नाम **अनुबंध-3** में दिए गए है।

निष्पादन लेखापरीक्षा को 3 अक्टूबर 2017 को मंत्रालय के साथ प्रवेश सम्मेलन के साथ प्रारम्भ किया गया जहां लेखापरीक्षा उद्देश्यों, क्षेत्र तथा पद्धति को स्पष्ट किया गया था। इसी प्रकार के प्रवेश सम्मेलन प्रत्येक पांच राज्यों में संबंधित प्रधान महालेखाकार/लेखाकार द्वारा योजना के कार्यान्वयन में शामिल नोडल विभागों के साथ आयोजित किए गए थे। इसके पश्चात सितंबर से नवम्बर 2017 के बीच मंत्रालय स्तर तथा पांच चयनित राज्यों में राज्य स्तर (नोडल विभाग तथा जिला समाज कल्याण कार्यालय) पर योजना के कार्यान्वयन से संबंधित अभिलेखों की जांच की गई थी। चयनित संस्थानों की लेखापरीक्षा तथा प्रत्येक संस्थान में चयनित लाभार्थियों का सर्वेक्षण भी किया गया था।

मंत्रालय को 29 दिसंबर 2017 को ड्राफ्ट लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किया गया था। मंत्रालय के साथ 11 जनवरी 2018 को निर्गम सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्षों तथा अन्य मामलों पर चर्चा की गई थी। निर्गम सम्मेलनों का राज्य स्तरों पर भी आयोजन किया गया था जहां राज्य विशिष्ट निष्कर्षों पर चर्चा की गई थी। प्रतिवेदन में निर्गम सम्मेलनों में चर्चा किए गए मुद्दों के अतिरिक्त मंत्रालय (जनवरी 2018) तथा राज्यों द्वारा प्रस्तुत उत्तरों पर विचार किया गया है।

***

भाग दो
योजना का कार्यान्वयन

योजना का कार्यान्वयन

पांच चयनित राज्यों में लाभार्थी

2.1 पांच चयनित राज्यों में लाभार्थियों की प्रवृत्ति

पांच चयनित राज्यों में लाभार्थियों की वर्ष-वार प्रवृत्ति को चार्ट 3 में दर्शाया गया है:

चार्ट 3: चयनित राज्यों में 2012-17 के दौरान लाभार्थियों की संख्या दर्शाने वाली प्रवृति

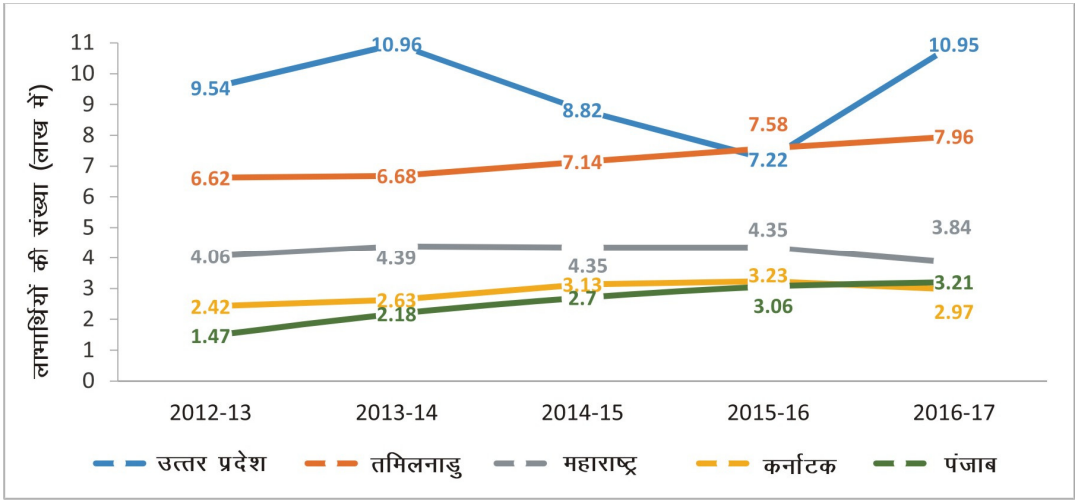

स्त्रोत: राज्य सरकारों के अभिलेख (यह आकड़े मंत्रालय के अभिलेखों से मेल नहीं खाते है)

2016-17 में लाभार्थियों की संख्या **पंजाब** तथा **तमिलनाडु** में बढ़ी जबकि शेष तीन राज्यों **कर्नाटक**, **महाराष्ट्र** तथा **उत्तर प्रदेश** में यह कम हुई।

कर्नाटक में कमी के कारण विभाग के पास उपलब्ध नहीं थे।

महाराष्ट्र में 2015-16 में 4.35 लाख से 2016-17 में 3.84 लाख तक छात्रवृत्ति में कमी इस तथ्य के कारण थी कि प्राप्त छात्रवृत्ति आवेदनों (4.66 लाख) के केवल 82 प्रतिशत को ही वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जा सका था क्योंकि सात तथा 10 प्रतिशत छात्रवृत्ति के मामले क्रमशः कॉलेज तथा जिला स्तर पर लंबित थे।

उत्तर प्रदेश में लाभार्थियों की संख्या 2013-14 में 10.96 लाख से 2015-16 में 7.22 लाख तक कम हुई क्योंकि वर्ष 2015-16 से संबंधित तीन लाख छात्रवृत्ति आवेदन संस्वीकृति हेतु विभाग के पास लंबित रहे। जिला सामाज कल्याण अधिकारी इलाहाबाद ने बताया (दिसबंर 2017) कि आवेदनों की बड़ी संख्या को 2014-15 तथा 2015-16 में सक्षम (ऑनलाइन पोर्टल) के माध्यम से ऑनलाइन सख्त जांच तथा आवेदन जमा करने में संस्थानों/छात्रों की दक्षता में कमी के कारण सक्षम पर अस्वीकृत कर दिया गया था। उसने यह भी बताया कि सरकार ने समस्या का संज्ञान ले लिया था तथा संस्थानों/छात्रों को आवेदनों में त्रुटियों का समाधान करने की सलाह दी जिसके परिणामस्वरूप 2016-17 में लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि थी।

***

योजना दिशानिर्देशों में अंतर

किसी भी केन्द्रीय प्रायोजित योजना हेतु दिशानिर्देशों को योजना के प्रत्येक संघटक तथा विभिन्न प्रक्रियाओं की पद्धति/क्रियातंत्र का उल्लेख करते हुए व्यापक होना प्रत्याशित है। लेखापरीक्षा ने योजना दिशानिर्देशों में निम्नलिखित अतंर पाए।

3.1 वार्षिक कार्य योजना/परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करना

योजना के अंतर्गत सभी पात्र लाभार्थियों को प्रभावी कवरेज प्रदान करने के लिए आवश्यक धनराशि के व्यवस्थित और सही आंकलन के लिए वार्षिक कार्य योजना तैयार करना अत्यावश्यक है। लेखापरीक्षा ने योजना प्रक्रिया में निम्नलिखित कमियों की पहचान की:

(i) किसी वार्षिक कार्य योजना या परिप्रेक्ष्य योजना का अभाव: दिशानिर्देशों में वार्षिक कार्य योजना तैयार करने और उसकी प्रस्तुति हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी थी न ही मंत्रालय द्वारा कोई आदेश/निर्देश जारी किए गए थे। पाँच चयनित राज्यों में फील्ड लेखापरीक्षा से पता चला कि वर्ष 2012-17 के दौरान पीएमएस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों की संख्या के आंकलन या उसके समय पर कवरेज के लिए कार्यनीति हेतु कोई वार्षिक कार्य योजना अथवा परिप्रेक्ष्य योजना नहीं बनायी गयी थी।

(ii) पात्र छात्रों के किसी भी डाटाबेस का अभाव: इसके अतिरिक्त, पाँच चयनित राज्यों में से किसी ने कोई वर्ष-वार डाटाबेस नहीं बनाया था जिसे 2012-17 के दौरान आगामी वर्षों के लिए अनुमान लगाने में प्रयोग किया जा सके। **महाराष्ट्र** में, समाज कल्याण आयुक्त ने शैक्षणिक वर्ष के दौरान बिना किसी आधार के छात्रों की संख्या बढ़ाकर छात्रों का एक अनुमानित आंकड़ा निकाला और इसके लिए भारत सरकार से निधियों की मांग की।

चयनित राज्यों के पास वार्षिक कार्य योजना और पात्र छात्रों का डाटाबेस नहीं होने से, **तमिलनाडु** को छोड़कर राज्यों में लाभार्थियों की वास्तविक संख्या के सापेक्ष लाभार्थियों की अनुमानित संख्या में व्यापक विविधता थी जैसा कि **चार्ट-4** में दर्शाया गया है:

चार्ट-4: चयनित राज्यों में लाभार्थियों की अनुमानित और वास्तविक संख्या

इस प्रकार, किसी विशेष वर्ष में छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु सटीक अनुमान/योजना बनाने के लिए कोई प्रतिष्ठित प्रक्रिया नहीं थी।

3.2 छात्रवृत्ति वितरण हेतु विनिर्दिष्ट समय सीमा का अभाव

योजना दिशानिर्देशों में व्यवस्था है कि सभी राज्य सरकारें/यूटी प्रशासन प्रत्येक वर्ष मई-जून में योजना का ब्यौरा घोषित करेंगे और राज्य के प्रमुख समाचार-पत्रों, अपनी संबंधित वेबसाइटों और अन्य मीडिया संगठनों के माध्यम से विज्ञापन जारी करते हुए आवेदन आमंत्रित करेगा। आवेदक को आवेदन प्राप्ति हेतु निर्धारित अंतिम तिथि से पहले निर्धारित प्राधिकरण के समक्ष पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन को निर्धारित प्राधिकरण द्वारा सत्यापित, संशाधित और संस्वीकृत किया जाएगा जिसके बाद छात्र को राजकीय खजाने से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। चयनित पाँच राज्यों में संबंधित प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वयन की प्रक्रिया का चित्रण **अनुबंध-2** में किया गया है।

1986 में, तत्कालीन कल्याण मंत्रालय द्वारा योजना की समीक्षा हेतु स्थापित एक समिति ने राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेश प्रशासनों द्वारा पीएमएस-एससी के कार्यान्वयन में सख्ती से पालन करने के लिए निम्नलिखित समय-सूची की अनुशंसा की थीः

ए)	मास मीडिया के माध्यम से योजना की घोषणा	31 मई तक
बी)	छात्रों द्वारा आवेदनों की प्रस्तुति	31 जुलाई या प्रवेश बंद होने के एक माह बाद
सी)	प्रपत्रों की संवीक्षा	31 अगस्त या आवेदन की प्राप्ति के 30 दिन के अंदर
डी)	छात्रवृति की मंजूरी और भुगतान	30 सितंबर तक

मंत्रालय ने उपर्युक्त अनुशंसा को राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष मई-जून में योजना की घोषणा के अलावा और किसी क्षेत्र में कार्यान्वित नहीं किया। योजना दिशानिर्देश में परिणामतः आगे किसी आयोजन के लिए कोई तिथि निर्धारित नहीं थी जैसे किसी छात्र द्वारा आवेदन प्रस्तुति का समय, किसी प्रतिष्ठान द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी को आवेदन अग्रेषित करना, जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदन की मंजूरी एवं संस्वीकृत छात्रवृत्ति भुगतान करना।

कर्नाटक में, विभिन्न चरणों पर आवेदनों की प्राप्ति और प्रसंस्करण हेतु किसी समय सीमा का निर्धारण नहीं था और ऑनलाइन पोर्टल को आवेदनों की प्रस्तुति हेतु पूरे साल खुला रखा जा रहा था। **तमिलनाडु** में भी, किसी भी चरण में आवेदनों के प्रसंस्करण हेतु समय सीमा निर्धारित नहीं थी।

महाराष्ट्र में, आवेदकों को निर्धारित प्राधिकरण के समक्ष प्रत्येक वर्ष 31 अक्तूबर के पूर्व पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करना था। यह पाया गया कि विभाग ने प्रत्येक वर्ष मार्च के अंत तक निर्धारित तिथि को बार-बार बढ़ाया था। समाज कल्याण आयुक्त ने बताया (नवंबर 2017) कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन प्रक्रिया में अदालती मामलों तथा छात्रों द्वारा विभिन्न प्रमाण पत्रों की प्राप्ति में विलंब के कारण देर हुई थी। समय सीमा में विस्तार इस उद्देश्य से किया गया था कि कोई छात्र छात्रवृत्ति की सुविधा का लाभ उठाने से वंचित न रह जाए।

उत्तर प्रदेश में, अंतिम तिथि को (i) उम्मीदवार को आवेदन जमा करने के लिए 30 सितंबर 2016 को चार बार बढ़ाया गया था (7 अक्तूबर 2016, 26 अक्तूबर

2016, 15 दिसंबर 2016, 18 दिसंबर 2016) (ii) संस्थान हेतु संबंधित विभाग को आवेदन अग्रेषित करने के लिए तीन बार बढ़ाया गया था (15 अक्तूबर 2016, 19 अक्तूबर 2016, 05 नवंबर 2016) एवं (iii) समाज कल्याण विभाग हेतु छात्रों को छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु दो बार बढ़ाया गया था (31 दिसंबर 2016, 08 जनवरी 2017)।

राज्यों ने 2012-17 की अवधि हेतु अपने प्रस्तावों (केन्द्रीय सहायता हेतु मांग) को प्रत्येक वर्ष अलग-अलग समय पर जमा किया था, जिसे **चार्ट-5** में दिखाया गया है।

चार्ट-5: चयनित राज्यों से प्रस्ताव की प्राप्ति की वास्तविक तिथि

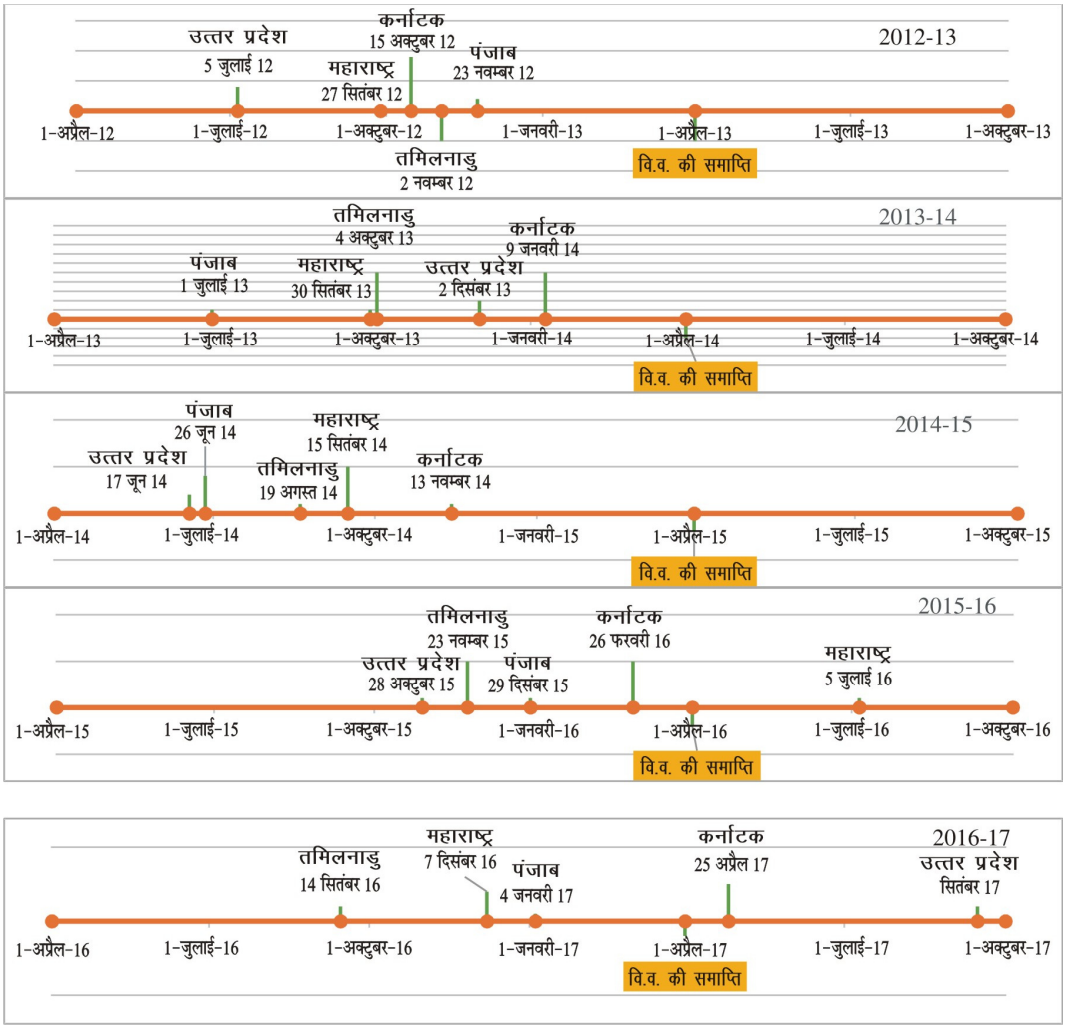

इस प्रकार मंत्रालय के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करने के मामले में राज्यों में कोई एकरूपता नहीं थी। किसी विशेष राज्य के मामले में भी, वर्ष दर वर्ष कोई एकरूपता नहीं थी। तीन अवसरों पर वित्त वर्षों की समाप्ति के बाद प्रस्ताव प्राप्त किये गये (**महाराष्ट्र** 2015-16; **कर्नाटक** 2016-17 एवं **उत्तर प्रदेश** 2016-17)।

इस प्रकार प्रस्तावों की प्रस्तुति और उसके प्रसंस्करण की पूरी प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण है चूंकि न तो छात्रवृत्ति के आवेदनों की प्राप्ति के लिए राज्य हेतु कोई समय सीमा थी और न ही राज्यों द्वारा प्रस्तावों को मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुति के लिए ही कोई समय-सीमा थी।

नीति आयोग और मंत्रालय के संयुक्त दल द्वारा अक्तूबर-नवंबर 2015 में तीन राज्यों महाराष्ट्र, पंजाब तथा तेलंगाना में योजना की समीक्षा में, यह पाया गया था कि पीएमएस प्रदान करने के लिए आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि के अभाव ने योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता के वर्ष-वार दावे को निर्धारित करने को अत्यंत कठिन बना दिया था क्योंकि पिछले वर्षों का बकाया अगले वर्ष में अग्रेषित होता जा रहा था।

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2018) कि राज्य सरकारें योजना के ब्यौरे मई-जून के महीने में घोषित करती है जिसमें आवेदनों की प्रस्तुति की अंतिम तिथि भी शामिल होती है। इसमें स्थानीय आवश्यकता के अनुसार राज्य-दर-राज्य भिन्नता होती है। हालांकि, योजना के प्रस्तावित संशोधन में, आवेदनों की प्रस्तुति, केन्द्रीय सहायता के माँग हेतु प्रस्ताव की प्रस्तुति, आदि से संबंधित विशिष्ट समय सीमाओं के प्रावधान किये गये हैं।

योजना के अंतर्गत एक छात्र को छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु भी कोई विनिर्दिष्ट समय सीमाएं नहीं थीं। तथापि, योजना दिशानिर्देश अनुबंध करते हैं कि लाभार्थियों को छात्रवृत्तियों की राशि के सामयिक भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थियों को छात्रवृत्ति का नगद में भुगतान के स्थान पर डाक खानों/बैंकों में उनके खातों के माध्यम से भुगतान किया जाना चाहिए। चार राज्यों **महाराष्ट्र**, **पंजाब**, **तमिलनाडु** तथा **उत्तर प्रदेश** में लेखापरीक्षा ने 18.58 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति के भुगतान में एक से छः वर्षों के बीच का विलम्ब पाया। विलम्बों को **तालिका-4** में तालिकाबद्ध किया गया है।

तालिका-4: छात्रवृत्ति के भुगतान में विलम्ब के ब्यौरे

राज्य का नाम	प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या	विलम्बित आवेदनों की संख्या	वर्ष	टिप्पणियां
महाराष्ट्र	23.06 लाख	1.67 लाख	2012-17	विभाग ने छात्रों द्वारा आवेदन का देरी से प्रस्तुतीकरण, आवेदनों में पाई गई कमियों आदि को विलम्ब का कारण माना (**अनुबंध-4** में वर्ष-वार विवरण)।
पंजाब	9.41 लाख	9.41 लाख	2012-16	विभाग ने वर्ष के दौरान मंत्रालय/राज्य सरकार द्वारा निधियों के देरी से/गैर-निर्गम को विलम्ब का कारण माना।
	3.21 लाख	3.21 लाख	2016-17	2016-17 के संबंध में नवम्बर 2017 तक कोई छात्रवृत्ति वितरित नहीं की गई है।
तमिलनाडु	1.51 लाख	21,706	2012-17	आठ चयनित जिलों में से सात[1] में छात्रों को शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् छात्रवृत्तियां संस्वीकृत की गई थीं।
उत्तर प्रदेश	41.19 लाख	4.07 लाख	2014-17	आवेदनों को प्रारम्भ में 'संदिग्ध'[2] के रूप में वर्गीकृत किया गया था तथा उनका अभी भी संबंधित डीएसडब्ल्यूओ द्वारा सत्यापन किया जाना था।
कुल	**78.38 लाख**	**18.58 लाख**		

इसके अतिरिक्त, **महाराष्ट्र** में पुणे जिले में 2013-14 तथा 2014-15 की अवधि हेतु 879 कॉलेजों के 7,225 छात्रों के संबंध में कुल ₹10.58 करोड़ के छात्रवृत्ति दावे आज तक एसीएसड्ब्लयू[3] पूणे के पास लंबित थे। चूंकि ये दावे एक वर्ष से अधिक पुराने थे इसलिए वह कालातित हो गए थे तथा उन्हे अनुमोदन हेतु फिर से राज्य सरकार को प्रेषित किया जाना अपेक्षित था। उपर्युक्त छात्रवृत्ति निधि का

[1] कोयम्बटूर, कुड्डालोर, मदुरै, पुडुकोट्टई, सेलम, तिरूवल्लूर तथा विरूद्धनगर

[2] वह डाटा जिसकी विभिन्न पैमानों के आधार पर ऑनलाइन जांच की गई है, को छात्रवृत्ति भुगतान प्रणाली (सक्षम वेब पोर्टल) द्वारा सही तथा संदिग्ध डाटा में अलग कर दिया गया है। दोनों प्रकार के डाटा को जांच हेतु डीएसडब्ल्यूओ को भेजा जाता है। सही तथा संदिग्ध डाटा के बीच मुख्य अंतर यह है कि पहले के मामले में छात्रवृत्ति को बिना वैध कारण दर्ज किए अस्वीकृत नहीं किया जा सकता जबकि बाद के मामले में छात्रवृत्ति को केवल उपयुक्त औचित्य दर्ज करने के पश्चात् ही अदा किया जा सकता है।

[3] सहायक समाज कल्याण आयुक्त

भुगतान करने में विलम्ब के कारणों की एसीएसडब्ल्यू पुणे से मांग की गई थी परंतु प्राप्त नहीं हुए थे।

उपरोक्त के अलावा, वाणिज्यिक पॉयलट लाइसेंस पाठ्यक्रम[4] प्राप्त कर रहे छात्रों से संबंधित आवेदनों के अनुमोदन में विलम्ब मंत्रालय तथा राज्य स्तरों दोनों में पाए गए थे। 2012-17 की अवधि के दौरान सभी राज्यों/यूटी से प्राप्त 130 आवेदनों में से ₹33.77 करोड़ के शुल्क वाले 114 आवेदनों को मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किया गया था। पांच चयनित राज्यों हेतु 2012-17 के दौरान सीपीएल के 69 मामलों में से 32 के अनुमोदन में सात महीनों से दो वर्षों से अधिक के बीच के विलम्ब मंत्रालय के स्तर पर पाए गए थे जो कुछ राज्यों से प्रस्तावों की प्राप्ति में विलम्ब के कारण थे जिसका परिणाम समेकन में विलम्ब, अनुमोदन हेतु ऐसे मामलों पर विचार करने के दिन फ्लाईंग इंस्ट्रक्टर की अनुपलब्धता के कारण फ्लाईंग संस्थान/क्लब के गैर-क्रियात्मक होने तथा डीजीसीए से फ्लाईंग संस्थान की मान्यता के संबंध में स्पष्टीकरण की विलम्बित/गैर-प्राप्ति में हुआ।

इसके अतिरिक्त, राज्य स्तर पर मंत्रालय को मामले प्रेषित करने तथा मंत्रालय के अनुमोदन की प्राप्ति के पश्चात् छात्रवृत्तियों के संवितरण दोनों में ही विलम्ब थे। **तमिलनाडु** में, आठ आवेदनों में से केवल दो को उनकी प्राप्ति के छः महीनों के भीतर मंत्रालय को प्रेषित किया गया था। शेष छः को छात्रों के प्रमाणपत्रों की सत्यापन रिपोर्ट की अप्राप्ति के कारण सात से 21 महीनों के बीच के विलम्ब से प्रेषित किया गया था। मंत्रालय द्वारा संस्वीकृत सात मामलों में से तीन फ्लाईंग संस्थान द्वारा उम्मीद्वार की पुष्टि न करने (2 मामले) तथा बैंक खाता विवरण की अप्राप्ति (शेष एक मामला) के कारण अक्तूबर 2017 तक संवितरण हेतु लंबित थे। **महाराष्ट्र** में 39[5] मामलों में से 12 को छः महीनों से अधिक के विलम्ब से मंत्रालय को प्रेषित किया गया था। 39 मामलों में से चार मंत्रालय से

---

[4] पीएमएस-एससी योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति उन एससी छात्रों को भी प्रदान की जाती है जो स्वीकृत फ्लाइंग क्लबों/संस्थानों से वाणिज्यिक पॉयलट लाईसेंस (सीपीएल) का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं संबंधित छात्रों से आवेदनों की प्राप्ति के परिणामस्वरूप संबंधित राज्य सरकारें उनकी पात्रता का निर्धारण करने हेतु उनकी संवीक्षा करती है तथा मंत्रालय को प्रत्येक वित्त वर्ष सीपीएल प्रशिक्षण हेतु योग्य आवेदक की सिफारिश करती है। ऐसी सूचना की प्राप्ति पर मंत्रालय महानिदेशक नागरिक उड्डयन (डीजीसीए) से फ्लाइंग क्लबों/संस्थानों की बैधता के संबंध में जांच करता है। बाद में मंत्रालय आवेदक की वार्षिक आय आदि जैसे मापदण्ड के आधार पर मामलों को अनुमोदित करता है तथा पूरे देश हेतु 50 पुरस्कारों तक पहले आओ पहले पाओ आधार पर संबंधित राज्यों/यूटी को छात्रवृत्तियाँ प्रदान करने की अपनी सिफारिश प्रेषित करता है।

[5] कुल 42 मामलों को वास्तव में प्रेषित किया गया था। तीन मामलों के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

अनुमोदन की तिथि से छः महीनों से अधिक के विलम्ब से भुगतान किया गया था। **उत्तर प्रदेश** में अदा किए गए 12 आवेदनों में विलम्ब एक से 42 महीनों के बीच था।

इस प्रकार, आवेदनों की प्राप्ति तथा संसाधन दोनों हेतु समय सीमा के अभाव का परिणाम पात्र लाभार्थियों को छात्रवृत्तियों के संवितरण में विलम्ब से हुआ।

3.3 संस्थानों से शिक्षा के समापन, छात्रवृत्ति के रद्द करने/रोकने/प्रदान करने से इंकार करने के संबंध में अनिवार्य रिटर्नों को निर्धारित न करना

योजना का उद्देश्य दशमोत्तर अथवा माध्यमिकोत्तर स्तर पर अध्ययन कर रहे अनुसूचित जाति के छात्रों को उनकी शिक्षा पूर्ण करने में समर्थ बनाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। लेखापरीक्षा ने योजना दिशानिर्देशों में निम्नलिखित कमियां पाईः

ए) उन लाभार्थियों जिन्होने छात्रवृत्ति का लाभ उठाने के पश्चात् सफलतापूर्वक अपनी शिक्षा पूरी की है का निर्धारण करने हेतु राज्य सरकारों हेतु योजना दिशानिर्देशों में कोई रिटर्न निर्धारित नहीं की गई है।

बी) योजना दिशानिर्देशों की धारा x(i) अनुबंध करती है कि यदि संस्थान के प्रमुख द्वारा किसी भी समय यह सूचित किया जाता है कि एक छात्र अपनी स्वयं की गलती के कारण संतोषजनक प्रगति करने में विफल रहा है अथवा दुर्व्यवहार जैसे कि हड़ताल करना या भाग लेना, संबंधित प्राधिकारियों की अनुमति के बिना उपस्थिति में अनियमितताएं आदि का दोषी रहा है तो छात्रवृत्ति की संस्वीकृति देने वाले प्राधिकारी ऐसी अवधि के लिए छात्रवृत्ति को रद्द कर सकते है अथवा आगे के भुगतान को रोक सकते है अथवा प्रदान करने से इंकार कर सकते हैं जैसा वह उचित समझे। हमने पाया कि बिजनौर (यूपी) जहां दो संस्थानों ने एक बार परीक्षा के फार्म न भरने के कारण 56 छात्रों की छात्रवृत्ति को रोके जाने के लिए सूचित किया था, के सिवाएं किसी भी चयनित संस्थानों ने ऐसे मामलों की सूचना नहीं दी थी (विवरण अनुवर्ती पैराग्राफ में)। चूंकि संस्थान के प्रमुख के लिए आवधिक अतंराल पर यह सूचना प्रस्तुत करना अनिवार्य न होने के साथ यह तथ्य कि संस्थान चूककर्ता उम्मीद्वारों के संबंध में एकत्रित अनिवार्य अप्रतिदेय

शुल्क से वंचित हो सकता है इसलिए यह जोखिम है कि संस्थान ऐसे मामलों की सूचना न दे।

3.4 दिशानिर्देशों में कोई मानीटरिंग ढांचा न होना

योजना के दिशानिर्देशों में मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन हेतु कोई प्रावधान शामिल नहीं है। तथापि, मंत्रालय ने अगस्त 2009 तथा सितंबर 2015 के अपने आदेशों के माध्यम से योजना कार्यान्वयन को मॉनीटर करने हेतु राज्यों/जिलों के लिए कुछ साधन निर्धारित किए जैसी प्रतिवेदन के पैराग्राफ 8.2 में चर्चा की गई है।

3.5 लेखापरीक्षा सारांश

योजना दिशानिर्देश जो विभिन्न प्रक्रियाओं हेतु क्रियाविधि निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण है को कई पहलुओं में त्रुटिपूर्ण पाया गया था। किसी भी योजना प्रक्रिया अर्थात् मंत्रालय को केन्द्रीय सहायता हेतु लाभार्थियों के प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूर्व राज्यों में पात्र लाभार्थियों के चयन हेतु कोई कार्य योजना/परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करने के लिए कोई क्रियाविधि निर्धारित नहीं थी। दिशानिर्देशों न तो राज्य स्तर पर छात्रों द्वारा आवेदन के प्रस्तुतीकरण, कार्यान्वय एजेंसी द्वारा आवेदनों की संवीक्षा तथा छात्रवृत्ति की संस्वीकृति/वितरण और न ही राज्यों द्वारा मंत्रालय को अनुमानों के प्रस्तुतीकरण हेतु कोई समय सीमा निर्धारित करता है। योजना की उपलब्धि अर्थात् छात्रवृत्ति का लाभ उठाने के पश्चात् अपनी शिक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले छात्रों की संख्या का निर्धारण करने हेतु कोई ढांचा निर्धारित नहीं किया गया था। चार राज्यों महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश में लेखापरीक्षा ने 18.58 लाख छात्रों को शुल्क के भुगतान में एक से छः वर्षों के बीच के विलम्ब पाए। योजना के दिशानिर्देश में मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन हेतु कोई प्रावधान शामिल नहीं है। इन संघटकों से संयोजित संभावित जोखिमों को नीचे तालिकाबद्ध किया गया हैः

संघटक	शामिल जोखिम
वार्षिक कार्य योजना तैयार न करना	लाभार्थियों की संख्या के अनुमान में अंतर जो बदले में वित्तीय अनुमानों को प्रभावित कर सकते हैं।
छात्रवृत्ति के आवेदन, संस्वीकृति तथा वितरण हेतु विनिर्दिष्ट समय सीमा का अभाव	आवदेन वर्ष के अंत तक प्राप्त किए गए। वर्ष के दौरान सृजित किए जाने वाले वैध आवेदकों की वास्तविक संख्या की कोई जानकारी न होना। पात्र लाभार्थियों को लाभों के वितरण में अनुचित विलम्ब जो वित्तीय समस्या का कारण बनता है।
शिक्षा के सफलतापूर्वक समापन की मॉनीटरिंग न करना	राज्य उन छात्रों की संख्या का निर्धारण करने में समर्थ नहीं होगा जो वास्तव में योजना के उद्दिष्ट लाभ प्राप्त कर रहे है। छात्रवृत्ति लाभों का वास्तविक आवेदनों के स्थान पर गैर गंभीर छात्रों को वितरण किया जा सकता है संस्थानों स्वयं के लिए शुल्क का दावा करने के एकमात्र उद्देश्य हेतु गैर गम्भीर उम्मीदवारों को आकर्षित कर सकता है।

***

वित्तीय प्रबंधन

किसी भी केन्द्र प्रायोजित योजना में लाभ के प्रभावी वितरण हेतु उचित बजट अनुमान और आवश्यकता के समनुरूप निधियों के आबंटन सहित कुशल वित्तीय प्रबंधन महत्वपूर्ण है। हमने राज्यों में अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों के आबंटन, निधियों के विपथन तथा त्रुटिपूर्ण अभिलेख अनुरक्षण के मामले पाए, जिस पर नीचे चर्चा की गयी है।

4.1 अपर्याप्त बजटीय समर्थन

मंत्रालय राज्यों/यूटी को अनुमानित लाभार्थियों पर उस वर्ष में किए जाने वाले अनुमानित व्यय को उनके द्वारा पूरी की जानी वाली प्रतिबद्ध देयता की राशि को कम करके राज्यों/यूटी द्वारा तैयार अनुमानों के आधार पर केन्द्रीय सहायता का अपना भाग जारी करता है। पिछले वर्षों के संबंध में केन्द्रीय सहायता के बकायों, यदि कोई, का भी राज्यों/यूटी द्वारा अपनी मांगों में दावा किया जाता है।

राज्यों से प्राप्त की गयी और 2012-17 के दौरान जारी की गयी केन्द्रीय सहायता(सीए) के साथ मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित और वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित बजट अनुमान **तालिका -5** में दिये गये हैं :

तालिका-5: बजट अनुमान, माँग तथा जारी की गई केन्द्रीय सहायता

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राज्यों द्वारा मांग	मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित बजट	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	जारी हुई सीए	बकाया	संचित बकाया#
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (2)-(6)	(8)
2012-13	2,755.58*	1,700.00	1,500.00	1,500.00	1,654.65##	1,100.93	**1,558.16**
2013-14	3,597.72	1,700.00	1,500.00	1,908.87	2,153.50##	1,444.22	**2,209.00**
2014-15	4,199.50	2,375.00	1,500.00	1,904.78	1,963.38##	2,236.12	**4,588.99**
2015-16	4,532.31	4,500.00	1,599.00	2,216.05	2,213.88	2,318.43	**6,182.16**
2016-17	4,246.84**	4,500.00	2,791.00	2,820.70	2,798.77	1,448.07	**7,579.64**
कुल	**19,331.95**	**14,775.00**	**8,890.00**	**10,350.40**	**10,784.18**		

कॉलम (8) में संचित बकाया की राशि अगले वर्ष हेतु मांग प्रस्तुत करते समय किसी भी वर्ष के दौरान बकायों के संचित योग के साथ मेल नहीं खाती है इसलिए राज्यों ने उस वर्ष के उनके वास्तविक व्यय के आधार पर गत वर्ष हेतु बकायों के आकड़ों का संशोधन किया।

* राज्यों के साथ गत वर्ष के बकायों अथवा अव्ययित शेष, यदि कोई है, के समायोजन के पश्चात।

संशोधित अनुमानों से अधिक व्यय अन्य योजनाओं की बचतों से किया गया था।

** इन आंकड़ों में पांच राज्यों बिहार, गुजरात, झारखण्ड, मेघालय तथा उत्तर प्रदेश के तथा चार यूटी चण्डीगढ़, दमन एवं दीव, दिल्ली, पुडुचेरी की मांगे शामिल नहीं है जिन्हे वर्ष की समाप्ति तक प्राप्त नहीं किया गया या फिर वेब-पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किया गया तथा मंत्रालय द्वारा शामिल नहीं किया गया।

2012-17 के दौरान मंत्रालय द्वारा योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावित ₹14,775 करोड़ के बजट अनुमानों के सापेक्ष वित्त मंत्रालय ने केवल ₹10,350 करोड़ (70 प्रतिशत) को अनुमोदित किया।

मंत्रालय ने 2012-13 हेतु ₹1,700 करोड़ की निधि आवश्यकता को अनुमानित किया जिसमें से वित्त मंत्रालय द्वारा ₹1,500 करोड़ प्रदान किए गए थे। चूंकि यह निधियां मांगो को पूरा करने हेतु पर्याप्त नहीं थी इसलिए वर्ष की समाप्ति पर ₹1,101 करोड़ के बकाया संचित हुए। वर्ष 2013-14 में, मंत्रालय ने (i) ₹2,755 करोड़ की गत वर्ष की मांग तथा (ii) इसके बाद आय सीमा में मौजूदा ₹2 लाख से ₹2.5 लाख प्रतिवर्ष तक के संशोधन के कारण सभी राज्यों में मांग में वृद्धि से अवगत होने के बावजूद भी ₹1,700 करोड़ का बजटीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया। मंत्रालय ने 2014-15 तथा 2016-17 में पिछले वर्ष की मांग से कम आवश्यकता का अनुमान जारी रखा। निरंतर कम निर्गम के परिणामस्वरूप बकायों की वृद्धि की प्रवृत्ति **चार्ट -6** में दी गई है:

चार्ट-6: 2012-17 के दौरान बकायों की वृद्धि

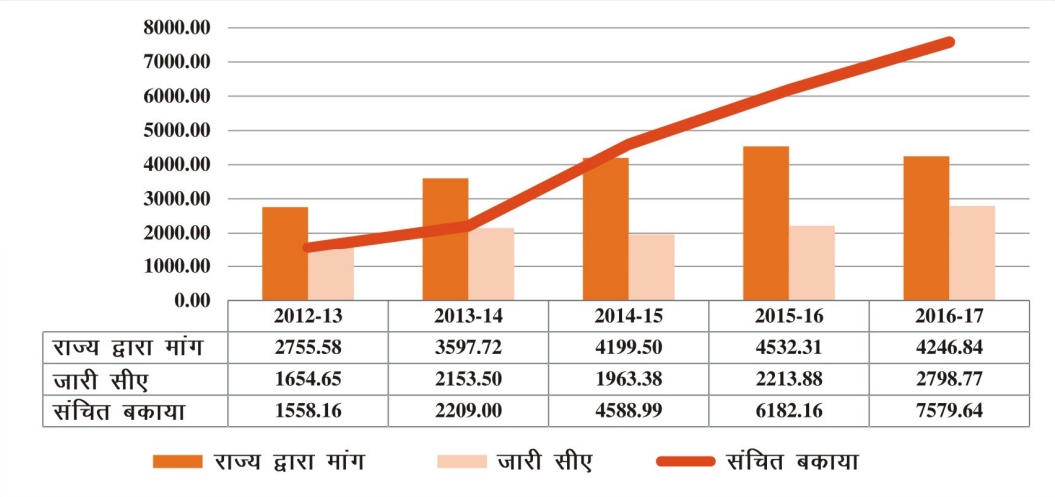

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
राज्य द्वारा मांग	2755.58	3597.72	4199.50	4532.31	4246.84
जारी सीए	1654.65	2153.50	1963.38	2213.88	2798.77
संचित बकाया	1558.16	2209.00	4588.99	6182.16	7579.64

इस प्रकार, मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय सहायता के निरंतर कम निर्गम का परिणाम कुल ₹7,580 करोड़ के बकायों के संचयन में हुआ। 2014-15 के पश्चात, बकायों का संचयन उस परिस्थिति का कारण बना जहां मंत्रालय के पास निधियों की उपलब्धता तथा राज्यों द्वारा प्रस्तुत मांग के बीच का अंतर बड़ा होना प्रारम्भ हो गया। मंत्रालय ने बकायों को पूरा करने हेतु अतिरिक्त निधियां प्रदान करने के मामले को काफी विलम्ब से जून 2015 में वित्त मंत्रालय के साथ उठाया।

तथापि, 2016-17 हेतु प्रक्षेपणों ने भी 2015-16 की समाप्ति तक संचित ₹6,182 करोड़ के बकायों को ध्यान में नहीं रखा था।

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2018) कि चूंकि योजना की कोई सीमा नहीं है तथा व्यय कुछ घटको जैसे लाभार्थियों की संख्या, ट्यूशन शुल्क, पाठ्यक्रमों की संख्या, शुल्कों का विनियमन आदि पर निर्भर है इसलिए अनुमानित आकड़ो में अंतर होना संभावित है। इसके अतिरिक्त, चूंकि राज्य लाभार्थियों की अनुमानित संख्या का निर्धारण करने हेतु कोई वार्षिक कार्य योजना तैयार नहीं करते हैं इसलिए उनके द्वारा प्रक्षेपित अनुमानित मांग के आंकड़े गलत हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मंत्रालय ने बजट आवश्यकताओं का प्रक्षेपण करते समय पिछले वर्षों के बकायों को ध्यान में नहीं रखा। बढ़ते हुए बकायों के कारण राज्यों को छात्रों को लाभ प्रदान करने में संभावित विलम्ब के साथ-साथ पात्र छात्रों को लाभों से इंकार न करने के लिए योजना के अंतर्गत व्यय के बड़े भाग को वहन करना होगा।

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2018) कि अब तक जहां प्रतिबद्ध देयता के प्रति राज्यों द्वारा व्यय का संबंध है वह यह मानते हुए केन्द्रीय सहायता के निर्गम पर विचार करता है कि राज्य ने पहले ही अपनी प्रतिबद्ध देयता का उपयोग कर लिया है तथा प्रतिबद्ध देयता से अधिक व्यय को उपलब्ध निधि के आधार पर जारी किया गया है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि प्रतिबद्ध देयता की परिभाषा को राज्यों को अधिक स्पष्टता प्रदान करने हेतु योजना के प्रस्तावित संशोधन में परिवर्तन किया जाएगा।

4.2 अतिरिक्त प्रतिबद्ध देयता

पिछले पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष के दौरान राज्य द्वारा किए गए व्यय को अनुवर्ती पंचवर्षीय योजना के दौरान उस राज्य की प्रतिबद्ध देयता के रूप में अंतरण किया जाता है। केन्द्र तथा राज्य के बीच देयता का विभाजन करने की इस पद्धति में 2012-17 के दौरान परिवर्तन हुआ क्योंकि योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति की स्वीकार्यता की आय सीमा को 1 जुलाई 2010 से अर्थात् 11वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर ₹1 लाख से ₹2 लाख तक बढ़ा दिया गया था। परिणामस्वरूप, भारत सरकार, ने विशेष मामले के रूप में निर्णय लिया कि इस

वृद्धि, जिसे अतिरिक्त प्रतिबद्ध देयता (एसीएल) कहा गया है, को राज्यों को 12वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति अर्थात् 31 मार्च 2017 को न कि 11वीं योजना की समाप्ति पर हस्तांतरित किया जाएगा।

मंत्रालय ने हालांकि न तो एसीएल की राशि का परिकलन किया और न ही इसके पास 1 अप्रैल 2017 से परिकल्पनानुसार राज्यों को इसे हस्तांतरित करने की कोई योजना मौजूद थी।

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2018) कि एसीएल के मामले को योजना के प्रस्तावित संशोधन में उठाया गया था जो अभी प्रक्रियाधीन ही था।

4.3 राज्यों में निधि प्रबंधन

2016-17 कि समाप्ति पर ₹7,580 करोड़ (**अनुबंध 5** में विवरण) के बकायों में से ₹5,368 करोड़ (71 प्रतिशत) के बकाया पांच चयनित राज्यों से संबंधित थे। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित का पता चला :

(ए) कर्नाटक

2012-17 के दौरान, ₹1,733.39 करोड़[6] की कुल उपलब्ध निधियों के सापेक्ष प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर अव्ययित शेष को छोड़ते हुए केवल ₹1,505.46 करोड़ का उपयोग किया गया जो ₹17.67 करोड़ (2012-13) से ₹108.28 करोड़ (2016-17) के बीच था। इन अव्ययित शेषों के बावजूद इन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान प्रतिबद्ध परंतु भुगतान न की गई छात्रवृत्ति के बकाया भी ₹12.25 करोड़ (2016-17 में 10,250 छात्र) से ₹76.36 करोड़ (2014-15 में 38,573 छात्र) के बीच थे।

[6] इसमें सीए के रूप में ₹186.42 करोड़ पिछले वर्ष के सीए के अव्ययित शेष के रूप में ₹82.95 करोड़, राज्य की प्रतिबद्ध देयता के रूप में ₹914.35 करोड़ तथा राज्य द्वारा अपनी प्रतिबद्ध देयता से अधिक जारी शेष ₹549.67 करोड़ शामिल है।

(बी) महाराष्ट्र

2012-17 में से प्रत्येक वर्ष के दौरान निधियों की उपलब्धता आवश्यकता से कम थी तथा 2016-17 की समाप्ति तक ₹1,155.09 करोड़ के बकाया संचित[7] हुए। 2016-17 के दौरान, पिछले वर्ष के कुल ₹850 करोड़ के संचित बकायों की वृद्धि का परिणाम उस वर्ष हेतु केवल 17 प्रतिशत पात्र आवेदकों के आवृतन में हुआ। जिसने इस प्रकार शेष 83 प्रतिशत लाभार्थियो को समय पर लाभ से वंचित किया जो भुगतान के बकाया हो गए।

2015-16 में, समाज कल्याण आयुक्त ने ₹100 करोड़ की अनुपूरक अनुदान अनुमत किया जिसे मार्च 2015 तक रद्द होने को ₹1.92 लाख संचित आवेदनों के संचय का निपटान करने हेतु स्वीकृत किया गया था।

(सी) पंजाब

2012-17 के दौरान, ₹1,403.14 करोड़ की सीए हेतु कुल बजट मांग के सापेक्ष मंत्रालय ने ₹372.08 करोड़ के बकाया को छोड़ते हुए केवल ₹1031.06 करोड़ जारी किए। इसी प्रकार, अपनी स्वंय की प्रतिबद्ध देयता के रूप में 2012-17 के दौरान ₹306.71 करोड़ के कुल बजट प्रावधान के सापेक्ष राज्य सरकार ने केवल ₹273.48 करोड़ जारी किए जिसका परिणाम ₹33.23 करोड़ के कम निर्गम में हुआ। मंत्रालय द्वारा सीए के कम निर्गम के कारण राज्य ने लाभार्थियों को छात्रवृत्ति का समय पर संवितरण नहीं किया जैसा पैराग्राफ सं. 3.2 में वर्णन किया गया है।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2013-14 हेतु सीए के रूप में प्राप्त ₹280.81 करोड़ के सापेक्ष राज्य सरकार ने केवल ₹279.77 करोड़ जारी किए तथा ₹1.04 करोड़ की शेष राशि इसके द्वारा अपने पास रखी गई।

(डी) तमिलनाडु

2013-17 के दौरान राज्य सरकार द्वारा प्रतिबद्ध देयता से अधिक ₹883.65 करोड़ की अतिरिक्त निधियों के निर्गम के बावजूद 2012-17 की अवधि के

[7] 2016-17 की समाप्ति तक प्रतिबद्ध परंतु भुगतान न की गई छात्रवृत्ति के कारण केन्द्रीय सहायता के बकायों को छोड़कर।

प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रतिबद्ध छात्रवृतियों को भुगतान नहीं किया जा सका जिसका परिणाम ₹1,201.95 करोड़ (2016-17) तक बकायों के संचयन में हुआ।

(ई) उत्तर प्रदेश

2012-17 के दौरान, राज्य सरकार ने ₹7,361.39 करोड़ की छात्रवृत्ति स्वीकृत की जिसमें से राज्य सरकार की देयता ₹3,306.50 करोड़ थी तथा शेष ₹4054.89 करोड़ को मंत्रालय द्वारा सीए के रूप में जारी किया जाना था। ₹4,054.89 करोड़ के सीए की कुल आवश्यकता के सापेक्ष मंत्रालय ने ₹2,225.59 करोड़ जारी किए जिसका परिणाम ₹1,829.30 करोड़ के बकायों के सचंयन में हुआ।

हमने यह भी पाया कि 2012-17 के दौरान ₹9,580.43 करोड़[8] (प्रतिबद्ध देयता एवं सीए सहित) की निधियों के समग्र निर्गम में से राज्य सरकार द्वारा केवल ₹7,332.72 करोड़ का संवितरण किया गया था। इस राशि में बकाया शामिल थे जो कुल भुगतानों के 12 से 48 प्रतिशत के बीच थे जिसने छात्रवृत्तियों के संसाधन, अनुमोदन तथा संवितरण में अकुशलता को दर्शाया।

4.4 असंवितरित छात्रवृत्तियॉ

छात्रवृत्ति के भुगतान का सफलतापूर्वक लेन-देन कई घटकों पर निर्भर है जैसे लाभार्थी द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल पर बैंक खाते तथा अन्य विवरणों की सही सूचना का प्रस्तुतीकरण तथा/अथवा अन्य प्रकार से शैक्षणिक संस्थान/विभाग द्वारा इसका अनुवर्ती सत्यापन शामिल है। तीन राज्यों **महाराष्ट्र**, **तमिलनाडु** तथा **उत्तर प्रदेश** में बैंक विवरणों के बेमेल होने आदि के कारण ₹375.30 करोड़ की अंवितरित छात्रवृत्तियों के उदाहरण पाए गए थे जिसका परिणाम छात्रों को छात्रवृत्तियों से वंचित रहने में हुआ जैसा **तालिका-6** में दर्शाया गया है।

[8] इसमें सीए के रूप में ₹2,225.59 करोड़, राज्य की प्रतिबद्ध देयता के रूप में ₹3,306.50 करोड़ तथा राज्य द्वारा अपनी प्रतिबद्ध देयता से अधिक शेष ₹4,048.34 करोड़ शामिल है।

तालिका-6: असंवितरित छात्रवृत्तियों के ब्यौरे

राज्य का नाम	राशि (₹ करोड़ में)	अवधि	छात्रवृत्ति निधि की वर्तमान स्थिति	कारण
महाराष्ट्र	2.50	2015-16	सात जिलों[9] के सहायक आयुक्त के बैंक खाते में रखे हुए	अमान्य बैंक खाता संख्या, बंद किये गये खाते, गलत ब्यौरे और ई-पोर्टल का बंद होना
	14.70	2016-17		
तमिलनाडु	14.81	2013-17	सीएडीडब्ल्यू[10] के बचत बैंक खाते में पड़े हुए।	गलत बैंक खाता संख्या, निष्क्रिय खाते और बैंक द्वारा रोकी गयी धनराशि को सरकारी खाते में जमा नहीं करना।
उत्तर प्रदेश	196.52	2012-13	राज्य सरकार द्वारा खाते[11] में प्राप्तियों के रूप में।	इन अप्रयुक्त निधियों को विभिन्न जिलों द्वारा शीर्ष विभाग को लौटा दिया गया था।
	107.31	2013-14		
	39.46	2014-17	खजाने में वापस जमा करा दिया गया।	छात्र बैंक खाते की निष्क्रिय स्थिति और कम क्रेडिट सीमा।
कुल	**375.30**			

4.5 निधियों का विपथन

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने चयनित राज्यों में निधियों के अप्राधिकृत विपथन के दो मामले उजागर किए। **महाराष्ट्र** में, समाज कल्याण आयुक्त, पुणे के अभिलेखो से यह पाया गया कि ₹28.60 करोड़ (₹0.15 करोड़ की अदेय देयता को छोड़कर) का व्यय 2012-17 के दौरान ई-छात्रवृत्ति पोर्टल के अनुरक्षण के लिए किया गया। **कर्नाटक** में, बैंगलूरू शहरी जिले के दो[12] तालुका समाज कल्याण कार्यालयों द्वारा 2013-17 के दौरान चार वर्षों में योजना निधि से लेखन सामग्री, कम्प्यूटरों, कम्प्यूटर पेरीफेरल आदि की खरीद हेतु ₹0.34 करोड़ की राशि का विपथन किया गया था। व्यय की दोनों मदें योजना का भाग नहीं है तथा इसलिए ₹28.94 करोड़ का व्यय अनियमित था।

---

[9] ठाणे, सोलापुर, कोल्हापुर, अहमदनगर, नागपुर, औरंगाबाद, अमरावती

[10] आयुक्त, आदि द्रविदर कल्याण

[11] संघ एवं राज्यों के मुख्य एवं लघु शीर्षों की सूची में शामिल सामान्य प्रावधानों में व्यवस्था है कि अनुदान/अंशदान के अव्ययित शेष की वापसी को संबंधित मुख्य/उपमुख्य शीर्ष के अंतर्गत व्यय की कमी के रूप में दर्ज किया जाए।

[12] अनेकल तथा बैगंलूरू दक्षिण

4.6 उपयोग प्रमाण-पत्रों की प्रस्तुति

मंत्रालय द्वारा जारी केन्द्रीय सहायता के संबंध में उपयोग प्रमाणपत्रों (यूसी) को आगामी वर्ष हेतु मांग प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत किया जाना था। चूंकि राज्य सरकारें जिलों/संस्थानो को निधियां जारी कर रही थीं इसलिए इन अभिकरणों द्वारा राज्य सरकारों को यूसी का प्रस्तुतीकरण अनिवार्य हो जाता है। चयनित राज्यों में अभिलेखों की नमूना जांच ने निम्नलिखित प्रकट किया:

- **महाराष्ट्र** में संस्थानों से समाज कल्याण सहायक आयुक्त को प्रस्तुत किए जाने वाले यूसी की न तो मांग की गई थी और न ही नौ चयनित जिलों में से छ:[13] में प्राप्त किए गए थे। समाज कल्याण सहायक आयुक्त ने भी समाज कल्याण आयुक्त को यूसी प्रस्तुत नहीं किए थे। अन्य तीन[14] चयनित जिलों में संस्थानों द्वारा यूसी के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब था।
- **तमिलनाडु** में वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान सीएडीडब्ल्यू ने 32 जिलों में डीएडी एवं टीडब्ल्यूओ को क्रमश: ₹377.49 करोड़ तथा ₹899.49 करोड़ जारी किए परंतु उनके द्वारा अब तक इसके उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किए गए। वर्ष 2014-15 से राज्य सरकार द्वारा जारी निधियों को डीएडीडब्ल्यू के निजी जमा खाते में जमा किया जा रहा था तथा छात्रवृत्ति को छात्र तथा संस्थान के बैंक खाते में जमा किया जा रहा था तथा यूसी की मांग नहीं की जा रही थी।

[13] अहमदनगर, कोल्हापूर, नासिक, पूणे, सोलापूर, थाणे

[14] अमरावती, औरंगाबाद तथा नागपुर

4.7 लेखापरीक्षा सारांश

भारत सरकार राज्यों से छात्रवृत्ति के लिए निधियों की बढ़ती मांग को पूरा नहीं कर सकी जिसके परिणामस्वरूप 2016-17 के अंत में ₹7,580 करोड़ की बकाया राशि संचित हो गयी थी। इन बकायों में से, ₹5,368 करोड़ (71 प्रतिशत) पांच चयनित राज्यों से संबंधित थे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश इन तीन राज्यों में हमने बैंक ब्यौरों के मेल नहीं खाने के कारण ₹375.30 करोड़ की असंवितरित छात्रवृत्तियों के मामले पाए थे, जिसमें पात्र छात्र छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित हुए। कर्नाटक तथा महाराष्ट्र राज्यों में 2012-17 के दौरान ₹28.94 करोड़ की छात्रवृति निधि को ई-पोर्टल के अनुरक्षण तथा लेखन सामग्री कम्प्यूटर आदि की खरीद हेतु विपथन किया गया। इन कारकों से संबंधित संभावित जोखिमों को आगे तालिकाबद्ध किया गया है:

कारक	सम्मिलित जोखिम
भारत सरकार द्वारा राज्यों को दी गयी अपर्याप्त बजटीय सहायता	योजना के अंतर्गत व्यय का बड़ा भाग राज्यों को योजना के लाभों को छात्रों तक पहुँचने में विलंब से बचने के लिए वहन करना पड़ेगा। छात्रों को लाभ प्रदान करने में देरी।
असंवितरित छात्रवृत्ति	पात्र छात्रों को लाभ से वंचित रखना
निधियों का विपथन	छात्रों को छात्रवृत्ति के भुगतान में विलंब केन्द्र सरकार पर अनुचित वित्तीय भार
यूसी प्रस्तुत नहीं करना	कार्यान्वयन प्राधिकरण के हिस्से दी गयी निधि के समुचित उपयोग से संबंधित कोई आश्वासन प्राप्त नहीं होना।

योजना दिशानिर्देशों और आदेशों का अनुपालन न किया जाना

यह आवश्यक है कि प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा निर्मित योजना दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन प्राधिकारियों द्वारा सभी स्तरों पर अनुसरण किया जाना चाहिए। राज्यों द्वारा योजना दिशानिर्देशों का पालन न होने के निम्नलिखित उदाहरण पाए गए थे।

5.1 लाभार्थियों द्वारा शिक्षा को बंद करना

योजना के अनुसार, एक बार प्रदान की गई छात्रवृत्ति उस स्तर तक मान्य रहेगी जब अच्छे आचरण और उपस्थिति में नियमितता के साथ यह पाठ्यक्रम पूरा करे। इसे प्रतिवर्ष नवीनीकृत किया जाएगा बशर्ते एक पाठ्यक्रम जोकि कई वर्षो से चल रहा है उसमें छात्र अगली उच्चतर कक्षा में उन्नत होगा। यदि कोई छात्र परीक्षा में विफल होता है तो पुरस्कार तब तक नवीनीकृत नहीं किया जाएगा जब तक वह अगली उच्चतर शिक्षा में उन्नत नहीं होता। इसके अतिरिक्त, यदि कोई छात्र बीमारी या अन्य अप्रत्याशित घटना के कारण परीक्षा में नहीं बैठ पाया तब चिकित्सा प्रमाणपत्र और या अन्य दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने पर अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए अवार्ड का पुनर्नवीकरण किया जाएगा।

योजना दिशानिर्देश आगे अनुबंध करते हैं कि योजना के अनुसार, छात्रवृत्ति विद्यार्थी की संतोषजनक प्रगति तथा आचरण पर निर्भर करती है और किसी भी समय संस्थान के अध्यक्ष द्वारा यह सूचित किया जाए कि विद्यार्थी संतोषजनक प्रगति करने में विफल रहा या हड़ताल करना या उसमें भाग लेने, संबंधित प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना उपस्थिति में अनियमितता आदि जैसे गलत आचरण के लिए दोषी हो तब छात्रवृत्ति संस्वीकृत करने वाला प्राधिकारी या तो छात्रवृत्ति रद्द कर दे या रोक दे या जितनी अवधि के लिए उन्हें ठीक लगे तब तक के लिए आगे का भुगतान रोक दे। यह आगे प्रावधान किया गया है कि विद्यार्थी द्वारा राज्य सरकार के निर्णय पर छात्रवृत्ति राशि वापस करनी पडेगी, यदि वर्ष के दौरान जिस अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की गई है, उसे विद्यार्थी द्वारा बंद कर दिया गया हो।

लेखापरीक्षा में नमूना जांच से छात्रवृत्ति के रद्दीकरण तथा छात्रों द्वारा पढ़ाई को छोड़ने पर छात्रवृत्ति की वसूली न किए जाने के उदाहरण पाए गए है। :

5.1.1 छात्रवृत्ति को रद्द किए जाने के मामलों में शुल्क की प्रतिपूर्ति

पंजाब, **तमिलनाडु** और **उत्तर प्रदेश** के तीन राज्यों में 4,267 छात्रों जिन्होने या तो पाठ्यक्रम मध्य-सत्र में छोड़ दिया था, लम्बी अवधि से अनुपस्थित थे या स्थानांतरण प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया था उनसे 2.14 करोड़ की राशि की छात्रवृत्ति की वसूली न किए जाने के उदाहरण पाए गए थे जोकि नीचे दिए गए है:

पंजाब में, छ: चयनित जिलों में 60 चयनित संस्थानों में से 49 में 57,986 दशमोत्तर छात्रों में से 3,684 ने 2012-17 के दौरान मध्य-सत्र में पाठ्यक्रम छोड़ दिए थे (**अनुबंध-6** में विवरण)। हालांकि, इन विद्यार्थियों के संबंध में ₹14.31 करोड़ के अनुरक्षण भत्ते के साथ शुल्क का दावा इन संस्थानों द्वारा डीड्ब्ल्यूएससीबीसी से किया गया था। इसमें से, दिशानिर्देशों के उल्लंघन में 2012-14 हेतु ₹0.47 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया था। विभाग ने बताया (अक्तूबर 2017) कि उन्होंने वर्ष 2014-15 के लिए भुगतान को रोक दिया था और वर्ष 2012-14 एवं 2015-16 के लिए भुगतान की गई राशि को अगला भुगतान करते समय समायोजित कर दिया जाएगा। वर्ष 2016-17 के लिए कोई भुगतान नहीं किया गया।

तमिलनाडु में, 80 चयनित संस्थानों में से 39 (**अनुबंध-7** में विवरण) में, 66,370 विधार्थियों में से 527 ने 2012-17 के दौरान पाठ्यक्रम पूरा किए बिना या तो पढ़ाई छोड़ दी/लम्बी अवधि से अनुपस्थित थे/स्थानांतरण प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया था परंतु उन्हें भुगतान की गई ₹1.61 करोड़ की छात्रवृत्ति राशि की वसूली उनसे नहीं की गई थी।

उत्तरप्रदेश में, जिला बिजनौर के 10 चयनित संस्थानों में से दो[15] ने 2016-17 के लिए ₹5.63 लाख तक की राशि को 56 छात्रों (6,627 छात्रों में से) की छात्रवृत्तियों को रोकने के लिए डीएसडब्ल्यूओ को सूचित किया था (मार्च 2017)

[15] देवता महाविद्यालय, बिजनौर (50 छात्र: ₹5.12 लाख) और रजनीस प्रताप सिंह डिग्री कॉलेज, बिजनौर (छ: छात्र: ₹0.51 लाख)

क्योंकि उन्होंने उन पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा प्रपत्र नहीं भरे थे जिनमें वह नामांकित हुए थे। हालांकि, नवम्बर 2017 तक डीएसडब्ल्यूओ द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

इस प्रकार, संस्थानों ने विद्यार्थियों द्वारा पढ़ाई बंद करने के बारे में नोडल विभाग/डीएसडब्ल्यूओ/लाइन विभागों को सूचना नहीं दी थी और जहां भी ऐसे मामलों के बारे में पहले वालो ने बाद वालो को सूचना दी थी उनमें बाद वाले छात्रवृत्ति के भुगतान को रोकने/भुगतान की गई छात्रवृत्ति की वसूली करने में विफल रहे थे।

5.1.2 ड्रॉप आउट/छात्रों का पुनर्प्रवेश

आदर्श रूप से लाभार्थियों की डॉप आउट दर 'शून्य' या न्यूनतम होना चाहिए। विपरीतत: लाभार्थी छात्रों की दर पाठ्यक्रमों जिनमें उन्होने दाखिला लिया था उनका दूसरे, तीसरे या आगामी वर्षों में पुर्नप्रवेश दर 100 प्रतिशत होना चाहिए। पाठ्यक्रम के अगले वर्ष में खराब नवीकरण दर परीक्षा में असफलता, पाठ्यक्रम समाप्त किए बिना स्थानांतरण प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेने, आदि जैसे कारणों की वजह से लाभार्थी द्वारा शिक्षा को छोड़ देने का सूचक है। **कर्नाटक**, **तमिलनाडु** और **उत्तर प्रदेश** के तीन राज्यों में अभिलेखों/डाटाबेस की नमूना जांच से कुछ पाठ्यक्रमों में कम नवीकरण दरों का पता लगा जिसका विवरण नीचे दिया गया है।

कर्नाटक में, आठ चयनित जिलों में 80 संस्थानों की नमूना जांच से पता चला कि व्यावसयिक पाठ्यक्रमों और अन्य पाठ्यक्रमों के मामले में द्वितीय वर्ष में छात्रों का नवीकरण 62-63 प्रतिशत (4,683 छात्रों में से 2,955) तथा बी.पी.एड, एम.पी.एड, पोलीटेकनीक, बीएचएमएस, एम.टेक, बीएफए/वीवीए[16] के पाठ्यक्रमों के लिए 50 प्रतिशत से कम था (257 छात्रों में से 122) राज्य सरकार ने छात्रो के खराब पुनर्प्रवेश के लिए कारणों को सुनिश्चित नहीं किया।

[16] बी.पी एड- शारीरिक शिक्षा स्नातक, एम.पीएड- शारीरिक शिक्षा-निष्णात, पोलीटेकनीक, बीएचएमएस-होम्योपैथिक विज्ञान स्नातक, एम.टेक-तकनीकी निष्णात, बीएफए/बीवीए-ललित कला स्नातक/दृश्य कला स्नातक

उत्तर प्रदेश में, 10 चयनित जिलों के 100 संस्थानों ने अभिलेखों की नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों (45 प्रतिशत) के मामले में पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष में छात्रों के पुनर्प्रवेश की दर अन्य पाठ्यक्रमों (89 प्रतिशत) की तुलना में बहुत कम थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि सरकार ने व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिल छात्रों के खराब पुनर्प्रवेश दर के कारणों की पुष्टि नहीं की थी। परिणामस्वरूप, पाठ्यक्रम बीच में छोडने वाले छात्रों द्वारा लौटायी जाने वाली धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी।

तमिलनाडु में, सभी स्व-वित्तपोषित प्रबंधन कॉलेजों के 2015-17 की अवधि के डाटाबेस के विश्लेषण से पता चला कि शैक्षणिक वर्ष 2015-16 में डाटाबेस में जो छात्र उपलब्ध थे वे शैक्षणिक वर्ष 2016-17 में नहीं पाए गए थे जोकि यह दर्शाता है कि उन्होंने द्वितीय वर्ष में अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रखा। वर्ष 2013-15 के लिए, यह पाया गया कि 25,531 छात्र जिन्होंने 2013-14 में पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया था 2014-15 में उपलब्ध नहीं थे तथा 9,108 छात्र जिन्होंने 2015-16 में पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया था 2016-17 में उपलब्ध नहीं थे।

इस प्रकार, जबकि योजना दिशानिर्देशों ने लाभार्थियों द्वारा शिक्षा को छोड़ने के बारे में संस्थानों द्वारा सूचित किए जाने का तंत्र निर्धारित किया था, राज्य सरकारों ने पुर्नप्रवेश दर में सुधार हेतु सुधारात्मक कदमों को शुरू करने के लिए संस्थानों से ऐसी सूचना की प्राप्ति सुनिश्चित नहीं की थी।

5.2 आय सीमा के मानदंडों का पालन न करना

5.2.1 आय सीमा में संशोधन न करना

योजना दिशानिर्देश अनुबंध करते है कि 'उन विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां का भुगतान किया जाएगा जिनके माता-पिता/अभिभावकों की सभी स्त्रोतों से आय शैक्षणिक सत्र 2013-14 से प्रभावी प्रत्येक वर्ष ₹2.5 लाख से अधिक न हो'। मंत्रालय के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि **महाराष्ट्र** और **उत्तर प्रदेश** दो राज्यों ने प्रतिवर्ष ₹2.5 लाख की आय सीमा को संशोधित नहीं किया था अपितु ₹2 लाख प्रति वर्ष की पूर्व सीमा को बनाए रखा था। मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार (4 दिसम्बर 2015 और 18 जुलाई 2016) से पीएमएस-एससी के अंतर्गत संशोधित आय सीमा के कार्यान्वयन न होने के कारणों को बताने के लिए कहा

था। **महाराष्ट्र** में, जनवरी 2014 से राज्य सरकार के पास ₹2 लाख से ₹2.5 लाख प्रति वर्ष की आय सीमा के संशोधन के लिए प्रस्ताव लंबित था।

इस प्रकार, वह विद्यार्थी जिनकी माता-पिता/अभिभावक की आय प्रति वर्ष ₹2 लाख से लेकर ₹2.5 लाख थी उन्हें योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति से वंचित रखा गया था।

5.2.2 माता-पिता की आय की गणना करने का गलत मापदंड

योजना दिशानिर्देशों[17] के अनुसार, उन छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएगी जिनके माता-पिता की आय सभी स्त्रोतों से ₹2.5 लाख प्रतिवर्ष[18] से अधिक न हो/ माता-पिता/ अभिभावक की आय की गणना करते समय मकान किराया भत्ता (एचआरए) की छूट[19] है। **तमिलनाडु** में, राज्य सरकार ने एचआरए सहित अपने कुछ कार्यालयों[20] में कार्य कर रहे माता-पिता/अभिभावक की आय की गणना में महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई वेतन (डीपी) की छूट के लिए आदेश जारी किए थे (सितम्बर 1981)। इसके परिणामस्वरूप, उन अपात्र लाभार्थियों का भी कवरेज हो गया जिनके माता-पिता की आय डीए और/ या डीपी मिलाकर योजना दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित सीमा से अधिक थी और इसके कारण आगे राजकोष पर अतिरिक्त भार पड़ा।

मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2017) कि दिशानिर्देशों में राज्यों द्वारा मानदंडों की छूट पर कुछ नहीं कहा गया था और यह मामला राज्यों के समक्ष उठाया गया है।

5.3 छात्रवृत्ति के कुछ घटकों को निकाला जाना

योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, छात्रवृत्ति में पाठ्यक्रम की संपूर्ण अवधि के लिए (i) अनुरक्षण भत्ता, (ii) अनिवार्य वापस न किए जाने वाले शुल्क की प्रतिपूर्ति (iii)अध्ययन दौरा प्रभार,(iv) अनुसंधान छात्रों के लिए थीसिस टाइपिंग/मुद्रण प्रभार,(v) पत्राचार पाठ्यक्रम करने वाले छात्रों के लिए पुस्तक भत्ता, (vi)विशिष्ट

---

[17] प्रावधान सं. IV साधन जांच

[18] अकादमिक सत्र 2013-14 से प्रभावी

[19] बिंदु सं iv के नीचे दी गई टिप्पणी 2 'साधन जांच' से संबंधित है।

[20] सरकारी कर्मचारी, शिक्षण/गैर-शिक्षण, स्थानीय निकायों का स्टाफ, सहायता-प्राप्त संस्थानों में शिक्षक, अर्द्ध-सरकारी कर्मचारी, अन्य स्वायत्त निकाय और निगम और सरकारी उपक्रम

पाठ्यक्रमों के लिए पुस्तक बैंक सुविधा तथा (vii) विकलांग छात्रों हेतु अतिरिक्त भत्ता। चयनित राज्यों में, लेखापरीक्षा ने छात्रवृत्ति के घटकों का निकाला जाना पाया था जैसाकि **तालिका-7** में तालिकाबद्ध किया गया है:

तालिका-7: छात्रवृत्ति के कुछ घटकों को निकाले जाने के विवरण

अवधि	कार्यान्वित न किए गए घटक	टिप्पणियां
कर्नाटक		
2012-17	पुस्तक बैंक (केवल आंशिक रूप से कार्यान्वित)	राज्य में कुल 14,071 संस्थानों में से 237 संस्थानों में पुस्तक बैंक स्थापित किए गए थे।
पंजाब		
2013-17	थीसिस/टंकण प्रभार, विकलांग विधार्थियों के लिए अतिरिक्त भत्ता तथा पुस्तक भत्ता (2013-14 को छोड़कर)	राज्य ने उसे कार्यान्वित नहीं किया था।
2012-17	पुस्तक बैंक सुविधा	नोडल विभाग ने निधियां जारी नहीं की थी।
महाराष्ट्र		
2012-17	अध्ययन दौरा प्रभार, अनुसंधान छात्रों के लिए थीसिस टंकण/मुद्रण प्रभार, पुस्तक भत्ता, विकलांग छात्रों के लिए अतिरिक्त भत्ता तथा पुस्तक बैंक सुविधा।	पुस्तक बैंक के लिए आवंटित बजट के केवल 52 प्रतिशत का उपयोग पुस्तक बैंक की स्थापना के लिए किया गया था। कुछ व्यावसायिक संस्थानों में पुस्तक बैंक सुविधा की गैर स्थापना के मामले[21] पाए गए थे।
तमिलनाडु		
2012-17	अध्ययन दौरा प्रभार, अनुसंधान छात्रों के लिए थीसिस टंकण/मुद्रण प्रभार और पुस्तक बैंक	विभाग ने इसका कारण कार्यान्वयन में स्पष्टता की कमी को बताया।
2013-17	पुस्तक भत्ता	विभाग ने गैर-कार्यान्वयन का कारण भत्ते के अधिक भुगतान पर नियंत्रण का कार्य करने में कठिनाई को बताया क्योंकि उसी पाठ्यक्रम के लिए विभिन्न अध्ययन केन्द्रों द्वारा अलग-अलग शुल्क का दावा किया गया था।

[21] उदाहरणार्थ: बीजे सरकारी मेडिकल कॉलेज, पुणे ने बताया कि वे इस योजना के बारे में सचेत नहीं थे।

2012-17	विकलांग छात्रों के लिए अतिरिक्त भत्ता	विभाग ने इसका कारण विकलांग छात्रों हेतु अलग योजना की मौजूदगी को बताया।
उत्तर प्रदेश		
2012-17	अध्ययन दौरा प्रभार,टंकण/मुद्रण प्रभार, पुस्तक भत्ता, विकलांग छात्रों के लिए पुस्तक बैंक सुविधा और भत्ता	राज्य ने उसे कार्यान्वित नहीं किया।

महाराष्ट्र में, अमरावती जिले में, 2015-16 के दौरान पुस्तक बैंक के लिए राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा क्रमश: ₹12.81 लाख और ₹32 लाख जारी किए गए थे जबकि निर्धारित मानदंडो[22] के अनुसार, पुस्तक बैंक घटक पर व्यय केन्द्र/राज्यों के बीच 50-50 के आधार पर बंटा होना चाहिए था। ₹44.81 लाख के कुल उपलब्ध निधि में से, सहायक आयुक्त समाज कल्याण, अमरावती ने ₹24.44 लाख जारी किए थे और राज्य सरकार को ₹20.37 लाख की शेष राशि का अभ्यर्पण कर दिया था। राज्य सरकार द्वारा पुस्तक बैंक के लिए निधि के कम निर्गम के कारण एससी विद्यार्थियों को ₹20.37 लाख की लागत वाली पुस्तकों का लाभ नहीं मिला।

5.4 एससी छात्रों से शुल्क प्रभारित करने की अनियमित प्रक्रिया

अप्रैल 1995 में, पूर्ववर्ती कल्याण मंत्रालय ने योजना के लिए संस्वीकृति और संवितरण प्रक्रिया व्यवस्थित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे जहां उन्होने सभी राज्य सरकारों को निर्देश देने के साथ-साथ निजी संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों को निर्देश दिये ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पात्र एससी छात्रों से किसी प्रकार का अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क-एकत्रित न किया जा सके क्योंकि यह सीधा राज्य सरकार/संस्वीकृत करने वाले प्राधिकारी द्वारा संस्थानों को प्रदान की जाएगी। इन निर्देशों के उल्लंघन में, हमने 2012-17 के दौरान **कर्नाटक**, **महाराष्ट्र**, **पंजाब** और **तमिलनाडु** के चार राज्यों में पात्र एससी छात्रों से शुल्क एकत्रित किए जाने के मामले पाए गए थे जैसा कि नीचे दिया गया है:

[22] 2015-16 के दौरान केन्द्रीय सहायता मांगने वाले राज्यों से प्रस्तावों से संबंधित मंत्रालय के पत्र (सितम्बर 2015) के अनुसार।

कर्नाटक में, लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन[23] चयनित जिलों में, 80 चयनित संस्थानों में से 52 ने एससी छात्रों से पूरा शुल्क प्राप्त करने के बाद उन्हें दाखिला दिया। उन छात्रों से प्राप्त शुल्क के ब्यौरे मौजूद नहीं थे। ऐसे मामले पाए गए थे जहां संस्थानों ने पहले पात्र एससी छात्रों से शुल्क एकत्रित किया था तथा बाद में सरकार से उसे प्राप्त होने के पश्चात् भी प्रतिपूर्ति नहीं की गई थी जैसाकि पैरा ग्राफ सं.5.6 में उल्लेख किया गया है।

महाराष्ट्र में, एक संस्थान ने 2012-17 के दौरान पहले उल्लिखित आदेशों का उल्लंघन करते हुए 101 छात्रों से शुल्क के रूप में ₹52.62 लाख की धनराशि वसूल की।

पंजाब में, 2013-17 के दौरान, चयनित 60 संस्थानों में से 29 संस्थानों[24] (**अनुबंध-8** में सूचीबद्ध) ने परीक्षा शुल्क/स्कूल निधि/पंजीकरण शुल्क/आदि के संबंध में 39,213 छात्रों से ₹10.14 करोड़ की राशि प्रभारित की थी।

माननीय पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय (अक्तूबर 2014) के परिणामस्वरूप, निजी संस्थानों को एससी छात्रों से शुल्क वसूलने की अनुमति दी गई थी बशर्ते कि वे सरकार से शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु दावा न करें। इसलिए, ऐसे मामलों में संपूर्ण छात्रवृत्ति को सीधे लाभार्थी के खाते में संवितरित किया जाना चाहिए था। ऐसे मामले जहां निजी संस्थानों ने छात्रों से शुल्क एकत्रित किया था और राज्य सरकार से उसका दावा किया था परंतु छात्रों को उसकी प्रतिपूर्ति नहीं की गई थी जिस पर पैराग्राफ 5.6 में टिप्पणी की गई है। इसलिए, इन मामलों में, छात्रवृत्ति की पूरी राशि सीधे लाभार्थी के खाते में वितरित करनी थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य पोर्टल के पास हालांकि इन मामलों की पहचान के लिए आवश्यक कॉलम मौजूद नहीं थे जहाँ संस्थान की बजाय छात्र को शुल्क की प्रतिपूर्ति होने वाली सूचना को दर्ज किया जाता।

तमिलनाडु में, राज्य सरकार ने आदेश दिया (सितम्बर 2012) कि सरकारी स्वीकृत पाठ्यक्रमों में प्रबंधन कोटा के अंतर्गत एससी छात्रों को प्रवेश देने वाले स्ववित्तपोषित निजी कॉलेजों को पात्र एससी छात्रों से जिसे की छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाएगा एकत्र नहीं करना चाहिए। आदि-द्रविदार कल्याण

[23] बेलगवी, शिवामोग्गा एवं यादगिर

[24] 14 निजी संस्थान शामिल थे जिसका उल्लेख पैराग्राफ सं.5.6 में किया गया है।

आयुक्त (सीएडीडब्ल्यू[25]) को प्रत्येक वर्ष, वर्ष के शुरूआत में ही पीएमएस के अंतर्गत संबंधित स्व-वित्तपोषित निजी कॉलेजों को पीएमएस के अंतर्गत अपेक्षित निधियों को आवंटित कर देना चाहिए था। आठ चयनित जिलों में से चार[26] में, लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य सरकार के निर्देशों के उल्लंघन में, 56 स्व-वित्तपोषित संस्थानों में से सात[27] संस्थानों ने छात्रवृत्ति हेतु पात्र 8,491 एससी छात्रों से अग्रिम रूप में ₹7 करोड़ की राशि का शुल्क एकत्रित किया था और राज्य सरकार से उसकी प्राप्ति के पश्चात् शुल्क की प्रतिपूर्ति की थी। इसके अतिरिक्त, पाँच[28] कॉलेजों में 2005-17 की अवधि हेतु ₹23.38 लाख की राशि की असंवितरित छात्रवृत्ति नवम्बर 2017 तक संस्थानों के बैंक खाते में पड़ी हुई थी।

राज्यों द्वारा मंत्रालय के दिशानिर्देशों कि पात्र छात्रों से शुल्क एकत्रित नहीं किया जाएगा, को सुनिश्चित करने का पालन न करने के कारण छात्रो पर अनापेक्षित वित्तीय बोझ पड़ा और योजना के उद्देश्यों को नष्ट किया। इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र नहीं था कि इस प्रकार से छात्रों से संग्रहित शुल्क को राज्य सरकार द्वारा इसकी प्राप्ति के बाद संस्थान द्वारा उन्हें लौटा दिया गया था।

5.5 शुल्क निर्धारण समिति द्वारा संस्थानों की शुल्क संरचना का अनुमोदन

मंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा (सितम्बर 2015) कि वह सुनिश्चित करें कि इस्लामी शिक्षा अकादमी तथा अन्य बनाम कर्नाटक राज्य तथा अन्य में सर्वोच्च न्यायालय 1993 के डब्ल्यूपीसी 350 के आदेशों के अनुसार शुल्क निर्धारण समिति (एफएफसी) द्वारा संस्थानों के शुल्क दावों को विनियमित किया जाना

---

[25] तमिलनाडु में योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति के संवितरण के लिए आदि-द्रविदर कल्याण आयुक्त (सीएडीडब्ल्यू) नोडल अधिकारी हैं।

[26] मदुरै, विरूदुनगर, पुदुकोट्टाई और कांचीपुरम

[27] मेपको श्लैंक अभियांत्रिकी महाविद्यालय (निजी), जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (सरकार), अरपुथा कला एवं विज्ञान कॉलेज, पुदुकोट्टाई, महिला हेतु श्री भारती कला एवं विज्ञान कॉलेज, पुदुकोट्टाई, श्री शंकर कला एवं विज्ञान कॉलेज, एसडीएमबी वैष्णव कला एवं विज्ञान कॉलेज, कांचीपुरम, डॉ अरूलप्पा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नीरपायर, कांचीपुरम

[28] एसडीएनबीवी कला एवं विज्ञान कॉलेज, डॉ अरूलप्पा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नीरपायर, कांचीपुरम जिला, जया पोलटेक्नीक, तिरूनीनरावुर, तिरूवल्लुर, थीयागरजर अभियांत्रिकी कॉलेज, मदुरई कामराज विश्वविद्यालय, दूरस्थ शिक्षा केन्द्र।

चाहिए। इसके अलावा, राज्य सरकारें भी अपने राज्य में विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए संस्थानों द्वारा लगाए जाने वाले शुल्क का निर्धारण करते हैं।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि **कर्नाटक** में किसी शुल्क निर्धारण समिति का गठन नहीं हुआ था। हालांकि, राज्य सरकार ने सरकारी सहायता प्राप्त/बिना सहायता प्राप्त/मानित विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क निर्धारित किया।

तमिलनाडु में, 80 चयनित संस्थानों में से सात[29] (चार कॉलेज, एक विद्यालय, एक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान और एक विश्वविद्यालय), ने 1,552 पात्र एससी छात्रों से 2012-17 कि अवधि के दौरान राज्य सरकार की शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क के आधिक्य में प्रबंधन ने ₹4.55 करोड़ का शुल्क एकत्रित किया था।

राज्य सरकार ने रिकार्ड में न दिए गए कारणों के लिए स्व-वित्त कॉलेज में सभी पाठ्यक्रमों, बीसीए, बीएससी (नर्सिंग), एम.एससी (सीएस एवं आईटी) जैसे कुछ पाठ्यक्रमों को छोड़कर चिकित्सा तथा इंजीनिरिंग पाठ्यक्रमों के लिए राज्य सरकार ने शुल्क सरंचना निर्धारित की थी। कुछ पाठ्यक्रमों के लिए अध्यापन शुल्क के गैर निर्धारण के कारण, एसडीएनबी वैष्णव कला एवं विज्ञान कॉलेज ने पाठ्यक्रम के नाम/कोड उन पाठ्यक्रमों में बदल दिए थे जिनका शुल्क निर्धारित था उदाहरणस्वरूप बीकॉम, बीएससी आदि पर 2012-13 के दौरान 668 छात्रों के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल था ताकि वह छात्रवृत्ति का दावा कर सके। अन्य उदाहरण जहां पात्र एससी छात्रों को कुछ पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क के गैर-निर्धारण के कारण छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित हुए थे, उनका उल्लेख पैराग्राफ सं. 5.6 में किया गया है।

संस्थानों द्वारा प्रभारित शुल्क को निर्धारित न किए जाने के कारण संस्थान अपने पाठ्यक्रमों मनमाना शुल्क प्रभारित कर सकते हैं जिसके कारण योजना पर अनावश्यक बोझ पड़ सकता है।

---

[29] भारती कला एवं विज्ञान कॉलेज, पुदुकोट्टाई; अरपुथा कला एवं विज्ञान कॉलेज, पुदुकोट्टाई; वेल्लाम्मलन नर्सिंग कॉलेज; विलाम्मल नर्सिंग विद्यालय; मेपको श्लेंक अभियांत्रिकी कॉलेज; जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान; अन्नामलाई विश्वविद्यालय

5.6 निर्धारित मानदंडों के उल्लंघन में छात्रवृत्ति से इनकार/कम प्रतिपूर्ति

हमने पाया कि तीन चयनित राज्यों में 31,290 पात्र छात्रों को गलत आय मानदंड लगाने, शुल्क निर्धारण समिति द्वारा शुल्क का निर्धारण न करना, आदि जैसे अनुचित कारणों के कारण 2012-17 की अवधि के दौरान कुल ₹6.89 करोड़ की या तो छात्रवृत्ति से इनकार कर दिया या फिर कम प्रतिपूर्ति की थी जैसा कि **तालिका-8** में दिया गया है:

तालिका-8: छात्रवृत्ति से इनकार/कम प्रतिपूर्ति के विवरण

राज्य	लाभार्थियों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	अवधि	टिप्पणी
कर्नाटक	4,221	1.52	2012-17	योजना मानदंडों के उल्लंघन में संस्थान ने शुल्क एकत्रित की परंतु उसकी प्रतिपूर्ति उन छात्रों को नहीं की जो संस्थानों में उत्तीर्ण हुए थे।
पंजाब	32	0.01	2013-16	बिना किसी कारण के या उत्तीर्ण प्रतिशतता लगाकर और ₹2 लाख का आय मापदंड लगाकर छात्रों को छात्रवृत्ति से इनकार कर दिया था जोकि योजना का भाग नहीं था।
	9,696	1.45	2012-17	योजना मानदंडों के उल्लंघन में, 18 चयनित सरकारी संस्थानों में से 11 ने 11,830 छात्रों से शुल्क एकत्रित किया (विवरण **अनुबंध-9** में है) और राज्य सरकार से कथित राशि का दावा किया था। इन छात्रों में से कम से कम 9,696 छात्रों को शुल्क की प्रतिपूर्ति नहीं हुई थी। इसके अतिरिक्त, इन छात्रों ने संस्थानों को छोड़ दिया था (2016-17 के प्रथम वर्ष छात्रों को छोड़कर)
	17,288	3.65	2013-17	योजना मानदंडों के उल्लंघन में, 14 संस्थानों ने शुल्क एकत्रित किया परंतु उसकी प्रतिपूर्ति छात्रों को नहीं की थी।

राज्य	लाभार्थियों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	अवधि	टिप्पणी
तमिलनाडु	40	0.25	2014-17	इन छात्रों को अध्यापन शुल्क की कम प्रतिपूर्ति हुई थी क्योंकि एफएफसी द्वारा निर्धारित शुल्क के नए दरों को ऑनलाइन संवितरण छात्रवृत्ति को शामिल नहीं किया गया था।
	13	0.01	2013-17	पाठ्यक्रम हेतु शुल्क के निर्धारण न किए जाने के कारण सीएडीडब्ल्यूओ ने अध्यापन शुल्क संस्वीकृत नहीं की थी।
कुल	**31,290**	**6.89**		

उपरोक्त के अलावा, पत्राचार/दूरस्थ शिक्षा के पाठ्यक्रमों का गैर-अनुमोदन, एफएफसी द्वारा शुल्क का निर्धारण न किए जाना के कारण छात्रवृत्ति से इनकार के मामले पाए गए थे और आधार विवरणों की अनुपलब्धता के कारण आवेदन की अस्वीकृति हुई थी जहां वित्तीय विवक्षा का पता नहीं लगाया जा सका था जिसका सार नीचे दिया गया है:

महाराष्ट्र

- योजना दिशानिर्देश के पैरा III के खंड (IX) के अनुसार, व्यस्क शिक्षा की योजना के अंतर्गत पंजीकृत छात्र योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति का लाभ उठाने हेतु पात्र थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि इग्नू (नागपुर क्षेत्रीय केन्द्र) के 1,926 पात्र एससी छात्र जोकि जनवरी 2012 से जुलाई 2017 की अवधि के दौरान पंजीकृत थे, उन्हे योजना के लाभों से वंचित रखा गया था।
- एसजेएसएडी[30] ने 2015 में पत्राचार पाठ्यक्रमों को छात्रवृत्ति प्रदान न करने का निर्णय लिया था क्योंकि उन्होंने संस्थानों के संबंधन और उनके द्वारा पाठयक्रमों को प्रदान की जा रही मान्यता को सत्यापित करने में कठिनाई आ रही थी।

[30] महाराष्ट्र में, सामाजिक न्याय विभाग और विशेष सहायता विभाग (एसजेएसएडी) योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक विभाग है।

तमिलनाडु

राज्य सरकार ने स्ववित्तपोषित कॉलेजों में सभी पाठ्यक्रमों, चिकित्सा तथा इंजीनियरिंग पाठयक्रमों के लिए शुल्क अवसंरचना निर्धारित की थी परंतु पांच पाठ्यक्रमों अर्थात् बीसीए, बीएससी (नर्सिंग) और एमएससी (सीएस एवं आईटी) के लिए शुल्क अवसंरचना अनुपलब्ध कारणों से निर्धारित नहीं की थी। 16 कला और विज्ञान कॉलेजों में से आठ में यह तीन पाठ्यक्रम करने वाले 379 पात्र एससी विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा शुल्क का निर्धारण न किए जाने के कारण 2012-17 के दौरान छात्रवृत्ति से वंचित रखा गया था।

- इसके अतिरिक्त, 27 छात्र जिन्होंने आधार विवरणों के साथ अपने आवेदन अपडेट नहीं किए थे उन्हे मदुरै जिले में चयनित दस संस्थानों में छात्रवृत्ति से इन्कार कर दिया गया था जबकि मंत्रालय ने स्पष्ट किया था कि किसी छात्र को उसके देय लाभों से इनकार नहीं किया जाना चाहिए यदि वह अपना आधार आईडी प्रस्तुत नहीं कर पाता है।
- मदुरै कामराज विश्वविद्यालय में, 1,437 छात्रों को छात्रवृत्ति और भरथीयार विश्वविद्यालय कोयम्बटूर में 18 छात्र जो कि वर्ष 2013-14 से 2016-17 के वर्षों के दौरान पत्राचार के अंतर्गत पाठ्यक्रम कर रहे थे, उन्हें छात्रवृत्ति संस्वीकृति नहीं की गई थी क्योंकि राज्य सरकार ने 2013-14 से पत्राचार दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों के माध्यम से अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए छात्रवृत्ति का भुगतान बंद कर दिया था जोकि योजना दिशानिर्देशों का उल्लंघन था। विभाग ने बताया (दिसम्बर 2017) कि यह निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि यह पता करने का कोई तंत्र नहीं था कि क्या दूरस्थ शिक्षा के छात्र वास्तव में पढ़ाई कर रहे थे और कुछ अध्ययन केन्द्र जो फ्रेन्चाइज मोड के माध्यम से कार्य कर रहे थे, जो छात्रों से ऐसे शुल्क एकत्रित कर रहे थे जोकि ऐसे छात्रों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित शुल्क से अधिक था। विवरणों के सत्यापन हेतु तंत्र की अनुपस्थिति के आधार पर दूरस्थ शिक्षा के छात्रों को योजना के लाभ से वंचित रखना तर्क संगत नहीं है।

5.7 लेखापरीक्षा सारांश

योजना दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने के कारण पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश तीन राज्यों में 4,267 छात्रों जिन्होंने या तो मध्य-सत्र में पाठ्यक्रम छोड़ दिया था, लंबी अवधि से अनुपस्थित थे या स्थानांतरण प्रमाणपत्र प्राप्त किया था, उनसे ₹2.14 करोड़ की राशि की छात्रवृत्ति की वसूली नहीं हुई थी। इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र और उत्तरप्रदेश ने आय सीमा को ₹2.5 लाख प्रतिवर्ष तक संशोधित नहीं किया था जबकि पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तरप्रदेश ने योजना के कुछ घटकों को कार्यान्वित नहीं किया था। कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब एवं तमिलनाडु में योजना प्रावधानों के उल्लंघन में 2012-17 के दौरान पात्र एससी छात्रों से संस्थानों द्वारा शुल्क को एकत्रित किए जाने के मामले थे। कर्नाटक में शुल्क निर्धारण समिति का गठन नहीं हुआ था और कर्नाटक, पंजाब और तमिलनाडु के तीन राज्यों में 31,290 पात्र छात्रों को गलत आय मानदंड लगाने, शुल्क निर्धारण समिति द्वारा शुल्क के कम निर्धारण के कारण 2012-17 की अवधि के दौरान छात्रवृत्ति से वंचित रखा गया। ₹6.89 करोड़ की छात्रवृत्ति की कम प्रतिपूर्ति की गई थी। इन कारको से संबंधित संभावित जोखिम नीचे तालिकाबद्ध किए गए है:

कारक	शामिल जोखिम
छात्रों का उच्च ड्रापआउट/कम पुर्नप्रवेश दर।	योजना के अभिप्रेत उद्देश्य की प्राप्ति न होना।
सीमा-आय का पालन न करना	संभावित पात्र लाभार्थियों को लाभ से वंचित करना जोकि वैसे तो योजना के अंतर्गत कवर होने थे।
कुछ घटकों का कार्यान्वयन नहीं होना	पात्र लाभार्थियों को योजना के संपूर्ण लाभ से इनकार।
माता-पिता की आय की गणना करते समय महंगाई भत्ते/वेतन की छूट	भारत सरकार पर अतिरिक्त भार क्योंकि योजना का लाभ अपात्र छात्रों को मिल सकता है।
एससी छात्रों से शुल्क प्रभारित करने का अनियमित प्रचलन	गरीब एससी छात्रों को अनुचित वित्तीय कठिनाई जो स्थायी रूप से पढ़ाई छोड़ सकते है।
शुल्क निर्धारण समिति द्वारा संस्थानों की शुल्क सरंचना का अनुमोदन न किया जाना	गरीब एससी छात्र जिन्हें निर्धारित सीमा से अधिक शुल्क के अतिरिक्त भार का वहन करना पड़ सकता है, उन पर आर्थिक कठिनाई।

***

आवेदन पत्रों की अपर्याप्त संवीक्षा तथा प्रसंस्करण

छात्रवृत्ति प्रदान करने में अंतर्निहित मुद्दों में डीएसडब्ल्यूओ/संस्थानों द्वारा पात्र अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत आय/जाति/व्यवसाय प्रमाणपत्रों (या ऑनलाइन या हार्ड कापी) का संबंधित निर्गम प्राधिकरणों जैसे राज्य शिक्षा बोर्ड, राजस्व प्राधिकरण आदि के साथ पात्र अभ्यार्थियों की वास्तविकता का सत्यापन करना शामिल है। हमने ऐसे प्रमाणपत्रों की बेमेलता के निम्नलिखित उदाहरण पाए जिससे उन पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान हो सकता है।

6.1 प्रमाणपत्रों और विभागीय अभिलेखों/डाटाबेस के बीच बेमेलता

तमिलनाडु और **उत्तर प्रदेश** दो राज्यों में, नमूना जांच किए गए 2,420 आवेदनों में से 117 आवेदनों में, प्रमाणपत्रो तथा या अन्य विवरण और ऑनलाइन पर उपलब्ध, विभागीय अभिलेख तथा प्रत्यक्ष आवेदन पत्रों के बीच बेमेलता थी जिससे अपात्र विद्यार्थियों द्वारा इस योजना के अंतर्गत लाभ उठाने का जोखिम होता है।

तमिलनाडु

- लेखापरीक्षा ने 160 विद्यार्थियों (64 चयनित संस्थानों में से आठ[31] में) में से 12 से संबंधित आय/जाति/व्यवसाय प्रमाणपत्रों में अंतर पाए थे जहाँ संस्थानों के अभिलेखों की तुलना प्रमाणपत्रों की वास्तविक प्रतियों और ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध सूचना के साथ की गई थी।
- नमूना जाँच किए 1600 आवेदनों में से 15 कॉलेजों/विद्यालयों[32] से संबंधित 53 आवेदनों जिन पर ₹10.64 लाख की छात्रवृत्ति वितरित की गई थी, के संबंध में आय/जाति प्रमाणपत्र रिकार्ड में नहीं पाए गए थे।

---

[31] एसआरआर इंजीनियरिंग कॉलेज; श्री संकारा कला एवं विज्ञान कॉलेज; पीएसजी कला एवं विज्ञान कॉलेज; रंगनाथन इंजीनियरिंग कॉलेज; शकथी इंजीनियरिंग कॉलेज; ईश्वरी इंजीनियरिंग कॉलेज, जया पोलीटेक्निक कॉलेज; जया इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी कॉलेज

[32] ईश्वरी इंजीनियरिंग कॉलेज, तिरूवल्लूर जिला, वैंकटेश्वर इंजीनियरिंग कॉलेज तिरूवैल्लूर, आरएमजी राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, एलएन सरकारी कॉलेज, तिरूवेल्लूर, सेगरीपुथुर तथा मडुक्कराई में दो राजकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय, कोयम्बटूर पीएसजी कला और विज्ञान कॉलेज, सक्थी इंजीनियरिंग कॉलेज तथा रंगानाथन इंजीनियरिंग कॉलेज, कोयम्बटूर, सरकारी कला कॉलेज कायम्बटूर, चेंगलीपेट चिकित्सा कॉलेज, सरकारी कला और विज्ञान कॉलेज, उथीरामरूर, कांचीपुरम, श्रीकृष्ण पौद्योगिकी संस्थान, कांचीपुरम, डा. अरूलप्पा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, राजकीय बालिका उ.मा.वि.।

- पांच जिलों[33] में चयनित 50 संस्थानों में से सात संस्थानों के 140 विद्यार्थियों में से सात द्वारा प्रस्तुत प्रमाणपत्रों का संबंधित निर्गम प्राधिकरण के साथ क्रास सत्यापन करने से गलत आय/समुदाय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने विद्यार्थियों द्वारा माता-पिता के व्यवसाय की गलत सूचना देने, प्रमाणपत्र जारी करने की तिथि/ सरकारी मुहर में फेर-बदल करने तथा प्रस्तुत किए गए अन्य दस्तावेजों के साथ पते का मेल न खाने के उदाहरण प्रकट हुए।
- तालुक कार्यालय, कोयम्बटूर (दक्षिण) में 15 समुदाय प्रमाणपत्रों के सत्यापन से पता चला है कि चार प्रमाणपत्र असली नहीं थे।

उत्तर प्रदेश

- तीन चयनित जिलों (आगरा, इलाहाबाद ओर मथुरा) में छात्रवृत्ति पोर्टल पर उपलब्ध 600 विद्यार्थियों में से 30 के आय प्रमाणपत्र संबंधित संस्थानों में उपलब्ध दस्तावेजों के साथ मेल नहीं खाते थे।
- छात्रवृत्ति पोर्टल में उपलब्ध नौ[34] संस्थानों में 180 विद्यार्थियों में से नौ के जाति प्रमाणपत्र तथा दो[35] संस्थानों में 40 विद्यार्थियों में से दो के हाईस्कूल प्रमाणपत्र में संस्थानों में उपलब्ध प्रमाणपत्रों की प्रतियों के साथ मेल नहीं खाते थे।

तमिलनाडु में तीन मामलों में, लाभार्थी सर्वेक्षण से आवेदन पत्र में विद्यार्थी द्वारा घोषित माता-पिता के व्यवसाय की सर्वेक्षण प्रश्नावली में दिए गए व्यवसाय की तुलना से बेमेलता भी प्रकट हुई। **उत्तर प्रदेश** में लाभार्थी सर्वेक्षण में, सर्वेक्षित 973 विद्यार्थियों में से 49 मामलों में इसी तरह की बेमेलता प्रकट हुई थी।

---

[33] कोयम्बटूर, कुड्डलोर, कॉचीपुरम, पुडुकोटाई तथा तिरूवैल्लूर।

[34] आगरा: रघुराम कॉलेज कागरोल, राजा एसपी सिंह डिग्री कॉलेज इटौरा, सेठ राम स्वरूप गोविन्दी देवी मेमोरियल डिग्री कॉलेज तथा श्री लाल सिंह डिग्री कॉलेज अविधगढ़, इलाहाबाद: सरदार पटेल इंटर कॉलेज सिकरी, राजनायाण पांडे पीजी कॉलेज तथा प्रताप नरायण सुभद्रा देवी डिग्री कॉलेज और मथुरा: बिज हितकारी इंटर कॉलेज बजना तथा ऊषा एजूकेशनल संस्थान।

[35] मथुरा: श्री बाबूलाल महाविद्यालय, तथा जसवंत सिंह प्रौद्योगिकी संस्थान, मथुरा।

6.2 अपात्र विद्यार्थियों को दी गई छात्रवृत्ति/छात्रवृत्ति के अग्राह्य दावे

हमने छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त करने वाले अपात्र विद्यार्थियों के साथ-साथ छात्रवृत्ति के अग्राहय/दुगुने दावे अनुमोदित करने के उदाहरण पाए।

6.2.1 अपात्र विद्यार्थियों को दी गई छात्रवृत्ति

उत्तर प्रदेश में 374 अपात्र विद्यार्थियों को ₹1.95 करोड़ राशि की छात्रवृत्ति का अनियमित भुगतान पाया गया था जिसकी आगे चर्चा की गई है।

- विद्यालय के उप-निरीक्षक जोकि संस्थान के डाटा की यथार्थता को सत्यापित करता है द्वारा दिसम्बर 2014 में संस्थान को अपात्र घोषित करने के पश्चात भी 2015-17 में जिला बिजनौर के दो संस्थान[36] के 367 विद्यार्थियों को ₹1.95 करोड़ की छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया।

- बिजनौर तथा मथुरा दो जिलों में सात विद्यार्थियों (छ: जिनके माता-पिता की आय ₹2 लाख से अधिक तथा एक जिसकी माता-पिता की आय ₹5 लाख थी) को 2015-16 के दौरान ₹57,669 की छात्रवृत्ति दी गई थी। डीएसडब्ल्यूओ बिजनौर ने संबंधित बैंकों को छात्रवृत्ति रोकने के लिए पत्र लिखे (फरवरी, मार्च 2016)। तथापि, नवम्बर 2017 तक कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

6.2.2 छात्रवृत्ति के अग्राह्य दावे

पंजाब में, चयनित छ: जिलों से चार[37] में इलैक्ट्रानिक डाटा (2013-14 के लिए 85,166 लाभार्थी) तथा 17 संस्थानों[38] (2012-17 के 13,997 लाभार्थी) के विश्लेषण से पता चला कि 115 एससी विद्यार्थियों के विवरण अर्थात् नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि आदि दो बार दर्शाए गए हैं जिससे यह प्रकट होता है कि

---

[36] धर्मवीर डिग्री कॉलेज बिजनौर और धर्मवीर शिक्षा कॉलेज बिजनौर

[37] (i) होशियारपुर, (ii) जालंधर, (iii) मोगा, तथा (iv) पटियाला

[38] नैंसी पॉलीटेक्निक कॉलेज, आर्दश पोलीटेक्निक कॉलेज, पटियाला पोलीटेक्निक कॉलेज राखरा,पंजाब यूनिवर्सिटी, आईटीआई पटियाला: जीएसएसएस नाभाजी, जीएसएसएस होशियारपुर, जीएसएसएस बाघा पुराना, जीजीएसएसएस मोगा, मेहर चन्द पोलीटेक्निक कॉलेज जालंधर, सत्यम कॉलेज ऑफ पोलीटेक्निक डीएवी कॉलेज ऑफ एजू. एसजीजीएस खालसा कॉलेज, संत हरि सिंह मेमोरियल महिला कॉलेज, डीएवी कॉलेज होशियारपुर, सरकारी होशियारपुर कॉलेज, बीसीएमएस पोलीटेक्निक, अटलगढ़।

इन विद्यार्थियों के साथ-साथ संबंधित संस्थानों ने गलत विवरण प्रस्तुत करके दो बार ₹59.12 लाख के शुल्क तथा अनुरक्षण भत्ते का दावा किया था। विभाग ने वर्ष 2014-15 के लिए ₹9.92 लाख का भुगतान रोक दिया था तथा वर्ष 2016-17 के लिए ₹1.28 लाख का भुगतान रोक दिया था। विभाग ने बताया (अक्तूबर 2017) कि वर्ष 2013-14 तथा 2015-16 के लिए दी गई राशि को अगला भुगतान करते समय समायोजित किया जाएगा तथा वर्ष 2016-17 में कोई भुगतान नहीं किया गया था।

एक अन्य मामले में, हाई-टैक पॉलीटेक्निक कॉलेज, भटिंडा ने 2015-16 के दौरान योजना के बारे में विज्ञापन देकर निकट के एससी विद्यार्थियों से दस्तावेज एकत्र करके छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र अपलोड करने में उनकी सहायता की। इन विद्यार्थियों में से, 81 विद्यार्थी संस्थान में नहीं गए और संस्थान ने भी इस संबंध में डीडब्ल्यूएससीबीसी को सूचित नहीं किया। हाई-टैक पोलीटेक्निक कॉलेज भटिंडा के अभिलेखे की पोर्टल डाटा के साथ क्रास सत्यापन करने से पता चला कि उक्त कॉलेज ने 398 वास्तविक विद्यार्थियों के सापेक्ष पोर्टल पर 479 विद्यार्थियों के फीस तथा एमए का दावा किया तथा विभाग द्वारा संबंधित संस्थान को उक्त दावे का भुगतान किया गया था जिसके परिणामस्वरूप 81 बोगस विद्यार्थियों के सापेक्ष ₹26.02 लाख की प्रतिपूर्ति हुई। विभाग ने बताया (अक्तूबर 2017) कि अधिक दी गई राशि का अंतिम भुगतान करते समय निपटान किया जाएगा तथा संस्थान के प्रति आवश्यक कार्रवाई आरंभ करने के लिए कार्यान्वयन विभाग को निर्देश जारी किए जाएंगे।

6.3 बैंकर चैकों में विसंगतियां

उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद और सहारनपुर जिलों में लेखापरीक्षा ने पाया कि डीएसडब्ल्यूओ द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों में ₹9.42 करोड़ (इलाहबाद: ₹0.03 करोड़ तथा सहारनपुर: ₹9.39 करोड़) राशि के 230 बैंकर चैकों के संबंध में लाभार्थियों और बैंकों के नाम उपलब्ध नहीं थे। इस प्रकार, यह आश्वासन नहीं था कि ₹9.42 करोड़ राशि का छात्रवृत्ति वास्तव में लाभार्थियों के खाते में जमा की गई थी और निधियों का कहीं और विपथन नहीं किया गया।

इसके अतिरिक्त, मेरठ जिले में ₹5.91 करोड़ के बैंकर चैक गलत नाम/खाता संख्या/आईएफएससी कोड/आदि के कारण बैंक द्वारा विद्यार्थियों के बैंक खाते में

जमा नहीं किए गए थे और डीएसडब्ल्यूओ को वापस कर दिए गए थे। डीएसडब्ल्यूओ ने विसंगतियों को सुधारने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित लाभार्थियों को भुगतान सुनिश्चित करने के बजाए ₹1.51 करोड़ विभाग के प्राप्ति लेखा शीर्ष में जमा करा दिए। शेष ₹4.40 करोड़ की राशि के ब्यौरे उपलब्ध नहीं थे।

6.4 दावों की अनुचित प्रतिक्रिया के कारण छात्रवृत्ति की कम प्रतिपूर्ति इनकार करना

कई कारणों जैसे राज्य सरकारों द्वारा कुछ संघटकों को शामिल न करने, जीओआई के आदेशों का अनुपालन न करने, शुल्क वसूलने की अनियमित प्रक्रिया आदि के कारण छात्रवृत्ति के इन्कार के उदाहरणों का पैराग्राफ सं. 5.4 में वर्णन किया गया है। हमने योजना के अंतर्गत **महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु** तथा **उत्तर प्रदेश** में राज्य सरकार के आदेशों का पालन न करने और कार्यान्वयन प्राधिकरणों द्वारा दावों का अनुचित संसाधन करने के कारण पात्र लाभार्थियों के कम कवरेज/कवरेज से इनकार करने के अन्य उदाहरण भी पाए थे जिनकी चर्चा नीचे की गई है।

महाराष्ट्र

- समाज कल्याण आयुक्त द्वारा जारी निर्देशों (फरवरी-मार्च 2016) के अनुसार नए कॉलेजों, संस्थानों तथा पाठ्यक्रमों की मैपिंग करके उन्हें विद्यार्थियों को पीएमएस का लाभ पहुँचाने के लिए ई-स्कॉलरशिप ऑनलाइन सॉफ्टवेयर सिस्टम में शामिल करना अपेक्षित था। 2016-17 के दौरान सहायक आयुक्त, समाज कल्याण औरंगाबाद ने 16 कॉलेजों की मैपिंग करने का एक प्रस्ताव आयुक्त, समाज कल्याण पुणे को भेजा (मार्च 2017)। तथापि, आयुक्त समाज कल्याण पुणे द्वारा मैपिंग नहीं की गई थी। परिणामत: आठ कॉलेजों में प्रवेश लिए गए 3,014 विद्यार्थियों में से 896 का पंजीकरण और ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदनों का प्रस्तुतीकरण नहीं किया जा सका और वे छात्रवृत्ति लेने से वंचित रह गए थे।
- नागपुर जिले में, 11 शैक्षिक संस्थानों में से नौ को मैप नहीं किया था जिसके परिणामस्वरूप इन कॉलेजों के 133 एससी विद्यार्थी छात्रवृत्ति लेने से वंचित रह गए।

पंजाब

- 18 चयनित सरकारी संस्थानों में से तीन[39] ने 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान शुल्क की प्रतिपूर्ति के कारण डीडब्ल्यूएससीबीसी द्वारा हस्तांतरित ₹2.79 लाख की छात्रवृति छात्रों में नहीं बांटी थी क्योंकि डीडब्ल्यूएससीबीसी द्वारा छात्रों के विवरण के साथ ही उनसे संबंधित वर्ष के ब्यौरे प्रदान नहीं किये थे।

- 2012-17 की अवधि के दौरान, 59 संस्थानों द्वारा दावित ₹235.70 करोड़ में से (**अनुबंध-10** में विवरण) विभाग द्वारा केवल ₹117.74 करोड़ की प्रतिपूर्ति हुई थी और ₹117.96 करोड़ की शेष राशि की प्रतिपूर्ति अभी लम्बित थी। नोडल विभाग ने बताया (अक्तूबर 2017) कि संस्थानों के दावों की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा निधि के कम निर्गम के कारण नहीं की जा सकी।

तमिलनाडु

- वीपीएमएम महिला नर्सिंग कॉलेज, विरूधनगर के सभी सात आवेदक छात्रों को पात्र होने के बावजूद बिना कोई कारण दर्ज किये 2012-17 के दौरान छात्रवृत्ति नहीं दी गयी थी (₹2.10 लाख का प्रतिपूर्तियोग्य शिक्षण शुल्क घटक)। इसके अतिरिक्त 2012-17 के दौरान, 2,156 पात्र छात्रों में से 589 छात्र जिनके आवेदन संबंधित सात[40] संस्थानों द्वारा सीएडीडब्ल्यू को भेजे गये थे, का शिक्षण शुल्क या अनुरक्षण भत्ता या फिर दोनों की ही धनराशि ₹66.49 लाख की संस्वीकृति अभिलेख पर बिना कोई कारण बताए नहीं की गयी।

---

[39] डीआईईटी एज्जोवल (होशियारपुर); डीआईईटी जालंधर; सरकारी उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय गीद्दड़बाहा (मुक्तसर)

[40] पीएसआर पॉलीटेक्निक कॉलेज विरूधनगर जिला, मेपको अभियांत्रिकी कॉलेज, रैमको प्रौद्योगिकी संस्थान, पीएसआर अभियांत्रिकी कॉलेज, विरूधनगर जिला, श्री संकर कला एवं विज्ञान कॉलेज, कांचीपुरम, माउंट जियोन अभियांत्रिकी कॉलेज, सरकारी उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय पुडुकोट्टई।

अन्य सात[41] संस्थानों में, यह पाया गया था कि सभी 924 पात्र छात्रों को पाठ्यक्रम के गलत कोड के उपयोग के कारण छात्रवृत्ति नहीं दी गयी (₹25.80 लाख का प्रतिपूर्ति योग्य शिक्षण शुल्क घटक), जबकि छात्रों ने शिक्षण शुल्क के रूप में संस्थान को ₹95.52 लाख का पहले ही भुगतान कर दिया था।

उत्तर प्रदेश

- चयनित 10 जिलों में 2014-17 के दौरान अनुमोदित ₹8.41 लाख आवेदनों में से ₹1.16 लाख छात्रों को भुगतान नहीं किए गए थे।

6.5 छात्रवृत्ति दावों की अधिक प्रतिपूर्ति

लेखापरीक्षा ने 2012-17 के दौरान तीन राज्यों **पंजाब, तमिलनाडु** और **उत्तर प्रदेश** में गलत गणना के कारण अतिरिक्त भुगतान और राज्य सरकार के आदेशों तथा योजना के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों के प्रति ₹1.88 लाख विद्यार्थियों को ₹49.67 करोड़ की राशि की छात्रवृत्ति के अधिक भुगतान के मामले पाए थे, जिसको **तालिका-9** में तालिकाबद्ध किया गया है:

तालिका-9: छात्रवृत्ति दावों की अधिक प्रतिपूर्ति के विवरण

छात्रवृत्ति घटक	विद्यार्थियों की संख्या	अधिक भुगतान की राशि (₹ लाख में)	टिप्पणियाँ
पंजाब			
अध्ययन यात्रा प्रभार (₹1600 प्रति वर्ष प्रति छात्र)	769 संस्थानों के 49,422 विद्यार्थी (**अनुबंध-11** में ब्यौरे)	2,509.00	विभाग ने बताया (अक्तूबर 2017) कि अधिक भुगतान की गई राशि को अगले दावे में समायोजित किया जाएगा
पुस्तक भत्ता (केवल दूरस्थ शिक्षा छात्रों के लिए ग्राह्य)	नर्सिंग, चिकित्सा तथा पैराचिकित्सा कॉलेजों के 4,421 नियमित विद्यार्थी (**अनुबंध-12** में विवरण)	54.55	

[41] राजपलायम राजु कॉलेज, अय्य नदर जानकी अम्मल कॉलेज, मदुरा कॉलेज, मदुरै, अरूल अनंदर कॉलेज, मदुरै, वेल्लाइचानी नदर कॉलेज, मदुरै, पीएसजी कला एवं विज्ञान कॉलेज कोयंबटूर, श्री रामकृष्ण मिशन विद्यालय कला एवं विज्ञान कॉलेज।

छात्रवृत्ति घटक	विद्यार्थियों की संख्या	अधिक भुगतान की राशि (₹ लाख में)	टिप्पणियाँ
अनुरक्षण भत्ता (छात्रों को मुफ्त छात्रावास तथा आवास का लाभ उठाने के लिए एक तिहाई छात्रावास के दर पर देय)	2014-17 से संबंधित छ:[42] विद्यालयों के 2,518 विद्यार्थी	13.08	विभाग ने बताया (अक्तूबर 2017) कि ऐसे मामलों में वसूली कठिन है लेकिन कार्यान्वयन विभाग को आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देश जारी किए जाएंगे।
छात्रवृत्ति दावे	दो संस्थानों[43] के 1500 विद्यार्थी	35.29	
तमिलनाडु			
अनुरक्षण भत्ता	पांच संस्थानों[44] के 62 विद्य।र्थी	1.27	अनुरक्षण भत्ता मुफ्त छात्रावास तथा आवास का लाभ प्राप्त करने के लिए वृत्ति-छात्रों के एक तिहाई छात्रावासियों की दर से देय होता है।
अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क	मेपको शलैंक इंजीनियरिंग कॉलेज, विरूद्धनगर	2.00	राज्य सरकार द्वारा इस तथ्य, कि 2012-13 की अवधि के दौरान ये पाठ्यक्रम मान्यता प्राप्त नहीं थे, के बावजूद मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों के लिए लागू दरों के अनुसार शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति की गई।

[42] छ: सरकारी सीनियर सैकेण्डरी निवासीय विद्यालिय (जीएसएसआरएस) (i) जीएसएसआरएस, अमृतसर, (ii) जीएसएसआएस, भटिंडा, (iii) जीएसएसआरएस, जालंधर (विद्यालय 2016-17 में होशियारपुर स्थानांतरित हो गया), (iv) जीएसएसआरएस, लुधियाना, (v) जीएसएसआरएस मोहाली तथा (vi) जीएसएसआरएस, पटियाला थे। ₹32.77 लाख (एक तिहाई) की ग्राह्य राशि के प्रति ₹98.30 लाख के दावे किए गए जिसके परिणामस्वरूप ₹65.53 लाख के दावे अधिक प्रस्तुत किए गए। इस राशि में से 2014-15 के लिए ₹13.08 लाख के अनुरक्षण भत्तों को पहले ही वितरित कर दिया गया था।

[43] डीएवी कॉलेज जालंधर तथा आर्दश पोलीटेक्निक कॉलेज, धामथाल पटियाला।

[44] सरकारी महिला कला और विज्ञान कॉलेज (पुडुकोटाई), मदुरई कामराज विश्वविद्यालय (मदुरई), मदुरई कॉलेज (मदुरई), वैल्लाइ केमी नदर कॉलेज (मदुरई), मदुरै कॉन्स्टीट्यैंट कॉलेज, सत्तूर (विरूद्धनगर)।

छात्रवृत्ति घटक	विद्यार्थियों की संख्या	अधिक भुगतान की राशि (₹ लाख में)	टिप्पणियाँ
उत्तर प्रदेश			
अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क	1,29,618 विद्यार्थी	2,352.00[45]	राज्य ने स्नातक पाठ्क्रमों (बीए, बीएससी व बी काम के लिए सभी राज्य विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध कॉलेजों हेतु प्रति वर्ष अधिकतम ₹5,000 पर शुल्क निर्धारित करने के अनुदेश जारी किए (जुलाई 2003)। उसने आगे यह अनुबंद्ध किया (सितम्बर 2014) कि शुल्क की प्रतिपूर्ति संरकार द्वारा नियत दरों पर की जाएगी।
जोड़	**1,87,581**	**4,967.19**	

6.6 लेखापरीक्षा सारांश

लेखापरीक्षा निष्कर्ष कार्यान्वयन प्राधिकरणों तथा लाइन विभागों की दस्तावेजों का सत्यापन करने में उचित परिश्रम के अभाव तथा आंतरिक नियंत्रण एवं जांच की कमजोरियों के संकेतक थे। प्रमाणपत्रों तथा/अन्य विवरणों जो ऑनलाइन, विभागीय अभिलेखों तथा प्रत्यक्ष आवेदन पत्रों में उपलब्ध थे के बीच बेमेलता से योजना के अंतर्गत अपात्र विद्यार्थियों द्वारा लाभ उठाने का जोखिम हो सकता है। उत्तर प्रदेश और पंजाब में छात्रवृत्ति के अनियमित भुगतान की वित्तीय विपक्षा, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश में कार्यान्वयन प्राधिकरणों की अक्षमता के कारण पात्र लाभार्थियों की कम कवरेज/कवरेज के लिए इन्कार तथा पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में गलत गणना के कारण ₹171.40 करोड राशि की थी। ऊपर उजागर किए गए कारणों से निम्नलिखित जोखिम हो सकते हैं:

[45] केवल उन अभिलेखों पर विचार किया गया था जहाँ विशेषीकृत बीए/बीएससी/बी कॉम पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क ₹5,001 तथा ₹10,000 के बीच लिया गया था।

कारण	शामिल जोखिम
प्रमाणपत्रों तथा/ या अन्य विवरण के बीच जो ऑनलाइन विभागीय अभिलेखों तथा प्रत्यक्ष आवेदनों में उपलब्ध है के बीच बेमेलता **अधूरे आवेदन पत्रों का अभिलेख में होना।**	डीएसडब्ल्यूओ/विद्यार्थी/संस्थान के भाग पर किसी कपटपूर्ण आशय से उपलक्षित रह सकता है जिसका परिणाम अपात्र विद्यार्थियों का योजना का लाभ प्राप्त करने में हुआ।
नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि आदि के गलत विवरण का प्रस्तुतीकरण	अपात्र आवेदकों का येाजना का लाभ प्राप्त करना।
कार्यान्वयन प्राधिकरणों द्वारा छात्रवृत्ति दावों की गलत संवीक्षा	पात्र विद्यार्थियों का लाभ की कम प्रतिपूर्ति करना/ इन्कार करना। निर्धारित प्रतिमानों से अधिक छात्रवृत्ति को अतिरिक्त भुगतान

***

आईटी प्रणाली स्तर पर नियंत्रणों की कमी

एक कम्प्यूटर प्रणाली में आईटी नियंत्रण सभी मैनुअल एवं प्रोग्राम विधि, नीतियां तथा प्रक्रियाएं है जो उपक्रम की परिसम्पत्तियों की संरक्षा, उसके अभिलेखों की यर्थाथता तथा विश्वसनीयता तथा अपनाए गए मानकों के संचालनात्मक अनुपालन को सुनिश्चित करती हैं। हमने पाया कि राज्यों में छात्रवृत्ति का संवितरण कर रही आईटी प्रणालियां (वेब पोर्टल) आमतौर पर, इनपुट, संसाधन तथा वैधता नियत्रण में त्रुटिपूर्ण थी जैसी नीचे चर्चा की गई हैः

7.1 राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से छात्रवृत्ति का भुगतान न होने से राज्य पोर्टलों के माध्यम से संवितरण

2016-17 के दौरान, मंत्रालय ने अनुसूचित जाति छात्रों हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति (पीएमएस-एससी) को संघ शासित क्षेत्रों हेतु ट्रायल आधार पर 'राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल[46] (एनएसपी) में शामिल किया। तथापि, पीएमएस-एससी के भुगतान को 2016-17 के दौरान संवितरण नहीं किया जा सका क्योंकि (i) एनएसपी यूटी के कोषागारों के साथ समरूप होने में समर्थ नहीं थी तथा (ii) यूटी नोडल/कल्याण कार्यालय द्वारा लाभार्थी डाटा हेतु डिजीटल हस्ताक्षर को शामिल करने में कमी थी।

तब पीएमएस-एससी को राज्य पोर्टलों के माध्यम से कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया था। सभी राज्य/यूटी प्रशासनों को यह सुनिश्चित करना था कि छात्रों को छात्रवृत्ति प्रत्यक्ष लाभ अतंरण (डीबीटी) के माध्यम से लाभार्थी के नाम पर खाता खोलकर डाकघरों/बैक खातों के माध्यम से अदा की गई है तथा लाभार्थियों के बैंक खातों में आधार संख्या दर्ज है। पांच चयनित राज्यों में इन वेब पोर्टलो से डाटाबेसों का विश्लेषण किया गया तथा पाई गई कमियों पर अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई हैः

---

[46] http:scholarships.gov.in/ मंत्रालय ने प्रारम्भिक आधार पर 1 जुलाई 2015 को एनएसपी को प्रारम्भ किया जिसमें दो अन्य योजनाएं अर्थात् (i) 'एससी छात्रों हेतु पूर्व-दशम छात्रवृत्ति' (ii) 'एससी छात्रो को सर्वश्रेष्ठ शिक्षा योजना' को कार्यान्वयन हेतु प्रारम्भ किया गया था।

7.2 राज्य वेब पोर्टलो पर त्रूटिपूर्ण आवेदन नियंत्रण

आवेदन नियंत्रणों का व्यक्तिगत लेन-देनों पर प्रत्यक्ष प्रभाव है तथा यह आश्वासन प्रदान करते हैं कि सभी लेन-देन वैध, प्राधिकृत, पूर्ण सही तथा दर्ज किए गए है। आवेदनों को आगे इनपुट नियंत्रण तथा संसाधन नियंत्रण में उप-विभाजित किया जाता है इनपुट नियंत्रण सुनिश्चित करते है कि प्रक्रियाएं तथा नियंत्रण उचित रूप से गारंटी देते है कि संसाधन हेतु प्राप्त डाटा उचित, पूर्ण, पहले संसाधित नहीं किया गया, यर्थात् उचित से प्राधिकृत है तथा इसे उचित प्रकार से तथा दोहराए बिना दर्ज किया गया है। दूसरी ओर, पर्याप्त संसाधन नियंत्रण इनपुट तथा सृजित डाटा के पूर्ण तथा सही संसाधन को सुनिश्चित करते हैं।

छात्रवृत्ति का संवितरण कर रहे राज्य वेब पोर्टलों की आईटी लेखापरीक्षा ने प्रकट किया कि प्रणाली न केवल जंक/दोहरे डाटा को स्वीकार कर रही थी बल्कि निम्नानुसार छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु इसको संसाधित भी कर रही थी।

(ए) दोहरी बैंक खाता संख्याओं वाले डाटा के संबंध में छात्रवृत्ति का भुगतान

उत्तर प्रदेश में, लेखापरीक्षा द्वारा 47.49 लाख छात्रों के डाटा विश्लेषण (2012-17) ने उजागर किया कि 2012-15 से संबंधित 1.62 लाख छात्रों के आवेदनों में बैक खाता संख्याओं को दोहराया जा रहा है जिसमें ₹118.45 करोड़ का छात्रवृत्ति भुगतान शामिल था। अन्य लोगो के बैंक खाते में छात्रवृत्ति का निर्गम न केवल नियमावली के उल्लंघन में बल्कि इसमें वास्तविक लाभार्थी को छात्रवृत्ति के गैर-भुगतान का जोखिम भी शामिल है।

(बी) कॉलेजों में विभिन्न छात्र आईडी के अधीन एक ही शैक्षणिक वर्ष में एक ही छात्र को एक बार से अधिक छात्रवृत्ति राशि का भुगतान

पंजाब में डाटा विश्लेषण (2015-17 से संबंधित 6,29,668 मामलें) से पता चला कि 1,709 तथा 1,564 आधार संख्याओं का ₹6.82 करोड़ तथा ₹8.81 करोड़ की छात्रवृत्ति वाले क्रमश: 3,428 तथा 3,163 मामलों में उपयोग किया गया था जो दर्शाता है कि एक आधार संख्या को प्रणाली में एक बार से अधिक दर्ज किया गया था जो छात्रवृत्ति का दावा करने के कपटपूर्ण माध्यम को दर्शाता है।

तमिलनाडु में डाटा विश्लेषण ने वर्ष 2012-13 से 2016-17 हेतु एक ही छात्र को एक ही पाठ्यक्रम हेतु एक ही शैक्षणिक वर्ष में एक बार से अधिक छात्रवृति के संवितरण को प्रकट[47] किया। पूरे राज्य में, 450 छात्रों (433 छात्र-दो बार, 12 छात्र- तीन बार, पांच छात्र- चार बार) ने वर्ष 2012-13 से 2016-17 हेतु विभिन्न छात्र आईडी के साथ एक ही पाठ्यक्रम हेतु एक शैक्षणिक वर्ष में एक बार से अधिक छात्रवृत्ति का दावा किया था जिसका परिणाम ₹22.17 लाख के अधिक भुगतान में हुआ।

एक ही शैक्षणिक वर्ष तथा पाठ्यक्रम वर्ष में एक ही छात्र की एक बार से अधिक प्रविष्टि को रद्द करने हेतु एप्लीकेशन साफ्टवेयर में इनपुट वैधता नियंत्रण की स्पष्ट रूप से कमी थी जिसका परिणाम एक ही छात्र की छात्रवृत्ति के बहु-संवितरण में हुआ।

(सी) एक ही जाति प्रमाणपत्र संख्या हाई स्कूल रोल नम्बर पर बहु भुगतान

उत्तर प्रदेश में, हाईस्कूल रोल नम्बर, जाति प्रमाणपत्र संख्या, बैंक खाता संख्या का पोर्टल में छात्रों की विशिष्ट पहचान हेतु उपयोग किया जाता है। डाटा विश्लेषण ने प्रकट किया कि 47.49 लाख मामलों में से -

- 1.76 लाख छात्रो को 2012-17 के दौरान एक ही जाति प्रमाणपत्र संख्या के आधार पर छात्रवृत्ति के रूप में ₹233.55 करोड़ अदा किए गए थे।
- एक ही हाईस्कूल रोल नम्बर वाले छात्रों के 34,652 मामलें जिन्हे 2012-17 के दौरान ₹59.79 करोड़ की छात्रवृत्ति अदा की गई थी।
- 13,303 मामलों में, छात्रो ने एक ही जाति प्रमाणपत्र तथा एक ही बोर्ड रोल नंबर के आधार पर 2012-17 के दौरान ₹27.48 करोड़ की छात्रवृत्तियां प्राप्त की।

दिलचस्प रूप से, उपर्युक्त तीन मामलों में 1,566 छात्रों (2016-17 से सम्बन्धित) को शामिल किया गया था जिनका एक ही जाति प्रमाणपत्र

[47] मापदण्ड: वही संस्थान, वही शैक्षणिक वर्ष, वही पाठ्यक्रम वर्ष, उसी छात्र का नाम, वही माता-पिता का नाम तथा वही- डीओबी- स्त्रोत: टी-छात्र- छात्रवृति- विवरण तथा एम-छात्र-विवरण

तथा/अथवा बोर्ड रोल नंबर होने के बावजूद प्रणाली (सक्षम पोर्टल) द्वारा 'सही'[48] डाटा के रूप में चयन किया गया था। जिसने प्रणाली, संस्थान तथा राज्य समाज कल्याण विभाग द्वारा संवीक्षा की विफलता को दर्शाया। यह इस तथ्य के बावजूद था कि सक्षम पोर्टल को कड़ी संवीक्षा हेतु नियत्रणों को शामिल करके 2014-15 में सुधारा गया था।

(डी) उन आवेदनों की स्वीकृति जहां माता-पिता की आय निर्धारित सीमा से अधिक थी

दो राज्यों **तमिलनाडु** तथा **उत्तर प्रदेश** में प्रणाली न केवल अपात्र छात्रों अर्थात् जिनके माता-पिता की आय निर्धारित सीमा से अधिक थी से आवेदनों को स्वीकार कर रही थी बल्कि छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु इन आवेदनों को संसाधित भी कर रही थी।

तमिलनाडु में सॉफ्टवेयर में इनपुट प्रक्रिया विफलता के कारण 1,577 अपात्र छात्रों जिनके माता-पिता की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से अधिक थी, के आवेदनों को संसाधित किया गया था तथा वर्ष 2012-13 से 2016-17 हेतु छात्रवृत्ति के रूप में ₹43.54 लाख का ईसीएस के माध्यम से भुगतान किया गया था।

उत्तर प्रदेश में 57 मामलों में 2012-13 तथा 2015-16 के दौरान छात्रों को उनके माता-पिता की आय ₹2.00 लाख की निर्धारित[49] सीमा से अधिक होने के बावजूद ₹23.45 लाख की छात्रवृत्ति अदा की गई थी।

(ई) अनुरक्षण भत्ते का अधिक भुगतान

तमिलनाडु में छात्रवृत्ति पोर्टल की लेखापरीक्षा ने भी प्रकट किया कि वर्ष 2013-14 से 2016-17 हेतु अनुरक्षण भत्ते को 689 छात्रावासी तथा 1022 दिवस छात्रों को एक शैक्षणिक वर्ष में 12 महीनों से अधिक के लिए क्रमशः कुल ₹10.2 लाख तथा ₹9.44 लाख तक परिकलित तथा अदा किया गया था।

---

[48] डाटा जिसकी संबंधित विभागों की वेबसाईट से प्राप्त विभिन्न सूचना के आधार पर ऑनलाईन जांच की गई है तथा 'सही' डाटा के रूप में वर्गीकृत करना सही पाया गया है। इस सही डाटा के संबंध में छात्रवृत्ति से अभिलेख पर पर्याप्त औचित्य के बिना इंकार नहीं किया जा सकता है। शेष डाटा को 'संदिग्ध' डाटा के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा इन मामलों में छात्रवृत्ति दर्ज किए जाने वाले पर्याप्त औचित्य के पश्चात् ही अदा की जा सकती है।

[49] उत्तर प्रदेश में माता-पिता की आय सीमा में वृद्धि को कार्यान्वित नहीं किया है जैसाकि पैरा सं. 5.2.1 में चर्चा की गई है।

(एफ) प्रणालियों द्वारा गलत डाटा की स्वीकृति

लेखापरीक्षा ने कमियों जैसे कि प्रणाली द्वारा गलत डाटा की स्वीकृति तथा अन्य इनपुट नियंत्रणों का अभाव आदि को पाया गया जिसका परिणाम **महाराष्ट्र**, **पंजाब** तथा **तमिलनाडु** राज्य पोर्टल में एक ही बैंक खाता संख्या पर कई छात्रों द्वारा छात्रवृत्ति के आहरण, छात्र की यथार्थता के जांच के बिना छात्रवृत्ति के संवितरण आदि में हुआ (विवरण **अनुबंध 13** में)।

उपरोक्त विसगंतियों ने इनपुट तथा संसाधन नियंत्रणों की कमी को दर्शाया क्योंकि प्रणाली ने प्रारम्भिक डाटा प्रविष्टि के समय अमान्य तथा दोहरी प्रविष्टियों का संकेत नहीं किया था जो योजना के अंतर्गत अपात्र छात्रों को लाभ प्रदान किए जाने के जोखिम को उजागर करता है। आवेदन सॉफ्टवेयर में व्यावसायिक नियम की मैपिंग न होने का आगे परिणाम अपात्र छात्रों को छात्रवृत्ति की राशि के संवितरण में हुआ।

7.3 सामान्य नियंत्रणों का अभाव

सामान्य नियंत्रणों में प्रणाली सॉफ्टवेयर अभिग्रहण एवं अनुरक्षण, पहुंच सुरक्षा तथा अनुप्रयोग प्रणाली विकास पर नियंत्रण शामिल हैं। वह ऐसा वातावरण सृजित करते हैं जिसमें आईटी एप्लीकेशन तथा संबंधित नियत्रंण कार्य करते हैं। मुख्य सामान्य नियंत्रणों में अन्य बातों के साथ साथ संगठनात्मक तथा प्रबंधन नियंत्रण, युक्तियुक्त पंहुच नियंत्रण, कार्यक्रम परिवर्तन नियंत्रण आदि शामिल हैं।

कर्नाटक में, लेखापरीक्षा ने पाया कि महत्वपूर्ण सूचना अर्थात् छात्रों की यूजर्स आईडी तथा डिफॉल्ट पासवर्ड को पोर्टल के होम पेज पर प्रदर्शित नहीं किया गया था। चूंकि यह सूचना प्रणाली में पंहुच प्राप्त करने हेतु अपेक्षित है इसलिए यह अन्य संबंधित जोखिमों के अतिरिक्त प्रतिरूपण द्वारा अप्राधिकृत पहुंच का कारण बन सकती है। विभाग ने बताया (दिसंबर 2017) कि एनआईसी ने उसके बाद से मामले को सुधारा है।

पंजाब में, लाईन विभाग अर्थात् तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा आदि संबंधित पाठ्यक्रमों हेतु अदा किए जाने वाले शुल्कों की राशि को सीमित कर रहे थे। तथापि, छात्रवृत्ति के संवितरण हेतु राज्य पोर्टल में कैपिंग को नहीं दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, जैसा पहले ही पैराग्राफ सं.5.4 में उल्लेख किया गया है कि

वेब पोर्टल में उन कॉलम की कमी थी जो उन मामलों की पहचान हेतु अनिवार्य थे जहां शुल्क की संस्थानों के स्थान पर छात्रों को प्रतिपूर्ति की जानी थी।

कर्नाटक तथा **उत्तर प्रदेश** में लेखापरीक्षा ने पाया कि छात्रवृत्ति पोर्टलों में सर्वर के साथ यूजर्स की परस्पर एक एन्क्रिप्ट न किए गए चैनल अर्थात् एचटीटीपीएस के स्थान पर एचटीटीपी[50] पर थी जो स्थानांरित डाटा की गोपनीयता तथा समग्रता की गारंटी नहीं देता है।

7.4 पोर्टल का आंशिक संचालन

महाराष्ट्र में छात्रवृत्ति पोर्टल को पहले एक निजी कम्पनी के माध्यम से विकसित किया गया था। चूंकि निजी कम्पनी के साथ अनुबंध अप्रैल 2016 में समाप्त हो रहा था इसलिए राज्य ने एक वर्ष के लिए अर्थात् अप्रैल 2017 तक निजी कम्पनी के साथ अनुबंध को बढ़ाया तथा साथ ही इसे महाडीबीटी[51] के माध्यम से संचालित करने का निर्णय लिया। तथापि सूचना प्रौघोगिकी विभाग (महाराष्ट्र) ने इसकी अनुमति को इंकार किया (मई 2017) जिसका परिणाम नवम्बर 2017 से पोर्टल के गैर-संचालन में हुआ। इसका परिणाम इस अवधि के छात्रवृत्ति दावों तथा पहले के वर्षों के छात्रवृत्ति के बकाया को दर्शाने वाले दावो के गैर-निपटान में हुआ।

7.5 लेखापरीक्षा सारांश

मंत्रालय तकनीकी कारणों से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से पीएमएसएससी को कार्यान्वित करने में समर्थ नहीं था तथा इसे राज्य पोर्टलों के माध्यम से कार्यान्वित किया गया था। तथापि, राज्य पोर्टलों में पहुंच सुरक्षा तथा यह आश्वासन करने कि लेन-देन, वैध प्राधिकृत, पूर्ण तथा उचित है, को सुनिश्चित करने हेतु अपेक्षित एप्लीकेशनों तथा सामान्य नियंत्रणों दोनों की कमी थी। पंजाब तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश में वेब पोर्टल प्रणालियां प्रारम्भिक डाटा प्रविष्टि के समय अमान्य तथा दोहरी प्रविष्टियों को प्रतिबंधित नहीं कर रही थीं जो योजना के अंतर्गत अपात्र छात्रों को लाभ प्रदान किए जाने के जोखिम को

---

[50] हायपर टेक्स्ट ट्रासंफर प्रोटोकॉल सिक्योर (एचटीटीपीएस) तथा हायपर टेक्स्ट ट्रासंफर प्रोटोकॉल (एचटीटीपी)

[51] अपने आईटी विभाग द्वारा विकसित किया गया राज्य का डीबीटी पोर्टल

उजागर करता है। लेखापरीक्षा द्वारा निर्धारित ₹455.98 करोड़ की वित्तीय विवक्षा के साथ राज्य पोर्टलों द्वारा सृजित डाटा में विसगतियों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय के साथ साथ राज्य सरकारों को अनियमित भुगतान तथा भ्रष्टाचार के जोखिम को दूर करने हेतु सभी मामलों की एक व्यापक जांच सुनिश्चित करनी चाहिए। यह संघटक निम्नलिखित जोखिम उत्पन्न कर सकते हैः

कारक	शामिल जोखिम
पहचान क्षेत्रों में दोहरे डाटा की स्वीकृति	अस्वीकार्य दावें संसाधित किए जा सकते है अपात्र छात्र न केवल योजना के अनियमित रूप से लाभ बल्कि भावी रोजगार भी प्राप्त कर रहे हैं छात्रवृत्ति का कपटपूर्ण आहरण/छात्रवृत्ति भुगतान प्रणाली से जोड़-तोड़ राज्य राजकोष को हानि का कारण बन सकता है।
अमान्य/जंक डाटा की स्वीकृति	प्रणाली दोहरे डाटा को रोकने में समर्थ नहीं थी जिसका परिणाम एक ही छात्र द्वारा छात्रवृत्तियों के अनेक आहरण में हो सकता है।
अतिसंवेदी सूचना का प्रदर्शन	प्रणाली में अप्राधिकृत पहुंच जो आगे छात्रवृत्तियों के कपटपूर्ण आहरण का कारण बन सकती है।
असुरक्षित माध्यम से संचार	असुरक्षित माध्यम स्थानांतरित डाटा की विश्वसनीयता तथा समग्रता की गारंटी नहीं देता है। एप्लीकेशन बॉयोमैट्रिक सूचना के अनावरण से असुरक्षित[52] है।

***

[52] मुक्त वेब एप्लीकेशन सुरक्षा परियोजना (ओडब्ल्यूएएसपी) शीर्ष 10-2013 ए6 संवेदनशील डाटा अनावरण

अप्रभावी मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन

मॉनीटरिंग और मूल्यांकन किसी भी योजना का अभिन्न अंग है चूंकि यह प्रशासनिक मंत्रालय को योजना के कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं की पहचान करने में मद्द करता है ताकि इसे सुधारने के लिए वह आवश्यक निदान कर सके।

8.1 राज्य एवं जिले स्तर पर आंतरिक नियंत्रण

उत्तर प्रदेश को छोड़कर आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की जा रही थी, जहाँ आंतरिक लेखापरीक्षा के रूप में आंतरिक नियंत्रण योजना के लेखापरीक्षा संबंधी कार्य के निष्पादन में कमजोर था। समाज कल्याण विभाग निदेशालय में आंतरिक लेखापरीक्षा के प्रकोष्ठ ने 2012-17 के दौरान ₹9.48 करोड़ के अनियमित निर्गम को इंगित करते हुए विभिन्न जिला समाज कल्याण कार्यालयों की लेखापरीक्षा के 18 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए थे लेकिन नवम्बर 2017 तक राशि को वसूल नहीं किया जा सका।

8.2 योजना के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग

8.2.1 त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट

मंत्रालय ने अगस्त 2009 में, सभी राज्यों/यूटी को प्रत्येक तिमाही (प्रत्येक वर्ष अप्रैल जून से आरंभ होने वाले) के अगले माह की 30 तारीख तक निर्धारित प्रपत्र में त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा था और सितम्बर 2015 एवं जून 2016 में इन निर्देशों को दुहराया था। हालांकि, राज्य त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टों को नियमित रूप से प्रस्तुत नहीं कर रहे है।

8.2.2 शैक्षिक संस्थानों का वार्षिक निरीक्षण

मंत्रालय ने सभी राज्यों/यूटी को भारत सरकार में वर्ग ए अधिकारी के स्तर के राज्य सरकारी अधिकारी द्वारा शैक्षिक संस्थानों को वार्षिक निरीक्षण सुनिश्चित करने और सत्यापन के बाद रद्द किये गये संस्थानों की संख्या सूचित करने के लिए कहा (सितम्बर 2015)।

पंजाब तथा **कर्नाटक** में 2012-17 के दौरान संस्थानों का कोई निरीक्षण नहीं किया गया। **महाराष्ट्र** में, 2012-17 के दौरान चयनित नौ जिलों में से पांच[53] जिलों में कोई भौतिक निरीक्षण नहीं किया गया। अन्य चार[54] जिलों में, निरीक्षण में 67 से 94 प्रतिशत के बीच की कमी थी। समाज कल्याण आयुक्त ने बताया (नवम्बर 2017) कि मानवशक्ति प्रतिबंधों के कारण प्रत्येक वर्ष प्रत्येक कॉलेज का निरीक्षण करना असंभव था।

तमिलनाडु में, विरूधनगर जिले, जहाँ 98 प्रतिशत की कमी[55] थी, के अतिरिक्त नमूना जांच किए गए आठ जिलों में 2014-15 से 2016-17 के दौरान कोई निरीक्षण नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश में, राज्य सरकार ने अनुबंध किया कि मंत्रालय द्वारा निर्धारित सभी तीन मामलों में अर्थात् (i) उनके संस्वीकृत सीटों से 30 प्रतिशत से अधिक एससी विद्यार्थियों को प्रवेश देने वाले निजी संस्थान, (ii) ₹1 करोड़ या इससे अधिक फीस प्रतिपूर्ति की मांग करने वाले संस्थान और (iii) यादृच्छिक रूप से समिति के विवेक पर, वार्षिक निरीक्षण जिला स्तर मॉनीटरिंग तथा निरीक्षण समिति द्वारा किया जाएगा। चयनित 10 जिलों में उक्त समिति का गठन नहीं किया गया था तथा इसलिए निरीक्षण नहीं किए गए थे।

8.3 राज्य स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र

योजना दिशानिर्देश (दिसम्बर 2010 से लागू) में यह व्यवस्था है कि एससी/ओबीसी छात्रों के शिकायतों को शीघ्र निवारण सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य, राज्य स्तर पर शिकायत निवारण अधिकारियों को पदनामित करेंगे। हालांकि, ऐसे शिकायत निवारण तंत्र मौजूद नहीं थे। जिला स्तर या राज्य स्तर पर शिकायत निवारण अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की गई थी। **तमिलनाडु** में, आदि द्रविदर कल्याण निदेशक को परिवाद/शिकायतें लिखी गई थी तथा कार्रवाई नियमों के अनुसार की गई बताई गई थी। **उत्तर प्रदेश** में, प्राप्त तथा सम्बोधित की गई शिकायतों की वास्तविक संख्या लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करायी जा सकी। ऑनलाइन पोर्टल में, ऑनलाईन शिकायत निवारण प्रणाली का कोई प्रावधान नहीं था।

---

[53] अहमदनगर, पुणे, कोल्हापुर, सोलापुर तथा अमरावती

[54] नागपुर (88 प्रतिशत), औरंगाबाद (67 प्रतिशत), ठाणे (94 प्रतिशत) तथा नासिक (90 प्रतिशत)

[55] 2012-17 के दौरान कुल 1185 कॉलेजों में से 2016-17 में केवल 23 संस्थानों का निरीक्षण किया गया।

मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2017) कि अधिकतर राज्य, जिला समाज कल्याण कार्यालय तथा प्रधान सचिव (एसडब्ल्यू) कार्यालय के स्तर पर विद्यार्थियों की शिकायतों का निवारण कर रहे हैं जो व्यक्तिगत हित को प्रभावित कर सकता है क्योंकि शिकायतें जिला समाज कल्याण कार्यालय के विरूद्ध भी हो सकती हैं।

8.4 मंत्रालय स्तर पर शिकायतों का निवारण

मंत्रालय ने भी **उत्तर प्रदेश** तथा **पंजाब** में योजना के कार्यान्वयन में अनाचार के संबंध में व्यक्तियों, विद्यार्थियों, विद्यार्थी संघों तथा समाचार पत्रों के माध्यम से शिकायतें प्राप्त कीं। इन शिकायतों/रिपोर्टों को आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित राज्यों को अग्रेषित किया तथा दिसम्बर 2016 तथा जुलाई 2017 में अनुस्मारक जारी किए। तथापि, इन शिकायतों/रिपोर्टों के संबंध में राज्यों से कोई कार्रवाई रिपोर्ट मंत्रालय के अभिलेख में नहीं पाई गई।

8.5 व्यावसायिक पाइलट लाइसेंस पाठ्यक्रम के लिए अपर्याप्त मॉनीटरिंग

डीजीसीए ने मई 2014 में मंत्रालय को उनके द्वारा प्रदान की गई छात्रवृत्तियाँ को मॉनीटर करने का तंत्र विकसित करने को कहा था जिससे कि लोक निधियों का फ्लाईंग प्रशिक्षण संगठनों द्वारा दुरूपयोग न किया जा सके तथा लाभ वास्तविक उम्मीद्वरों को प्रदान किया जाए। उन्होंने आगे आवेदक द्वारा वास्तव में लिए गए प्रशिक्षण की जांच के आधार पर चरणबद्ध रूप से छात्रवृत्ति राशि के संवितरण को आगे-पीछे करने की सलाह दी। लेखापरीक्षा ने सभी 114 मामलों के संबंध में सीपीएल प्रदान किए जाने को सुनिश्चित करने हेतु डीजीसीए से इस सूचना की पुष्टि की। 2012-17 के दौरान संस्वीकृत 114 मामलों से डीजीसीए ₹12.76 करोड़ की संस्वीकृत छात्रवृत्ति वाले केवल 41 आवेदकों की स्थिति की पुष्टि ही कर पाया।

यह पाया गया था कि इन 41 छात्रों में से,

(i) केवल आठ ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण किया है जबकि अन्य 24 आज तक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है;

(ii) चार छात्र, जिन्हे ₹1.25 करोड़ की छात्रवृत्ति संस्वीकृति की गई, ने पाठ्यक्रम को छोड़ दिया/अलग हो गए थे;

(iii) तीन छात्र, जिन्हे ₹1 करोड़ की छात्रवृत्ति संस्वीकृत की गई थी, प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं थे;

(iv) हरियाणा का एक छात्र, जिसे ₹35.50 लाख की छात्रवृत्ति संस्वीकृत की गई थी जिसमें से ₹3.59 लाख का व्यय किया गया था, को कपटपूर्ण गतिविधि के कारण निष्काषित कर दिया गया; तथा

(v) बिहार के एक अन्य छात्र (जिसे ₹34.79 लाख की छात्रवृत्ति संस्वीकृति की गई) के संबंध में विवरण फ्लाईंग संस्थान के पास उपलब्ध नहीं है।

पांच चयनित राज्यों में, पीएमएस के अंतर्गत सीपीएल हेतु छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे उम्मीदवारो के प्रदर्शन को मॉनीटर करने का कोई तंत्र नहीं है। **महाराष्ट्र** में, 42 उम्मीदवारों, जिन्होने छात्रवृत्ति का लाभ उठाया में से केवल एक उम्मीदवार, जिसने सीपीएल प्रशिक्षण पूर्ण किया था, को रोजगार मिला था। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवारों का विवरण, जिन्होने अपना सीपीएल प्रशिक्षण पूर्ण किया था, दर्ज नहीं थे।

इस प्रकार राज्यों के साथ-साथ मंत्रालय भी उन छात्रों की संख्या से अवगत नहीं हैं जिन्होने प्रशिक्षण उत्तीर्ण किया है तथा लाभकारी रोजगार पाया है। मंत्रालय सीपीएल पाठ्यक्रमों हेतु आवश्यक मॉनीटरिंग तंत्र की स्थापना के बिना ही इस पाठ्यक्रम हेतु छात्रवृत्ति के पर्याप्त अनुदान को अनुमोदित कर रहा है।

8.6 योजना का मूल्यांकन

योजना आयोग द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के पुनर्गठन पर समिति ने अपनी रिपोर्ट में (सितम्बर 2011) सभी सीएसएस का नियमित आधार पर स्वतंत्र मूल्यांकन करने पर बल दिया था क्योंकि यह पाया गया था कि योजना के डिजाइन में अंतर तथा राज्यों के बीच स्वामित्व के अभाव के कारण सामान्यत: मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन खराब था तथा इन योजनाओं के परिणामों या प्रभाव पर कोई बल नहीं दिया जा रहा था।

XIIवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना का देशव्यापी व्यापक मूल्यांकन नहीं किया गया था। योजना के प्रभाव का पता लगाने के लिए कोई विशिष्ट परिणाम सूचक उपलब्ध नहीं थे।

2012-17 के दौरान चार* मूल्यांकन अध्ययन किए गये थे जिनमें (i) छात्रवृत्ति के आवेदनों की प्राप्ति हेतु किसी अंतिम तिथि का अभाव, (ii) सरकार में एक ही पाठ्यक्रम हेतु शुल्क की दरों में व्यापक अंतर (iii) संस्थानों में सुस्पष्ट उपस्थिति दर्ज करने की प्रणाली का अभाव, (iv) अधिकतर संस्थानों में ड्रॉप-आऊट की अधिक प्रतिशतता आदि पाए गए थे। मंत्रालय ने इन निरीक्षण रिपोर्टों के निष्कर्षों तथा अनुशंसाओं को अक्तूबर 2016 में उपचारी कार्रवाई हेतु इन राज्यों को भेजा गया था। तथापि, इन निष्कर्षों पर राज्यों से कोई कार्रवाई की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी।

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2018) कि योजना के संशोधित दिशानिर्देशों सीसीईए के अनुमोदन हेतु प्रक्रियाधीन हैं।

8.7 बारहवीं पंचवर्षीय योजना के बाद तक योजना और उसकी निरंतरता की परिणाम समीक्षा

वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों/विभागों को 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद भी चल रही योजनाओं को जारी रखने के अनुदेश परिचालित किए (अगस्त 2016 तथा फरवरी 2017) जिनमें उनको 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक चल रही योजनाओं की परिणाम समीक्षा करने तथा उनको आगे जारी रखने तथा योजना को 14वें वित्त आयोग (एफएफसी) की अवधि या इसके पश्चात पहले ही इसके साथ समाप्त न कर दिया हो, उसको मूल्यांकन तथा अनुमोदन हेतु पुन: प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। मूल्यांकन रिपोर्ट को मार्च 2017 के अंत तक प्रस्तुत किया जाना था।

हमने पाया कि मंत्रालय ने, योजना को 12वीं योजना अवधि के पश्चात उसको जारी रखने के लिए कोई परिणाम समीक्षा नहीं की थी। बारहवीं योजना अवधि के अनुसार योजना मार्च 2017 तक परिचालित थी। मंत्रालय ने 2016-17 तक संचित बकायों का निपटान करने के लिए 2017-18 के दौरान राज्यों/यूटी को केन्द्रीय सहायता जारी की।

---

* (1) नीति आयोग तथा महाराष्ट्र, पंजाब तथा तेलगाना मंत्रालय के संयुक्त मूल्यांकन - अक्तूबर-नवम्बर 2015, (2) मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश में 33 शैक्षिक संस्थानों का सर्वेक्षण/निरीक्षण (जुलाई 2016), (3) मंत्रालय द्वारा महाराष्ट्र में 16 शैक्षिक संस्थानों का सर्वेक्षण/निरीक्षण-(जुलाई 2016) तथा (4) मंत्रालय द्वारा ओडिशा में 14 शैक्षिक संस्थानों का सर्वेक्षण/निरीक्षण (अगस्त 2016)

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2018) कि संशोधन/जारी रखने का प्रस्ताव सीसीईए के अनुमोदन हेतु प्रक्रियाधीन है और यह कि योजना का तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन करना भी प्रक्रियाधीन है।

8.8 लेखापरीक्षा सारांश

प्रभावी मानीटरिंग और शिकायत निवारण हेतु संस्थागत तंत्र या तो मौजूद नहीं थे या उनका परिचालन कमजोर था। राज्यों को त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने, संस्थानों का वार्षिक निरीक्षण करने तथा शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना के दिए गए निर्देशों की चयनित पांच राज्यों द्वारा या तो पालन नहीं किया गया था या आंशिक रूप से पालन किया गया था। योजना का 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आधार स्तर पर उसकी प्रभाविता के आंकलन का कोई मूल्यांकन भी नहीं हुआ था। उपर्युक्त उल्लिखित कारकों के निम्नलिखित संभावित जोखिम हो सकते है:

कारक	शामिल जोखिम
त्रुटिपूर्ण आंतरिक लेखापरीक्षा	योजना के कार्यान्वयन में आंतरिक नियंत्रण तंत्र की विफलता अनदेखी रह जाएगी और त्रुटिपूर्ण योजना निष्पादन का कारण बन सकता है।
राज्यों से त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त न होना/आंशिक रूप से प्राप्त होना	योजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति को सुनिश्चित नहीं किया जा सकेगा।
संस्थानो के निरीक्षण में कमी	योजना के कार्यान्वयन में किसी प्रकार की असदभावपूर्ण गतिविधि अनदेखी रह सकती है।
त्रुटिपूर्ण शिकायत निवारण तंत्र	शिकायतों का निपटान नहीं हो पाएगा जो नाराज पक्ष को लाभ से वंचित रखने का कारण बन सकता है।
मूल्यांकन नहीं होना	योजना के कार्यान्वयन में कमी के साथ-साथ योजना दिशानिर्देशों में अंतर अनदेखे रह सकते हैं।

***

भाग तीन
निष्कर्ष तथा अनुशंसाएं

निष्कर्ष तथा अनुशंसाएं

9.1 निष्कर्ष

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के पांच राज्यों के लिए ₹6,439 करोड़ की केंद्रीय सहायता जारी की और इन राज्यों में वर्ष 2012-17 में कुल 135.96 लाख लाभार्थियों को कवर किया गया।

इस योजना के कार्यान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा में खराब योजना का पता चला क्योंकि राज्यों के पास, न तो पात्र विद्यार्थियों का कोई डाटाबेस था और न ही लाभार्थियों की अनुमानित संख्या का निर्धारण करने तथा उनका समय पर कवरेज करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार थी। परिणामत: पात्र सतत लाभार्थियों और नए उम्मीदवारों की संख्या का पता नहीं लगाया जा सका और इस कमी का एक परिणाम अपर्याप्त बजट था जिसके कारण छात्रवृत्ति प्रदान करने में देरी हुई और कई पात्र लाभार्थियों को छात्रवृत्तियां देने के लिए मना करना पड़ा।

इसके अलावा, योजना के दिशानिर्देशों में महत्वपूर्ण अंतराल थे जो कि इसके प्रभावी कार्यान्वयन को कम कर देते थे। योजना दिशानिर्देशों ने छात्रवृत्ति तैयार करने, संस्वीकृति और वितरण के लिए कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की गई और छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए एक से छह वर्ष तक के विलंब से महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 18.58 लाख छात्रों को भुगतान किया गया। राज्यों ने मंत्रालय को समय पर केंद्रीय सहायता की मांग के लिए अपने प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए, जिसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय सहायता की अपर्याप्त या आंशिक मांग की गई। योजना दिशानिर्देशों में इस योजना के उद्देश्य की उपलब्धि की सीमा का आकलन करने के लिए प्रावधान नहीं थे, अर्थात् छात्रवृत्ति प्राप्त करने के बाद उन लाभार्थियों की संख्या जिन्होंने शिक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

मंत्रालय द्वारा निधि का निरन्तर अल्प निर्गम जारी था, जिसके परिणामस्वरूप पांच चयनित राज्यों से संबंधित ₹5,368 करोड़ (71 प्रतिशत) बकाया का संचयन हो गया था। 2012-17 के दौरान, खराब वित्तीय प्रबंधन महाराष्ट्र में ई-छात्रवृत्ति पोर्टल के रखरखाव के लिए और कर्नाटक में योजना दिशानिर्देशों के अनुसार स्टेशनरी कम्प्यूटर परिधीय आदि की खरीद हेतु ₹28.94 करोड़ विपथित किए गए। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में ₹375.30 करोड़ की अवितरित छात्रवृत्ति निधि भी उपलब्ध थी।

राज्यों में योजना के खराब कार्यान्वयन ने योजना दिशानिर्देशों और मानदंड का अनुपालन न करना, पात्र लाभार्थियों के संक्षिप्त कवरेज, पात्र लाभार्थियों के कवरेज से इनकार करने, छात्रवृत्ति की प्रतिपूर्ति की कमी/अस्वीकृति, छात्रवृत्ति के दावों की अतिरिक्त प्रतिपूर्ति, अपात्र छात्रों को छात्रवृत्ति और छात्रवृत्ति के भुगतान में विलंब दर्शाया। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ने शैक्षणिक सत्र 2013-14 से ₹2.50 लाख की अधिकतम सीमा तक संशोधित आय की सीमा का पालन नहीं किया और ₹2 लाख की पूर्व सीमा के अनुसार देना जारी रखा और जिससे अन्यथा पात्र लाभर्थियों को छोड़ दिया गया।

तकनीकी मामलों के कारण मंत्रालय पीएमएस-एससी को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से लागू करने में असमर्थ था और राज्य पोर्टल के माध्यम से इसे लागू किया गया था। राज्य पोर्टल्स में पहुंच सुरक्षा सुनिश्चित करने और लेनदेन मान्य, अधिकृत, पूर्ण और सटीक हैं, इसे सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दोनों सामान्य और एप्लिकेशन नियंत्रणों की कमी थी। पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में, लेखापरीक्षा में ₹455.98 करोड़ के वित्तीय विवक्षा के साथ राज्य पोर्टलों द्वारा तैयार आंकड़ों में अंतर पाया गया था, जिसे अनियमित भुगतान और अपकरण के जोखिम को दूर करने के लिए मंत्रालय के साथ-साथ राज्यों द्वारा जांच की जानी चाहिए।

यह योजना 1944 से अस्तित्व में आने के बावजूद, मंत्रालय ने दिशानिर्देशों में प्रभावकारी मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन हेतु कोई प्रावधान शामिल नहीं किया। उत्तर प्रदेश, जहाँ ये त्रुटिपूर्ण होना पाया गया, के अलावा सभी नमूना जांच किए गए राज्यों में आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई। मंत्रालय ने, राज्यों से त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टों की प्राप्ति को सुनिश्चित नहीं किया। राज्यों में शैक्षिक संस्थानों का वार्षिक निरीक्षण या तो किया नहीं गया या त्रुटिपूर्ण था। मंत्रालय तथा राज्य/जिला स्तर दोनों पर शिकायत निवारण क्रियातंत्र भी त्रुटिपूर्ण था।

9.2 अनुशंसाएँ

उपर्युक्त लेखापरीक्षा निष्कर्षों को देखते हुए और योजना के निधियों और अनियमित भुगतानों के दुरुपयोग के स्पष्ट जोखिम को देखते हुए, यह आवश्यक है कि मंत्रालय को इन्हें सख्ती से पालन करने और अधिकारियों के कार्यान्वयन के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देशों के साथ-साथ संस्थान उपायों की समीक्षा करनी चाहिए जिससे योजना के निहित लाभ पात्र लाभार्थियों तक सार्थक तरीके से पहुंचे। इस संदर्भ में, हम निम्नानुसार अनुशंसा करते हैं:

(i) मंत्रालय पात्र छात्रों/लाभार्थियों के कवरेज के लिए वार्षिक कार्यवाई योजना तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए आदेश दे सकता है, जिसे सहायता की मांग के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए;

(ii) मंत्रालय को राज्यों के लिए केंद्रीय सहायता हेतु अपनी मांग प्रस्तुत करने और छात्रवृत्ति के प्रसंस्करण, स्वीकृति और वितरण को पूरा करने के लिए सांकेतिक समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए;

(iii) योजना के कार्यान्वयन के लिए आवेदनों की पात्रता के सत्यापन के साथ-साथ भुगतान और प्रतिपूर्ति सहित राज्यों को उनकी मॉनीटरिंग और नियंत्रण तंत्र को मजबूत करने के लिए कहा जाए;

(iv) मंत्रालय को योजना के लाभ पात्र छात्रों को जारी करने में देरी करना या जारी न करने के साथ-साथ अनुचित धनराशि जारी करने के लिए अधिकारियों और संस्थाओं की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए।

(v) मंत्रालय अवैध आवेदनों को स्वीकृति देने की संभावना को दूर करने के लिए मौजूदा सक्षम और अन्य वेब पोर्टल्स की समीक्षा कर सकता है; तथा

(vi) नमूना जांच के माध्यम से लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए छात्रवृत्ति के अनियमित भुगतान के उदाहरणों के परिप्रेक्ष्य में, मंत्रालय को इसी तरह के अनियमित भुगतानों या अपकरण के जोखिम से बचने के लिए ऐसे सभी मामलों की जांच करनी चाहिए।

नई दिल्ली
दिनांक: 24 अप्रैल 2018

(ममता कुन्द्रा)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
केन्द्रीय, व्यय

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 26 अप्रैल 2018

(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

अनुबंध

अनुबंध-1

(पैरा 1.2 के संदर्भ में)

मंत्रालय स्तर पर संगठनात्मक चार्ट

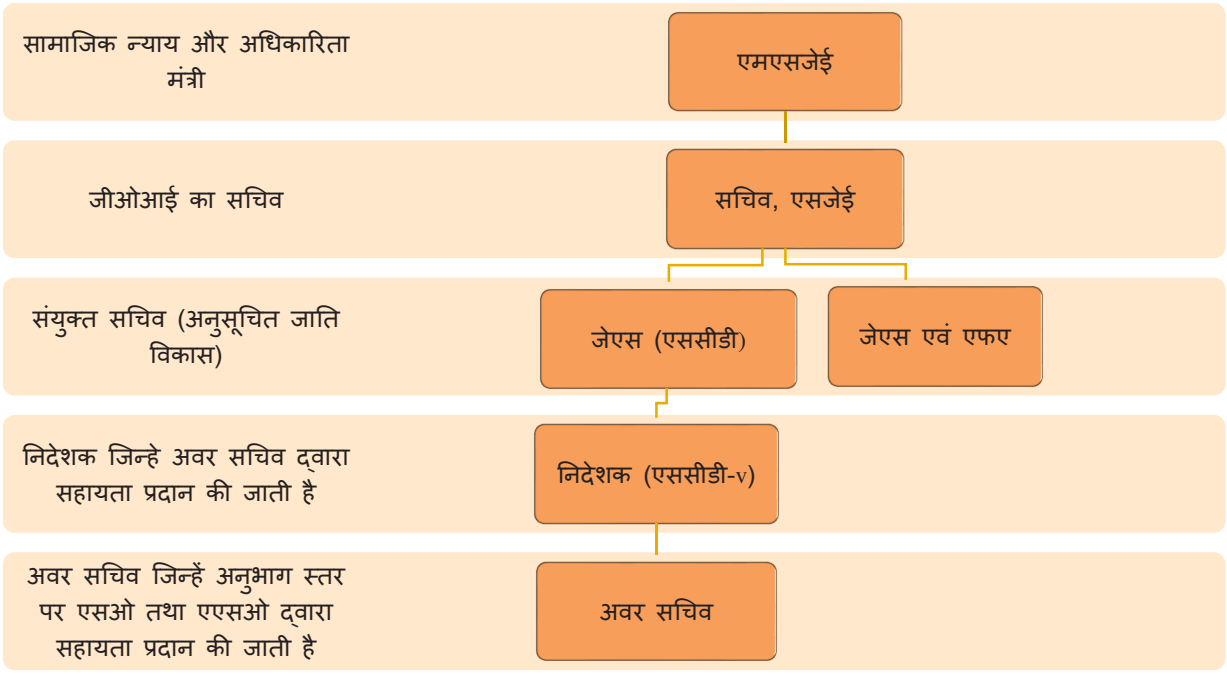

पीएमएस-एससी के कार्यान्वयन के लिए पांच चयनित राज्यों में संगठनात्मक ढांचा

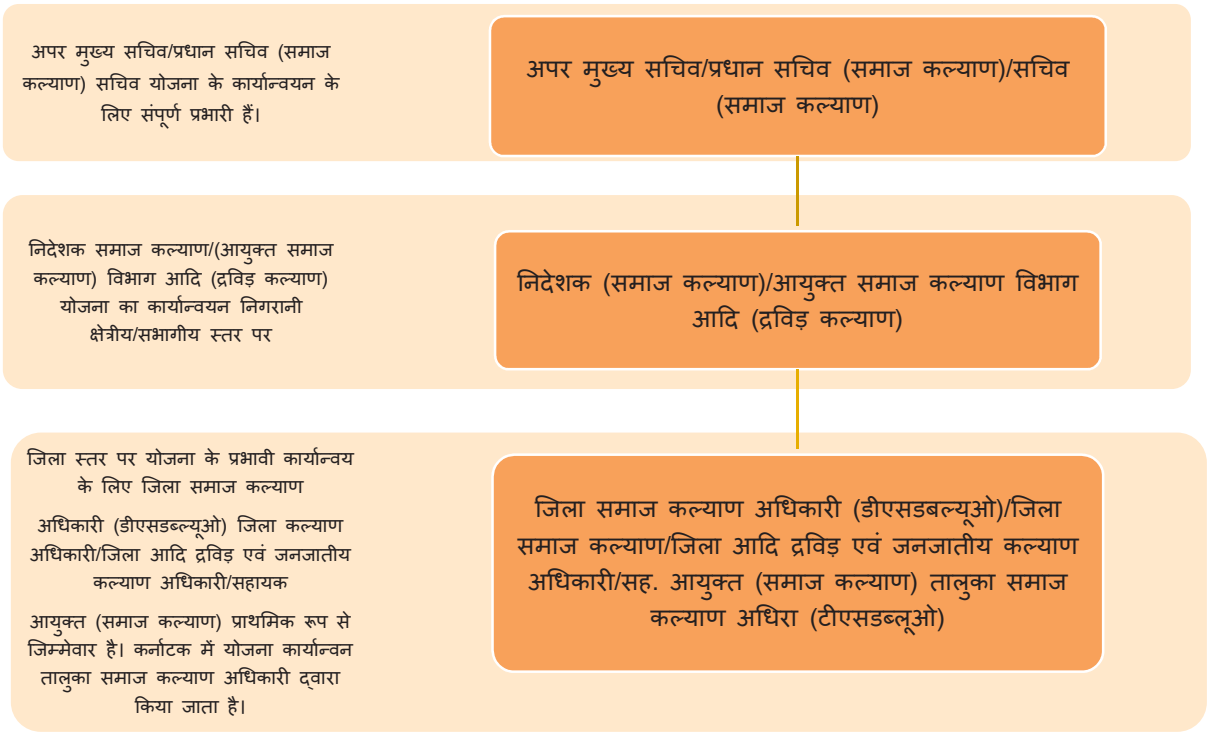

अनुबंध - 2

(पैरा 1.2 & 3.2 के संदर्भ में)

चयनित राज्यों में छात्रवृत्ति प्रदान करने में शामिल चरण

राज्य का नाम	ईकाई	भूमिका/उत्तरदायित्व
कर्नाटक	**छात्र**	'यूनीक' पंजीकरण संख्या के लिए ऑनलाइन आवेदन करता है
	प्रणाली	मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र के आधार पर पंजीकरण संख्या जारी करता है
	छात्र	सत्यापन के लिए संस्थान को पंजीकरण संख्या के साथ आवेदन प्रस्तुत करता है
	छात्र (केवल आईसीएसई एवं सीबीएसई)	आवेदन सीधे तालुक स्तर पर प्रस्तुत करता है
	संस्थान	आवेदनों को अनुप्रमाणित करता है और तालुक स्तर पर प्रस्तुत करता है
	तालुक एसडब्ल्यू अधिकारी	(i) पहचान की पुष्टि करने के लिए छात्रों की बायोमेट्रिक्स और फोटो कैप्चर करता है, (ii) सत्यापन के बाद आवेदन करने और स्वीकृति के लिए शुल्क प्रविष्ट करता है, (iii) संस्थान की संबद्धता स्थिति का सत्यापन करता है
	प्रणाली	बिल बनाता है और कोषागार को विवरण प्रस्तुत करता है
	कोषागार	संबंधित बैंक को चेक जारी करता है
महाराष्ट्र	**छात्र**	ऑनलाइन आवेदन करता है और संस्थान को प्रस्तुत करता है
	संस्थान	आवेदन को सत्यापित करता है तथा जिला कार्यालय (कल्याण विभाग) अर्थात सहायक आयुक्त को ऑनलाइन अग्रेषित करता है
	सहायक आयुक्त	आवेदन को सत्यापित और स्वीकृति देता है। कोषागार से दो भागों में बिल ड्रा करता है- (i) संस्थान के खाते में शिक्षण शुल्क तथा (ii) छात्र के खाते में रखरखाव भत्ता
पंजाब	**छात्र**	पीएमएस के लिए ऑनलाइन आवेदन करता है तथा प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ संस्थानों को हार्ड कॉपी प्रस्तुत करता है
	संस्थान	कॉलम में राशि भरता है, सत्यापित करता है तथा नोडल/लाइन विभाग द्वारा नियुक्त 'स्वीकृति प्राधिकारी' के लिए आवेदन की सिफारिश करता है
	स्वीकृति प्राधिकारी	ऑनलाइन आवेदन को सत्यापित करता है, तथा नोडल/लाइन विभागों को पात्र छात्र की सूची अग्रेषित करता है
	नोडल/लाइन विभाग	छात्र की योग्यता का सत्यापन करता है, ऑनलाइन आवेदन को लॉक करता है तथा सूची को कल्याण विभाग को अग्रेषित करता है
	राज्य कल्याण विभाग	छात्र/संस्थानों के बैंक खातों में वितरण के लिए आवेदन को संवीक्षा और स्वीकृति प्रदान करता है
तमिलनाडु	**छात्र**	छात्रवृति के लिए आवेदन करता है
	संस्थान	पात्रता की ऑनलाइन पुष्टि करता है तथा जिला आदि द्रविदर कल्याण अधिकारी (डीएडीडब्ल्यूओ) को सूची अग्रेषित करता है
	जिला अधिकारी	अनुमोदित करता है तथा उसे लाइन विभागों को अग्रेषित करता है
	लाईन विभाग	आवेदनों को सत्यापित करता है तथा आदि द्रविदार कल्याण (एडीडब्ल्यू) के निदेशक को अग्रेषित करता है
	निदेशक, एडीडब्ल्यू	अनुमोदन के बाद, छात्र खातों में छात्रवृत्ति के जमा के लिए ईसीएस सूची तैयार की जाती है।

उत्तर प्रदेश	**छात्र**	पीएमएस के लिए ऑनलाइन आवेदन करता है तथा प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ संस्थानों को हार्ड कॉपी प्रस्तुत करता है
	संस्थान	आवेदन को सत्यापित करता है तथा जिला शिक्षा अधिकारी को ऑनलाइन अग्रेषित करता है
	जिला शिक्षा अधिकारी	आवेदन की काउंटर पुष्टि करता है तथा इसे ऑनलाइन 'लॉकिंग' के बाद आवेदन को अग्रेषित करता है
	राज्य एनआईसी	संबधित विभाग के पोर्टल्स से ऑनलाइन प्राप्त की गई कुल आंकड़ों को 'सही' और 'संदिग्ध' आंकड़ा आधारित सूचना में अलग करता है
	जिला समाज कल्याण कार्यालय	'सही' और 'संदिग्ध' ऑनलाइन जनरेट किये गये आंकड़ों को पुनः सत्यापित करता है। 'छात्रवृत्ति अनुमोदन समिति' से छात्रवृत्ति के अनुमोदन के बाद राज्य कोषागार से पीएफएमएस के माध्यम से भुगतान करने के लिए अपने डिजिटल हस्ताक्षर के साथ ऑनलाइन आंकड़ा प्रस्तुत करता है।

अनुबंध - 3
(*पैरा* 1.6 के संदर्भ में)
चयनित जिलों एवं चयनित संस्थानों की राज्य-वार सूची

1. कर्नाटक

क्र.सं.	जिले का नाम	तालुका का नाम	क्र.सं.	संस्थान का नाम
1.	बेल्लारी	बेल्लारी	1	बेल्लारी प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन कॉलेज संस्थान, बेल्लारी
			2	चैतन्य पी.यू. कॉलेज बेल्लारी
			3	राजकीय प्रथम श्रेणी महिला कॉलेज बेल्लारी
			4	राजकीय वाणिज्य प्रबंधन कॉलेज बेल्लारी
			5	रॉयल शिक्षा कॉलेज [बीएड], बेल्लारी
			6	संजय गांधी पॉलिटेक्निक, बेल्लारी
			7	श्री साई शिक्षा सोसायटी
			8	वीरशैव कॉलेज बेल्लारी
		होसपेट	9	कन्नड़ कॉलेज हम्पी
			10	विजय नगर कॉलेज होसपेट
2.	बेलागावी	बेलागावी	11	बेलगाम प्राईवेट आई टी आई कॉलेज, ऑटो नगर
			12	भारतेष होम्योपैथिक चिकित्सा कॉलेज, बेलागावी
			13	राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, बेलागावी
			14	जैन अभियांत्रिकी कॉलेज, बेलागावी
			15	केएलएस गोग्रे इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी कॉलेज, बेलागावी
			16	केएसआर शिक्षा कॉलेज, नेहरू नगर, बेलागावी
			17	संगोली रयन्ना प्रथम श्रेणी अंगीभूत कॉलेज, बेलागावी
		चिक्कोडी	18	राजकीय प्रथम श्रेणी महिला कॉलेज चिक्कोडी
			19	केएलई पी.यू. कॉलेज, चिक्कोडी
			20	आरडी पी.यू. कॉलेज चिक्कोडी
3.	बेंगलूरू शहरी	अनेकल	21	केनरा पी.यू. कॉलेज, यदावनाहाली
			22	राजकीय प्रथम श्रेणी कॉलेज, अनेकल
			23	स्वामी विवेकानन्द पी.यू. कॉलेज, चन्द्रपुरा
		बेंगलूरू दक्षिण	24	बी एम एस इंजीनियरिंग कॉलेज, बेंगलूरू
			25	बेंगलूरू विश्वविद्यालय, बेंगलूरू-56
			26	डॉन बॉस्को प्रौद्योगिकी संस्थान, बेंगलुरू
			27	राजकीय प्रथम श्रेणी महिला कॉलेज बेंगलुरू-102
			28	आर जे एस प्रथम श्रेणी कॉलेज बेंगलुरू-34
			29	श्रीमती गंगमा होम्बीगोड़ा प्रथम श्रेणी कॉलेज
			30	उदय कम्पोजिट पूर्व-विश्वविद्यालय कॉलेज, बेंगलुरू

4.	चित्रदुर्ग	चित्रदूर्ग	31	चिनमूलादरी राष्ट्रीय पी.यू. कॉलेज, चित्रदुर्ग
			32	राजकीय कला कॉलेज, चित्रदुर्ग
			33	राजकीय बालक पीयू कॉलेज
			34	महारानी कम्पोजिट पीयू कॉलेज, चित्रदुर्ग
			35	पतंजली नर्सिंग विद्यालय, चित्रदुर्ग
			36	एस जे एम महिला कॉलेज, चित्रदुर्ग
			37	एस एस के एस निर्सिंग विद्यालय, चित्रदुर्ग
			38	सरस्वती विधि कॉलेज, चित्रदुर्ग
		होलाकेरे	39	राजकीय कम्पोजिट कॉलेज, चिक्काजूजूर
			40	श्री कोत्रे नानजप्पा पीयू. कॉलेज, कोलाकारे
5.	मैसूरू	हुनसूर	41	राजकीय कन्या पी.यू. कॉलेज, हून्सूर
			42	टैलेंट कम्पोजिट प्री यूनिवरसिटी, हून्सूर
		मैसूरू	43	बी.एम.एच. ओटीटी प्रशिक्षण संस्थान
			44	संचार एवं पत्रकारिता में डीओएस
			45	जेएसएस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (भूतपूर्व -एसजेसीई), मैसूर
			46	ज्योती कम्पोजिट पी.यू. विज्ञान कॉलेज, मैसूरु
			47	एम ई एस सी ओ आईटीआई, मैसूर
			48	महारानी वाणिज्य एवं प्रबंधन महिला कॉलेज, मैसूरु
			49	विद्या विकास प्रथम श्रेणी कॉलेज, मैसूरु
			50	विद्या वर्धका प्रथम श्रेणी कॉलेज, मैसूरु
6.	रामानागरा	चन्नापटना	51	राजकीय बाल प्री यूनिवर्सिटी, कॉलेज, चन्नापटना
			52	श्री होम्बीगोड़ा आईटीआई प्रशिक्षण केन्द्र, केगंल
			53	श्रीमती अनुश्यम्पा नन्जप्पा प्री-यूनिवर्सिटी, चन्नापटना
		रामानागरा	54	घौसिया इंजीयरिंग कॉलेज, रामानागरा
			55	राजकीय बालक पूर्व-विश्वविद्यालय कॉलेज, रामानागरा
			56	राजकीय प्रथम श्रेणी कॉलेज, रामानागरा
			57	एम.एच. प्रबंधन विज्ञान संस्थान, रामानागरा
			58	महर्षि प्रबंधन संस्थान, बिडाडी
			59	शांति निकेथना पॉलिटेक्निक कॉलेज, रामानागरा
			60	श्री बासावेश्वरा कंपोजिट पूर्व-विश्वविद्यालय कॉलेज, रामानागरा
7.	शिवमोग्गा	शिवमोग्गा	61	अचार्य थुल्सी राष्ट्रीय वाणिज्य कॉलेज, शिवमोग्गा
			62	डी वी एस कला एवं विज्ञान कॉलेज
			63	डी वी एस कम्पोजिट जूनियर कॉलेज, शिवमोग्गा
			64	कमला नेहरू मेमोरियल राष्ट्रीय महिला कॉलेज, शिवमोग्गा
			65	एस जे पी आई टी आई कॉलेज, शिवमोग्गा

			66	सहयाद्री कला एवं वाणिज्य कॉलेज
			67	सर्वोदय बालिका पीयू कॉलेज
		सोराबा	68	अमरज्योथी पी यू कॉलेज, हाले सोराबा
			69	राजकीय पी यू कॉलेज, अनावट्टी, सोराबा
			70	राजकीय पी यू कॉलेज, सोराबा
8.	यादगिर	शाहपुर	71	राजकीय पी यू बालिका कॉलेज, शाहापुर
			72	यशस्विनी बी ए, बी बी एम डिग्री कॉलेज, शाहपुर
		यादगिर	73	राजकीय कैगारीका ताराबेती समस्ते, गुरूमित्कल
			74	राजकीय पी यू कॉलेज, याडगिर
			75	हुलीगप्पा पाराचिकित्सा कॉलेज, याडगिर
			76	हुलीगप्पा डिग्री कॉलेज, याडगिर
			77	जवाहर पॉलिटेक्निक, याडगिर
			78	महात्मा गांधी पॉलिटेक्निक कॉलेज, याडगिर
			79	राजीव गांधी पैरामेडिकल कॉलेज यादगिर
			80	श्री सिद्दालिंगेश्वर स्वतंत्र पी यू कॉलेज, यादगिर

2. महाराष्ट्र

क्र.सं.	जिले का नाम	क्र.सं.	संस्थान का नाम
1.	अहमदनगर	1.	कृषि जैवप्रौद्योगिकी कॉलेज, लोनी
		2.	अमृतवाहिनी इंजीनियरिंग कॉलेज, अमृतनागर पोस्ट संगामंनर
		3.	राजकीय पॉलिटेक्निक
		4.	के.जे सौमैय्या कला, वाणिज्य, विज्ञान कॉलेज, कोपरगांव
		5.	नवीन कला, विज्ञान एवं वाणिज्य कॉलेज पारनेर
		6.	नवीन कला, विज्ञान एवं वाणिज्य कॉलेज, अहमदनगर
		7.	पं. डॉ. वी.वी. पाटिल फाउंडेशन नर्सिंग कॉलेज डॉ. वी पाटिल मेमोरियल अस्पताल तथा चिकित्सा कॉलेज विलादघाट
		8.	ग्रामीण सोसायटीज पद्मश्री डॉ. विट्टलराव विखे पाटिल प्रौद्योगिकी एवं इंजीनिरिंग पॉलिटेक्निक संस्थान, प्रवरानगर
		9.	संत एकनाथ नर्सिंग संस्थान
		10.	श्री साई नर्सिंग (आरजीएनएम) कॉलेज, जामखेड़ ताल-जामखेड़
2.	अमरावती	11.	अशोक कला वाणिज्य कॉलेज, चंदुर रेलवे
		12.	धामनगांव शिक्षा सोसायटीज एल.ए.एम.आई.टी धामनगांव रेलवे
		13.	राजकीय पॉलिटेक्निक
		14.	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
		15.	राजकीय विदर्भ विज्ञान एवं मानवता विज्ञान संस्थान
		16.	स्वर्गीय आर.जी. देशमुख कला वाणिज्य तथा विज्ञान कॉलेज

		17.	महात्मा फूले कला वाणिज्य तथा सीतारामजी चौधरी विज्ञान कॉलेज
		18.	एन.जी. मोघे उच्च माध्यमिक विद्यालय, शेंदुरजनाघाट
		19.	श्री शिवाजी कला, वाणिज्य कॉलेज
		20.	वीवाईडब्ल्यूएस प्रो. राम मेघे प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान संस्थान, बाडनेरा
3.	औरंगाबाद	21.	अंजीथा शिक्षा सोसायटी संचालित पंडित जवाहरलाल नेहरू कला, वाणिज्य एवं विज्ञान कॉलेज
		22.	डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय परिसर
		23.	राजकीय कला एवं विज्ञान कॉलेज
		24.	राजकीय पॉलिटेक्निक, औरंगाबाद
		25.	जन सिक्षण संस्थान औरंगाबाद संचालित विजेन्ड काबरा समाजकार्य कॉलेज
		26.	मराढवाड़ा शिक्षण प्रसारक मण्डल संचालित देवगिरि तकनीकी एवं प्रबंधन अध्ययन संस्थान
		27.	एसएसपीएम संचालित देवगिरी अंजीनियरिंग एवं प्रबंधन अध्ययन संस्थान
		28.	एससी एवं नवबोध बालिका एवं बालक राजकीय उच्चतर श्रेणी आईटीआई किल्ले आर्क, वीआईपी रोड
		29.	श्री यश प्रतिष्ठान संचालित श्रीयश इंजीनियरिंग कॉलेज
		30.	विवेकानंद संस्था संचालित विवेकानंद कला, सरदार दलीप सिंह वाणिज्य एवं विज्ञान कॉलेज
4.	कोल्हापुर	31.	कृषि प्रौद्योगिकी कॉलेज, काले
		32.	भारती विद्यापीठ इंजीनियरिंग कॉलेज
		33.	डॉ. जे.जे मगडम चैरिटेबल न्यास डॉ जे.जे मगडम नर्सिंग शिक्षा संस्थान
		34.	राजकीय पॉलिटेक्निक, कोल्हापुर
		35.	गोविन्द उच्च विद्यालय, एचलकरंजी
		36.	कमला कॉलेज
		37.	आर.सी.एस.एम. राजकीय चिकित्सा कॉलेज कोल्हापुर
		38.	राजाराम कॉलेज
		39.	शिवाजी विश्वविद्यालय, विद्यानगर, कोल्हापुर
		40.	श्री शाहजी छत्रपति महाविद्यालय
5.	नागपुर	41.	राजकीय पॉलिटेक्निक, मंगलवर बाजार, सदर, नागपुर
		42.	राजकीय विज्ञान संस्था, रविन्द्रनाथ टैगोर रोड़, नागपुर
		43.	इंदिरा गांधी राजकीय चिकित्सा कॉलेज नागपुर

		44.	कमला नेहरू कॉलेज, सक्करदरा चौक, नागपुर
		45.	करमवीर दादासाहेब कन्नमवर तकनीकी कॉलेज, नंदनवन, नागपुर
		46.	महाराष्ट्र उच्च माध्यमिक विद्यालय, खापरखेड़ा, तालसौनेर
		47.	पी.डब्लयू.एस. कला एवं वाणिज्य कॉलेज, इंडोरा कामथी रोड़, नागपुर
		48.	रामकृष्णा वाग कला एवं वाणिज्य कॉलेज
		49.	श्री बिंजानी नगर कॉलेज उमरेड रोड, नागपुर
		50.	ज्योतिबा फुले समाजकार्य कॉलेज, उमरेड रोड, नागपुर
6.	नासिक	51.	कला, विज्ञान एवं वाणिज्य कॉलेज, नामपुर बगलान, नासिक
		52.	कला, विज्ञान एवं वाणिज्य कॉलेज, पिंपलगांव बसावंत, नासिक
		53.	कला, विज्ञान एवं वाणिज्य कॉलेज, देवलाली, नासिक
		54.	गोखले शिक्षा सोसायटी नर्सिंग एवं प्रशिक्षण (बी.एससी) के लिए नर्सिंग शिक्षा संस्थान, विद्यानगर, नासिक
		55.	जनता अंग्रेजी विद्यालय एवं जूनियर कॉलेज, सैखेड़ा ता-निफाड़ जिला - नासिक
		56.	के.आर.टी. कला, बी.एच. वाणिज्य एवं ए.एम. विज्ञान कॉलेज नासिक
		57.	कल्याणी चैरिटेबल न्यास, स्वर्गीय गंभीरराव नातुबा सपकल इंजीनियरिंग कॉलेज, अंजानेरी, त्रिम्बेकश्वर रोड़, नासिक
		58.	आरएनसी कला, जेडीबी वाणिज्य, एनएससी विज्ञान कॉलेज, नासिक रोड़ नासिक
		59.	एस.एम.बी.टी. चिकित्सा विज्ञान संस्थान एवं अनुसंधान केन्द्र
		60.	वी.एन. नायक कला, वाणिज्य एवं विज्ञान कॉलेज, कनाड़ा कॉर्नर, सहारनपुर रोड़, नासिक
7.	पुणे	61.	अभिनव शिक्षा सोसायटी कम्प्यूटर विज्ञान एवं प्रबंधन कॉलेज क्र.सं. 13 अम्बेगांव(बीके) कटराज-देहु बाईपास
		62.	अनिकांत शिक्षा सोसायटी तुल्जाराम चाटुचंद कॉलेज (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य), बारामती, पुणे - 413102
		63.	बी.जे. राजकीय चिकित्सा कॉलेज, पुणे-1
		64.	बी.जे. चिकित्सा कॉलेज एवं सेसन सामान्य अस्पताल पुणे प्रशिक्षण नर्सिंग कॉलेज (बी.एससी)
		65.	कैम्प शिक्षा सोसायटीज अरविन्द बी.तेलंग कला, विज्ञान एवं वाणिज्य कॉलेज, निगड़ी
		66.	एमएईईआर एमआईटी एमआईएमईआर चिकित्सा कॉलेज तालेगांव, पुणे
		67.	रायत शिक्षण संस्था महात्मा फूले कॉलेज (कला,विज्ञान एवं वाणिज्य), पिम्परी-वाघायर, पुणे -411017

		68.	सावित्री बाई फूले पुणे विश्वविद्यालय
		69.	श्री चाणक्य शिक्षा सोसायटीज इंदिरा इंजीनिरिंग एवं प्रौद्योगिकी कॉलेज, 1094, परंदवाड़ी
		70.	शेत्कारी शिक्षण मंडल वसंतदादा पाटिल प्रौद्योगिकी संस्थान, बावधान (खुर्द)
8.	शोलापुर	71.	डॉ. वी.एम. राजकीय चिकित्सा कॉलेज
		72.	राजकीय पॉलिटेक्निक
		73.	के.एन.भेसे कला एवं वाणिज्य कॉलेज, कुर्दुवाड़ी, मधा, ताल-मधा
		74.	कै. शंकरराव बाजीराव पाटिल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आंगर
		75.	कर्मवीर भाऊराव पाटिल कॉलेज, पंढरपुर ताल-पंढरपुर
		76.	मौली कॉलेज, वड़ाला, ताल-उत्तर शोलापुर, शोलापुर
		77.	नागेश कारजागी ऑर्चिड इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी कॉलेज, शोलापुर
		78.	शंकररावमोहिते कॉलेज, अकालुज, ताल-मालशेरा
		79.	श्री राम इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, (पॉली), पानीव
		80.	श्री शिवाजी कॉलेज, बरशी, ताल-बरशी
9.	थाणे	81.	राजकीय पॉलिटेक्निक, मुम्ब्रा शिल रोड़, ऑप. भारत लिमि., थाणे
		82.	राजकीय पॉलिटेक्निक, जडपोली, शिल रोड़, विक्रमगड़, थाणे
		83.	पद्मश्री अन्नासाहेब जाधव भारतीय समाज उन्नति मंडल भीवंडी निजामपुर नगरपालिका कला, विज्ञान एवं वाणिज्य कॉलेज
		84.	आर.के. तलरेजा कला, विज्ञान एवं वाणिज्य कॉलेज
		85.	रामराव आदिक शिक्षा सोसायटीज पद्मश्री डॉ. डी.वाई. पाटिल विधि कॉलेज, नेरूल, नवी मुम्बई
		86.	बमाने (अलेके) में सम्यक प्रबोधन संघ, भीमराव टी. प्रधान कला, विज्ञान एवं वाणिज्य कॉलेज, ताल- शाहापुर, जिला- थाणे
		87.	शीवाजीराव एस. जॉनढाले इंजीनियरिंग कॉलेज
		88.	टेरेना पब्लिक चैरिटेबल न्यास टेरेना इंजीनियरिंग कॉलेज
		89.	टेरना चिकित्सा कॉलेज नेरूल नवी मुम्बई
		90.	उत्कर्ष विद्यालय एवं जूनियर कॉलेज

3. पंजाब

क्र.सं.	चयनित जिले	क्र.सं.	चयनित संस्थान
1.	भटिंडा	1.	भाई मान सिंह पॉलिटेक्निक
		2.	बी.एम. शिक्षा कॉलेज
		3.	जीजीएसएसएस भटिंडा
		4.	गुरु हरगोबिंद पॉलिटेक्निक
		5.	गुरु काशी विश्वविद्यालय
		6.	हाई टेक पॉलिटेक्निक
		7.	पंजाब पब्लिक नर्सिंग कॉलेज
		8.	पंजाब विश्वविद्यालय टीपीडी मालवा कॉलेज रामपुरा
		9.	सारासवती आईटीआई
		10.	एसएसआरएस भटिंडा
2.	होशियारपुर	11.	डीएवी एसएसएस दसुया
		12.	जीजीएसएसएस रेलवे मंडी होशियारपुर
		13.	राजकीय कॉलेज होशियारपुर
		14.	जीएसएसएस गढ़शंकर
		15.	गुरु नानक प्रौद्योगिकी संस्थान डालेवाल
		16.	माता विद्यावाती मेमोरियल आईटीसी मुकेरियन
		17.	मदर मैरी नर्सिंग संस्थान होशियारपुर
		18.	रयात बाहरा इंजिनियरिंग संस्थान और नैनो टेक होशियारपुर
		19.	एसबीसीएमएस प्रौद्योगिकी संस्थान मुकेरियन
		20.	एसजीजीएस खलसा कॉलेज महिलपुर
3.	जालन्धर	21.	डीएवी कॉलेज
		22.	डीआईटी जालंधर
		23.	डीआईईपीएस प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी संस्थान
		24.	जीजीएसएसएस नेहरू गार्डन
		25.	जीजीएसएसएस फिल्लौर
		26.	गुरु नानक कॉलेज
		27.	लयलपुर खालसा कॉलेज
		28.	मेहर चंद पॉलिटेक्निक
		29.	प्रताबपुर आईटीसी
		30.	सत्यम पॉलिटेक्निक
4.	मोगा	31.	बीआईएस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान
		32.	जीजीएसएसएस भागा पुराण
		33.	जीजीएसएसएस मोगा

		34.	एलएलआर राजकीय कॉलेज डुडीके
		35.	एलएलआरएम आईटीआई अजितवाल
		36.	एलएलआरएम पॉलीटेक्निक अजीतवाल
		37.	एमएलएम नर्सिंग कॉलेज
		38.	एमएलएम पॉलिटेक्निक कॉलेज
		39.	उत्तर पश्चिम संस्थान
		40.	सुखदेव कृष्ण शिक्षा कॉलेज मोगा
5.	पटियाला	41.	आदर्श पॉलिटेक्निक कॉलेज समाना
		42.	आदर्श नर्सिंग कॉलेज समाना
		43.	एशियन कॉलेज पटियाला
		44.	जीजीएसएसएस नाभा
		45.	जीएसएसएस नाभा
		46.	माल्वा आईटीसी पेट्रान
		47.	नैन्सी शिक्षा कॉलेज समाना
		48.	नैन्सी पॉलिटेक्निक कॉलेज समाना
		49.	पटियाला पॉलीटेक्निक रखरा
		50.	पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला
6.	मुक्तसर साहिब	51.	आदेश पॉलिटेक्निक कॉलेज श्री मुक्तासार साहिब
		52.	बाबा दीप सिंह पॉलिटेक्निक कॉलेज श्री मुक्तासार साहिब
		53.	सीजीएम कॉलेज मोहलान
		54.	जीजीएसएसएस वार्ड सं. 5 श्री मुक्तासार साहिब
		55.	जीजीएसएसएस वार्ड सं. 6 गीडरबाहा
		56.	गुरू नानक बालिका कॉलेज श्री मुक्तसर साहिब
		57.	गुरू तेग बहादुर पॉलिटेक्निक कॉलेज मालआऊट
		58.	श्री मुक्तसर साहिब का लिटिल ऐंजिल शिक्षा कॉलेज
		59.	राज्य नर्सिंग एवं परा चिकित्सा विज्ञान संस्थान बादल
		60.	टेक्नों औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र श्री मुक्तसर साहिब

4. तमिलनाडु

क्र.सं.	चयनित जिले	क्र.सं.	चयनित संस्थान
1.	कोयम्बटूर	1.	चेरान नर्सिंग कॉलेज
		2.	राजकीय कला कॉलेज
		3.	राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, सेनेरीपूट्यूअर
		4.	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मदुककरै
		5.	पीएसजी कला एवं विज्ञान कॉलेज
		6.	पीएसजी चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान

		7.	रामकृष्ण मिशन विद्यालय कला एवं विज्ञान कॉलेज
		8.	रंगांथान इंजीनियरिंग कॉलेज
		9.	श्री शक्थि इंजीनियरिंग कॉलेज
		10.	वीकेएन कला कॉलेज
2.	कुड्डालोर	11.	अन्नामलाई विश्वविद्यालय
		12.	अन्नामलाई विश्वविद्यालय - व्यावसायिक
		13.	अन्नामलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाई नगर
		14.	राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, पुटुपेट्टाई
		15.	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पन्नुती
		16.	ओपीआर मेमोरियल पारा चिकित्सा विज्ञान कॉलेज, वदलुर
		17.	पेरियार सरकारी कला कॉलेज
		18.	श्री वेंकटेश्वर शिक्षा कॉलेज एमएड कुड्डालोर
		19.	सेंट एनेन्स इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी कॉलेज, पन्नुती
		20.	विकनेश्वर पॉलिटेक्निक, अलापक्कम
3.	कांचीपुरम	21.	चेंगलपेट चिकित्सा कॉलेज (जीओवीटी)
		22.	धनलक्ष्मी इंजीनियरिंग कॉलेज (पीवीटी)
		23.	डॉ. एरुलप्पा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (पीवीटी)
		24.	राजकीय कला एवं विज्ञान कॉलेज (जीओवीटी)
		25.	राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (जीओवीटी)
		26.	एसडीएनबीवी महिला कला एवं विज्ञान कॉलेज (पीवीटी)
		27.	श्री कृष्ण प्रौद्योगिकी संस्थान (पीवीटी)
		28.	श्री शंकर कला एवं विज्ञान कॉलेज (पीवीटी)
		29.	एसआरआर इंजीनियरिंग कॉलेज (पीवीटी)
		30.	टैगोर चिकित्सा कॉलेज (पीवीटी)
4.	मदुरै	31.	ऐलानंदर कॉलेज मदुरै
		32.	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सेड़ापट्टी
		33.	मदुरा कॉलेज
		34.	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय
		35.	मदुरै चिकित्सा कॉलेज
		36.	निर्मला बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मदुरै
		37.	सौराष्ट्र बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मदुरै
		38.	त्यागराजर इंजीनियरिंग कॉलेज
		39.	वेलम्मल चिकित्सा कॉलेज
		40.	वेलेसामी नादिर कॉलेज मदुरै

5.	पुडुकोट्टई	41.	अरपूथा कला एवं विज्ञान कॉलेज
		42.	राजकीय महिला कला कॉलेज
		43.	राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय थिरूयुमायम
		44.	राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, अरथांगी
		45.	माउंट ज़ियान इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी कॉलेज
		46.	नयनार मोहम्मद कला एवं विज्ञान कॉलेज
		47.	पवेंद्र भारतीदासन कला एवं विज्ञान कॉलेज
		48.	एसएमआर शिक्षा कॉलेज
		49.	श्री भारती महिला कला एवं विज्ञान कॉलेज
		50.	वेंकटेश्वर शिक्षा कॉलेज
6.	सेलम	51.	अन्नपर्णा चिकित्सा कॉलेज एवं अस्पताल
		52.	फातिमा जीएचएसएस
		53.	गणेश इंजीनियरिंग कॉलेज
		54.	राजकीय महिला कला कॉलेज
		55.	राजकीय जीएचएसएस आयोथाईपट्टिनम
		56.	ग्रेनटेक ईंजीनियरिंग कॉलेज
		57.	महेंद्र इंजीनियरिंग कॉलेज
		58.	पेरियार विश्वविद्यालय अंगीभूत कॉलेज
		59.	सेलम इंजीनियरिंग कॉलेज
		60.	श्री कैलाश महिला कॉलेज
7.	त्रिवल्लूर	61.	डीआरबीसीसीआर उच्च माध्यमिक विद्यालय, तिरुवल्लुर
		62.	ईश्वरी इंजीनियरिंग कॉलेज
		63.	राजकीय एल.एन. कला कॉलेज
		64.	राजकीय आरएमजे बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, तिरुवल्लुर
		65.	जया इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान
		66.	जया पॉलिटेक्निक कॉलेज
		67.	श्री वेंकटेश्वर इंजीनियरिंग कॉलेज
		68.	श्रीदेवी कला एवं विज्ञान कॉलेज
		69.	वेलटेकहाईटेक डॉ. रंगराजन डॉ. शकुन्थला इंजीनियरिंग कॉलेज
		70.	विवेकानंद अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान
8.	विरूदनगर	71.	ऐय नदर जनकी अमल कॉलेज शिवाकाशी
		72.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पलायम्पाटी
		73.	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पालावनथम
		74.	मदुरई कामराज विश्वविद्यालय अंगीभूत कॉलेज सत्तूर
		75.	मेपको शलैंक इंजीनियरिंग कॉलेज शिवाकाशी
		76.	पीएसआर इंजिनियरिंग कॉलेज

		77.	राजापलायम राजूस कॉलेज
		78.	रैमको प्रौद्योगिकी संस्थान राजपलायम
		79.	एसएचएन बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवाकाशी
		80.	वीपीएमएम नर्सिंग कॉलेज कृष्णनकोविल

5. उत्तर प्रदेश

क्र.सं.	चयनित जिले	क्र.सं.	चयनित संस्थान
1.	आगरा	1.	आगरा कॉलेज, आगरा
		2.	बलवंत ग्रामीण इंजीनियरिंग संस्थान, बिचपुरी
		3.	कुणाल व्यावसायिक शिक्षा अकादमी, तेहरा
		4.	पं. मनीष शर्मा डिग्री कॉलेज, देवरी रोड
		5.	रघुराम कॉलेज, कागारोल
		6.	राजा एस.पी. सिंह डिग्री कॉलेज, इटौरा
		7.	एसएस शैक्षिक संस्थान, गमरी मालपुरा
		8.	सेठ राम स्वरूप गोविंदी देवी कॉलेज, ऐत्मादपुर
		9.	श्री लाल सिंह डिग्री कॉलेज, अविधगढ़
		10.	श्रीमती बी डी जैन बालिका कॉलेज, आगरा
2.	अलीगढ़	11.	अमृत सिंह मेमोरियल डिग्री कॉलेज अलीगढ़
		12.	सूचना प्रबंधन और प्रौद्योगिकी संस्थान, अलीगढ़
		13.	लालाराम श्री देवी डिग्री माविद्यालय
		14.	एम.के. राजकीय डिग्री कॉलेज गभाना अलीगढ़
		15.	पी.एम. शिक्षा कॉलेज
		16.	पं. श्री चंद शर्मा मेमो. कॉलेज मानवपुर कलान, खैर, अलीगढ़
		17.	श्री लालाराम शर्मा मेमोरियल कॉलेज, जारा, अलीगढ़
		18.	टीकाराम कन्या कॉलेज, अलीगढ़
		19.	उदय सिंह जान कन्या इंटर कॉलेज
		20.	विश्वकर्मा डिग्री कॉलेज टप्पल, अलीगढ़
3.	इलाहाबाद	21.	बाला प्रसाद कुशवाहा इंटर कॉलेज, बलरामपुर बैरेथी ब्लॉक, सैयदाबाद
		22.	डिग्री कॉलेज, अपरदहा, बरौत
		23.	इंजीनियरिंग और ग्रामीण प्रौद्योगिकी संस्थान
		24.	कलावती देवी डिग्री कॉलेज बाड़ा, इलाहाबाद
		25.	महावीर सुमित्रा महिला कॉलेज, बजाह मिस्रान सैयादाबाद हांडिया
		26.	प्रताप नारायण सुभद्रा देवी महाविदयालय फिरोजपुर हेटापत्ति
		27.	राज नारायण पांडे पी.जी. कॉलेज बेरई गरपुर
		28.	सरदार पटेल इंटर कॉलेज सीकोरो कोराण ऑल. ब्लॉक कोराण
		29.	श्री मती कैलाशी देवी आर. सरोज कॉलेज रास्तीपुर हांडिया
		30.	सिद्धार्थ इंटर कॉलेज सदरे पुर सराय ममरेज ब्लॉक प्रतापपुर

4.	बिजनौर	31.	देवता महाविद्यालय
		32.	धामपुर डिग्री कॉलेज
		33.	धर्मवीर डिग्री कॉलेज
		34.	गुलाब सिंह पी.जी. कॉलेज
		35.	लक्ष्य प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी कॉलेज बागबारा, सीओहारा
		36.	प्रेम सिंह स्वातंत्रता सेनानी कॉलेज
		37.	रजनीश प्रताप सिंह डिग्री कॉलेज
		38.	एस.एन.एस.एम. इंटर कॉलेज
		39.	वर्धमान कॉलेज
		40.	विनायक कॉलेज
5.	लखनऊ	41.	अंबालिका प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी संस्थान
		42.	बीबीडी प्रौद्योगिकी संस्थान
		43.	भालचंद शिक्षा और प्रबंधन संस्थान
		44.	डीएनएम इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान
		45.	करामत हुसैन मुस्लिम बालिका पीजी कॉलेज
		46.	लखनऊ विश्वविद्यालय
		47.	आर आर आधुनिक प्रौद्योगिकी संस्थान
		48.	राम कॉलेज
		49.	एसआर प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी संस्थान
		50.	शिया पीजी कॉलेज लखनऊ
6.	मथुरा	51.	बृज हितकारी इंटर कॉलेज बाजना
		52.	चमेली देवी खंडेलवाल आईसी
		53.	ईडीआईएफवाई, प्रबंधन और प्रौद्योगिकी संस्थान
		54.	हरदयाल तकनीकी परिसर, मथुरा
		55.	जसवंत सिंह भद्रौड़िया प्रौ. संस्थान, मथुरा
		56.	पी.के. प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान
		57.	राष्ट्रीय इंटर कॉलेज, सुरीर, मथुरा
		58.	एस.आर. कॉलेज, इंदवली, बलदेव
		59.	श्री बाबू लाल कॉलेज
		60.	ऊषा शिक्षण संस्थान
7.	मेरठ	61.	डी.एन. कॉलेज मेरठ
		62.	डीएवी कॉलेज खारखोडा मेरठ
		63.	दयानंद विद्यापीठ शैक्षिक संस्थान
		64.	धर्मेंद्र सिंह मेमोरियल कॉलेज किथोर रोड
		65.	जेपी इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, मेरठ कैन्ट
		66.	के.एल. बालिका कॉलेज मेरठ
		67.	काईट समूह संस्थान सुभारटी के पास

		68.	मेरठ कॉलेज
		69.	पं. सुजान सिंह डिग्री कॉलेज
		70.	श्रीनाथजी तकनीकी शिक्षा संस्थान
8.	राय बरेली	71.	बाबू भीष्म सिंह उच्चतर शिक्षा संस्थान गोजारी
		72.	बाबू पं. रामेश्वर प्रसाद द्विवेदी कॉलेज जराया अटौरा
		73.	दयानंद बछरावां पी.जी. कॉलेज बछरावां
		74.	डॉ अम्बेडकर राजकुमारी कॉलेज, उंचाहार
		75.	दुर्गा बाल विद्या, एच.एस.एस. शास्त्री नगर, खिरोन ब्लॉक खीरो
		76.	जानपद इंटर कॉलेज, हरचंदपुर
		77.	प्राग कॉलेज सेमारी रानपुर उंचाहर
		78.	पं.राज नारायण मिश्रा डिग्री कॉलेज, धूता
		79.	सर्वोदय डिग्री कॉलेज, सालोन
		80.	श्री रामेश्वर त्रिपाठी कॉलेज बहापुर
9.	सहारनपुर	81.	भीला पीजी कॉलेज
		82.	चौ. कालीराम कॉलेज
		83.	देवबंद उच्च शिक्षा कॉलेज, देवबंद
		84.	दून महिला शिक्षा कॉलेज
		85.	ड्रीम्स पॉलिटेक्निक कॉलेज
		86.	गोचर कॉलेज
		87.	इन्फिनिटी प्रबंधन और प्रौद्योगिकी संस्थान
		88.	इस्लामिया डिग्री कॉलेज
		89.	टीपीएसएम इंटर कॉलेज
		90.	यमुना खादर इंटर कॉलेज
10.	वाराणसी	91.	ग्राम्यांचल महिला विद्यापीठ
		92.	हाजी अलिहसन एसजी आईसी
		93.	हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज, वाराणसी
		94.	जगतपुर पीजी कॉलेज जगातुर वाराणसी
		95.	जय प्रकाश कॉलेज
		96.	जीवनदीप कॉलेज
		97.	महादेव पीजी कॉलेज बैरियासानपुर, वाराणसी
		98.	सरस्वती उच्च शिक्षा और तकनीकी इंजीनियरिंग कॉलेज
		99.	सुभाष चंद्र कॉलेज चाकरामा वाराणसी
		100.	उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी

अनुबंध - 4

(पैरा 3.2 का संदर्भ)

महाराष्ट्र में आवेदनों की वर्ष वार स्थिति

वर्ष	पंजीकृत छात्रवृत्ति आवेदन	कॉलेज स्तर पर लंबित छात्रवृत्ति *(प्रतिशतता)*	जिला स्तर पर लंबित छात्रवृत्ति *(प्रतिशतता)*	कुल लंबित *(प्रतिशतता)*	स्वीकृत छात्रवृत्ति *(प्रतिशतता)*	अस्वीकृत छात्रवृत्ति *(प्रतिशतता)*
2012-13	432796	14663 *(3.39)*	857 *(0.2)*	15520 *(3.59)*	405883 *(93.78)*	11393 *(2.63)*
2013-14	469423	18753 *(3.99)*	2228 *(0.47)*	20981 *(4.47)*	438617 *(93.44)*	9825 *(2.09)*
2014-15	466128	18757 *(4.02)*	5325 *(1.14)*	24082 *(5.17)*	434611 *(93.24)*	7435 *(1.60)*
2015-16	471380	19547 *(4.15)*	10270 *(2.18)*	29817 *(6.33)*	434674 *(92.21)*	6889 *(1.46)*
2016-17	465791	30849 *(6.62)*	46047 *(9.89)*	76896 *(16.51)*	384448 *(82.54)*	4447 *(0.95)*
कुल	**2305518**	**102569** ***(4.45)***	**64727** ***(2.81)***	**167296** ***(7.26)***	**2098233** ***(91.01)***	**39989** ***(1.73)***

स्रोत: समाज कल्याण आयुक्त से प्राप्त सूचना

अनुबंध - 5

(पैरा 4.3 के संदर्भ में)

31 जुलाई 2017 को केन्द्रीय सहायता का बकाया एवं जारी किए जाने का राज्य-वार विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	राज्य/यूटी	2016-17 के लिए अनुमानित सीए मांग	पूर्व के बकाया/लंबित दावें	31 मार्च 2017 तक कुल मांग	2016-17 में जारी किए गए सीए	शेष 31.03.2017	सीए जारी 2017-18	शेष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)	(6)	(7) = (5)- (6)	(8)	(9) = (7)- (8)
1.	आंध्र प्रदेश	23800.57	30419.00	54219.54	14398.00	39821.54	8010.48	31811.06
2.	असम	2450.00	0.00	2450.00	1690.00	760.00	0.00	760.00
3.	बिहार	0.00	11666.50	11666.46	4081.00	7585.46	0.00	7585.46
4.	चंडीगढ़	0.00	640.17	640.17	0.00	640.17	0.00	640.17
5.	छत्तीसगढ़	3061.55	1624.77	4686.32	190.00	4496.32	717.38	3778.94
6.	दमन और दीव	0.00	16.69	16.69	0.00	16.69	0.00	16.69
7.	दिल्ली	0.00	473.76	473.76	473.76	0.00	0.00	0.00
8.	गोवा	62.55	29.99	92.54	0.00	92.54	14.99	77.55
9.	गुजरात	0.00	15935.10	15935.09	5244.00	10691.09	5345.54	5345.55
10.	हरियाणा	5645.34	8960.98	14606.32	10735.00	3871.32	0.00	3871.32
11.	हिमाचल प्रदेश	10100.00	7310.48	17410.48	2400.00	15010.48	2450.00	12560.48
12.	जम्मू एवं कश्मीर	848.39	783.52	1631.91	202.00	1429.91	290.76	1139.15
13.	झारखंड	0.00	3856.91	3856.91	2071.00	1785.91	892.95	892.96
14.	कर्नाटक	17076.04	29722.00	46798.00	3300.00	43498.00	13210.98	30287.02
15.	केरल	7138.56	7484.00	14622.56	4267.20	10355.36	1608.40	8746.96
16.	मध्य प्रदेश	11604.96	10575.10	22180.04	3308.00	18872.04	3633.54	15238.50
17.	महाराष्ट्र	58164.93	111665.00	169829.85	10669.00	159160.85	50497.96	108662.89
18.	मणिपुर	583.31	0.00	583.31	583.31	0.00	0.00	0.00
19.	मेघालय	7.06	0.00	7.06	0.00	7.06	0.00	7.06

क्र.सं.	राज्य/यूटी	2016-17 के लिए अनुमानित सीए मांग	पूर्व के बकाया/लंबित दावें	31 मार्च 2017 तक कुल मांग	2016-17 में जारी किए गए सीए	शेष 31.03.2017	सीए जारी 2017-18	शेष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)	(6)	(7) = (5)- (6)	(8)	(9) = (7)- (8)
20.	ओडिशा	18057.00	20113.10	38170.11	19879.80	18290.31	0.00	18290.31
21.	पंजाब	71951.68	51154.80	123106.51	28008.40	95098.11	11573.21	83524.90
22.	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	राजस्थान	20458.17	32529.60	52987.79	20056.00	32931.79	7942.48	24989.31
24.	सिक्किम	255.50	0.00	255.50	255.50	0.00	0.00	0.00
25.	तमिलनाडु	121307.91	141220.00	262528.39	74324.00	188204.39	33448.24	154756.15
26.	तेलंगाना	21354.66	37918.50	59273.14	33166.00	26107.14	2376.24	23730.90
27	त्रिपुरा	1904.68	0.00	1904.68	1904.68	0.00	0.00	0.00
28.	उत्तर प्रदेश	0.00	77840.40	77840.43	27000.00	50840.43	25420.21	25420.22
29.	उत्तराखंड	9067.81	0.00	9067.81	7301.00	1766.81	0.00	1766.81
30.	पश्चिम बंगाल	16431.63	14567.60	30999.24	4369.00	26630.24	5099.31	21530.93
	कुल	**421332.30**	**616508.00**	**1037840.61**	**279876.65**	**757963.96**	**172532.67**	**585431.29**

स्रोत: मंत्रालय के रिकॉर्ड

नोट: 2016-17 के लिए उत्तर प्रदेश का प्रस्ताव 31 जुलाई 2017 के बाद प्राप्त तथा इसलिए उपरोक्त तालिका में शामिल नहीं ।

अनुबंध -6

(पैरा 5.1.1 के संदर्भ में)

पंजाब में 'दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना' के अंतर्गत छोड़ने वाले एवं परीक्षा में शामिल नहीं हुए एससी छात्रों के संबंध में शुल्क और रखरखाव भत्ता (एमए) के अस्वीकार्य दावों का विवरण

क्र.सं.	जिला का नाम	क्र.सं.	संस्थान का नाम	कुल छोड़ने वाले छात्र	दावा किए गये शुल्क की कुल राशि (₹ में)	दावा किए गये एमए की कुल राशि (₹ में)
1.	भटिंडा	1.	भाई मान सिंह पॉलिटेक्निक कॉलेज दयालपुरा	262	12075408	1130220
		2.	बी एम एजुकेशन शिक्षा कॉलेज, भटिंडा	9	327525	20700
		3.	जीजीएसएसएस, भटिंडा	65	53708	153180
		4.	गुरु काशी विश्वविद्यालय भटिंडा	766	43594490	3018700
		5.	हाई-टेक पॉलिटेक्निक कॉलेज, भटिंडा	131	3721803	337640
		6.	पंजाब पब्लिक नर्सिंग कॉलेज, भटिंडा	21	730250	136760
		7.	सरस्वती प्राईवेट आईटीआई, मालाउट रोड, भटिंडा	10	146990	27600
		8.	एसएसआरएस, मेधावी छात्रों के लिए, भटिंडा	2	0	9120
2.	होशियारपुर	9.	बीसीएमएस, प्रौद्योगिकी संस्थान, होशियारपुर (एआईसीटी)	167	4808716	302910
		10.	राजकीय कॉलेज, होशियारपुर	39	429519	135560
		11.	गुरु नानक प्रौद्योगिकी संस्थान डालेवाल	224	6343324	548320
		12.	माता विद्यावती आईटीसी, मुकेरियन	18	246296	49680
		13.	मदर मैरी नर्सिंग संस्थान, होशियारपुर	13	551250	126360
		14.	रायत बहरा इंजिनियरिंग नैनो टेक संस्थान (एआईसीटीई), होशियारपुर	43	3329250	3565750
		15.	एसजीजीएस खालसा कॉलेज महिलपुर	79	1538779	298200

क्र.सं.	जिला का नाम	क्र.सं.	संस्थान का नाम	कुल छोड़ने वाले छात्र	दावा किए गये शुल्क की कुल राशि (₹ में)	दावा किए गये एमए की कुल राशि (₹ में)
3.	**जालंधर**	16.	डीएवी कॉलेज, जालंधर	5	146700	23200
		17.	डीआईपीएस प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर	104	4443200	449780
		18.	जीएसएसएस नेहरू गार्डन, (जी), जालंधर	25	24140	59340
		19.	जीएसएसएस फिल्लौर (जी)	10	9930	23460
		20.	गुरु नानक नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान, जालंधर	16	563500	72960
		21.	लयल्लपुर खालसा बालक कॉलेज, जालंधर	140	3993650	432600
		22.	मेहर चंद पॉलिटेक्निक कॉलेज, जालंधर	98	2752026	255760
		23.	परताबपुर, आईटीसी, परताबपुरा, जालंधर	9	106174	24840
		24.	सत्यम पॉलीटेक्निक कॉलेज, जालंधर	73	1932913	201480
4.	**मोगा**	25.	एपीएस, आईटीसी, मोगा	1	19006	2760
		26.	बीआईएस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, गगरा, मोगा	85	3207825	0
		27.	जीजीएसएसएस, बाघा पुराना	13	13944	34040
		28.	जीएसएसएस मोगा (जी)	27	24570	62100
		29.	लाला लाजपत राय मेमोरियल पॉली कॉलेज, अजितवाल	30	872298	82110
		30.	एमएलएम पॉलीटेक कॉलेज, मोगा	54	1451984	126500
		31.	एमएलएम नर्सिंग विद्यालय, वीपीओ किल्ली चहल, मोगा	14	494500	136080
		32.	सुखदेव कृष्ण शिक्षा कॉलेज (जी) मोगा	31	1695835	79700
5.	**मुक्तसर**	33.	आदेश पॉलिटेक्निक कॉलेज, मुक्तासार	135	3829003	345640
		34.	बाबा दीप सिंह पॉलीटेक्निक कॉलेज, श्री मुक्तसर साहिब	169	4733157	430330
		35.	सीजीएम कॉलेज मोहलान	17	178500	61200
		36.	जीएसएसएस (जी), डब्ल्यू. सं. 5, मुक्तसर	10	9624	25300
		37.	जीएसएसएस (जी), डब्ल्यू सं. 6 गिद्दरबाहा	11	9900	25300
		38.	गुरू नानक बालिका कॉलेज, श्री मुक्तसर साहिब	33	680379	139080

क्र.सं.	जिला का नाम	क्र.सं.	संस्थान का नाम	कुल छोड़ने वाले छात्र	दावा किए गये शुल्क की कुल राशि (₹ में)	दावा किए गये एमए की कुल राशि (₹ में)
		39.	गुरु तेग बहादुर पॉलिटेक्निक, मालोअत	163	4704407	415560
		40.	लिटिल एंजल शिक्षा कॉलेज, मुक्तसर	2	53050	5060
		41.	टेक्नो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मुक्तसर	66	1154912	182160
6.	**पटियाला**	42.	आदर्श नर्सिंग कॉलेज, पटियाला	17	626750	39100
		43.	आदर्श पॉलिटेक्निक कॉलेज, धनथाल, पटियाला	94	2628434	224030
		44.	एशियन कॉलेज, पटियाला	118	3239900	451290
		45.	जीएसएसएस नाभा (बी)	1	1510	2300
		46.	मालवा आईटीसी बुरार पेट्रान, पटियाला	81	1353196	223560
		47.	नैन्सी शिक्षा कॉलेज, पटियाला	5	219225	13340
		48.	नैन्सी पॉलिटेक्निक कॉलेज, पटियाला	41	1153585	42320
		49.	पटियाला पॉलिटेक्निक कॉलेज, रखरा	137	3966561	338790
कुल				**3684**	**128191596**	**14891770**

अनुबंध -7

(पैरा 5.1.1 के संदर्भ में)

तमिलनाडु में संस्थानों का विवरण जहां छात्रों ने कोर्स पूरा किए बिना पढ़ाई को बंद कर दिया था लेकिन उन्हें भुगतान की गयी छात्रवृत्ति वसूल नहीं की गयी थी

क्र.सं.	जिला का नाम		संस्थान का नाम
1.	कोयंबटूर	1.	चेरान नर्सिंग कॉलेज
		2.	राजकीय कला कॉलेज, कोयंबटूर
		3.	रंगनाथन इंजीनियरिंग कॉलेज
		4.	श्री शक्ति इंजीनियरिंग कॉलेज, करामादाई
2.	कुड्डालोर	5.	अन्नामलई विश्वविद्यालय - सरकार द्वारा सहायता प्राप्त
		6.	अन्नामलई विश्वविद्यालय - व्यावसायिक
		7.	राजकीय बालिका उच्च माध्य., पुदुपेट्टई
		8.	ओपीआर मेमोरियल पारा चिकित्सा विज्ञान कॉलेज, वाडालुर
		9.	पेरियार कला कॉलेज
		10.	सेंट ऐनी इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी कॉलेज
		11.	विज्ञानेश्वरा पॉलिटेक्निक कॉलेज, अलप्पक्कम
3.	कांचीपुरम	12.	धनलक्ष्मी इंजीनियरिंग कॉलेज
		13.	डॉ. अरूलप्पा उच्च माध्म. विद्यालय
		14.	श्री कृष्णा प्रौद्योगिकी संस्थान
		15.	श्री शंकर कला एवं विज्ञान कॉलेज
		16.	एसआरआर इंजीनियरिंग कॉलेज
		17.	टैगोर चिकित्सा कॉलेज
4.	मदुरै	18.	मदुरई कामराज विश्वविद्यालय
		19.	वेल्लाम्मल चिकित्सा कॉलेज एवं अस्पताल
5.	पुडुकोट्टई	20.	राजकीय पॉलिटेक्नीक कॉलेज, अरनथांगी
		21.	माउंट जियोन इंजीनियरिंग कॉलेज, पिलिवलम
		22.	नैनामोहद. कला एवं विज्ञान कॉलेज, राजेंद्रपुरम
		23.	पवेंदर बरथिदासन कला एवं विज्ञान कॉलेज, माथुर
		24.	एसएमआर शिक्षा कॉलेज, माथुर
		25.	श्री भारथी कला एवं विज्ञान महिला कॉलेज
6.	सलेम	26.	गणेश इंजीनियरिंग कॉलेज
		27.	राजकीय कला कॉलेज स्वायत्त
		28.	राजकीय बालिका उच्च माध्य. विद्यालय, अयोद्यापट्टिनम
		29.	ग्रीनटेक इंजीनियरिंग कॉलेज

		30.	महेंद्र इंजीनियरिंग कॉलेज
		31.	पेरियार विश्वविद्यालय अंगीभूत कॉलेज
		32.	सलेम इंजीनियरिंग कॉलेज
		33.	श्री कैलाश महिला कॉलेज
7.	**तिरूवल्लूर**	34.	विवेकानंद शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, उथुकोट्टई
8.	**विरूधू नगर**	35.	राजकीय उच्च माध्य. विद्यालय, प्लावक्कम
		36.	मेपको इंजीनियरिंग कॉलेज, शिवकासी
		37.	राजू कॉलेज, राजपलायम
		38.	रैमको प्रौद्योगिकी संस्थान, शिवकासी
		39.	वीपीएमएम नर्सिंग कॉलेज, श्रीविल्लिपुथुर

अनुबंध-8

(पैरा 5.4 के संदर्भ में)

पंजाब में अनुसूचित जाति के छात्रों से शुल्क/पंजीकरण शुल्क/परीक्षा शुल्क के अनियमित संग्रह का विवरण

क्र. सं.	संस्थान का नाम	वर्ष 2013-14		वर्ष 2014-15		वर्ष 2015-16		वर्ष 2016-17		कुल	
		आवेदित छात्रों की सं.	संग्रहित राशि (₹ में)	आवेदित छात्रों की सं.	संग्रहित राशि (₹ में)	आवेदित छात्रों की सं.	संग्रहित राशि (₹ में)	आवेदित छात्रों की सं.	संग्रहित राशि (₹ में)	आवेदित छात्रों की सं.	संग्रहित राशि (₹ में)
1.	आदर्श नर्सिंग कॉलेज ग्राम चौंठ पटियाला	6	14250	55	113100	98	336900	101	287200	260	751450
2.	आदेश पॉलिटेक्निक कॉलेज	125	143150	206	247100	243	295750	243	297750	817	983750
3.	सीजीएम कॉलेज मोहलान	0	0	0	0	0	0	146	2580700	146	2580700
4.	डीएवी कॉलेज, जालंधर	470	2350000	721	3605000	856	4280000	972	4860000	3019	15095000
5.	डायट, अज्जोवाल	44	418000	56	379200	75	316000	86	363400	261	1476600
6.	डायट, जालंधर	26	226850	35	305375	34	296650	51	96900	146	925775
7.	जीजीएसएसएस, बाघा पुराना	320	403617	424	579014	377	369396	365	353860	1486	1705887
8.	जीजीएसएसएस, भटिंडा	354	614650	477	858497	389	341162	371	338458	1591	2152767
9.	राजकीय कॉलेज, होशियारपुर	0	0	1470	12895600	1406	13876214	0	0	2876	26771814
10.	जीएसएसएस (जी), डब्ल्यू. सं. 5, मुक्तासार	316	315810	293	382488	254	222000	280	274838	1143	1195136
11.	जीएसएसएस (जी), डब्ल्यू सं. 6 गिद्दरबाहा	331	315384	326	311444	346	336680	314	311372	1317	1274880
12.	जीएसएसएस मोगा (जी)	275	390548	308	434666	302	253424	316	295143	1201	1373781
13.	जीएसएसएस नभा (बी)	225	434916	287	554412	250	476242	220	454406	982	1919976

क्र. सं.	संस्थान का नाम	वर्ष 2013-14		वर्ष 2014-15		वर्ष 2015-16		वर्ष 2016-17		कुल	
		आवेदित छात्रों की सं.	संग्रहित राशि (₹ में)	आवेदित छात्रों की सं.	संग्रहित राशि (₹ में)	आवेदित छात्रों की सं.	संग्रहित राशि (₹ में)	आवेदित छात्रों की सं.	संग्रहित राशि (₹ में)	आवेदित छात्रों की सं.	संग्रहित राशि (₹ में)
14.	जीएसएसएस नेहरू गार्डन, (जी), जालंधर	623	713720	691	986344	742	739936	832	834354	2888	3274354
15.	जीएसएसएस फिल्लौर (जी)	398	560598	381	524998	343	316944	375	344632	1497	1747172
16.	जीएसएसएस, गढ़शंकर	271	540340	274	367437	242	310742	229	287702	1016	1506221
17.	जीएसएसएस, रेलवे मंडी, होशियारपुर	433	346668	444	424640	343	331048	396	382548	1616	1484904
18.	गुरु नानक नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान अस्पताल, जालंधर	52	260000	84	420000	94	338000	84	448000	314	1466000
19.	लाला लाजपत राय मेमोरियल पॉली कॉलेज, अजितवाल	603	683199	850	963050	1076	1219108	1016	1151128	3545	4016485
20.	लयलपुर खालसा बालक महाविद्यलय, जालंधर	463	1944600	982	4124400	1378	5787600	1417	5951400	4240	17808000
21.	मालवा आईटीसी बुरार पेट्रान, पटियाला	181	262450	243	317850	0	0	100	30000	524	610300
22.	मेहर चंद पॉलिटेक्निक कॉलेज, जालंधर	771	886650	750	862500	0	0	0	0	1521	1749150
23.	एमएलएम पॉलीटेक कॉलेज, मोगा	324	178200	442	243100	546	300300	673	370150	1985	1091750
24.	एमएलएम नर्सिंग विद्यालय, वीपीओ कली चाहल, मोगा	0	0	0	0	73	87600	79	94800	152	182400
25.	मदर मैरी नर्सिंग संस्थान, होशियारपुर	47	56850	97	121850	107	879600	108	1226400	359	2284700

क्र. सं.	संस्थान का नाम	वर्ष 2013-14		वर्ष 2014-15		वर्ष 2015-16		वर्ष 2016-17		कुल	
		आवेदित छात्रों की सं.	संग्रहित राशि (₹ में)	आवेदित छात्रों की सं.	संग्रहित राशि (₹ में)	आवेदित छात्रों की सं.	संग्रहित राशि (₹ में)	आवेदित छात्रों की सं.	संग्रहित राशि (₹ में)	आवेदित छात्रों की सं.	संग्रहित राशि (₹ में)
26.	परताबपुर, आईटीसी, परतापुरा, जालंधर	0	0	17	187000	0	0	0	0	17	187000
27.	पटियाला पॉलिटेक्निक कॉलेज, रखरा	199	235500	387	454500	506	582150	445	514500	1537	1786650
28.	सत्यम पॉलीटेक्निक कॉलेज, जालंधर	289	158950	423	232650	607	333850	552	303600	1871	1029050
29.	राज्य नर्सिंग एवं पैरा चिकित्सा विज्ञान संस्थान, मुक्तसर	193	378500	249	764200	239	990500	205	812000	886	2945200
	कुल	**7339**	**12833400**	**10972**	**31660415**	**10926**	**33617796**	**9976**	**23265241**	**39213**	**101376852**

अनुबंध -9

(पैरा 5.6 के संदर्भ में)

पंजाब में छात्रवृत्ति दावों की कम प्रतिपूर्ति का विवरण

क्र.सं.	संस्थान का नाम	छात्रों की सं.	शुल्क खाते पर संग्रहित राशि (₹ में)	प्रतिपूर्ति की गयी राशि (₹ में)
1.	जीजीएसएसएस, भटिंडा	1114	1294270	0
2.	डाइट, अज्जोवाल	173	1585450	0
3.	जीएसएसएस, रेलवे मंडी, होशियारपुर	1581	1387060	0
4.	जीएसएसएस, गढ़शंकर	830	1240924	0
5.	जीएसएसएस नेहरू गार्डन, (जी), जालंधर	2197	2288010	0
6.	जीएसएसएस फिल्लौर (जी)	1116	1227172	0
7.	जीजीएसएसएस, बाघा पुराना	1166	1302270	57717
8.	जीएसएसएस मोगा (जी)	1141	1288457	0
9.	जीएसएसएस (जी), डब्ल्यू सं.6 गिद्दरबाहा	968	959496	165268
10.	जीएसएसएस (जी), डब्ल्यू सं. 5, मुक्तसर	850	812648	0
11.	जीएसएसएस नभा (बी)	694	1365574	0
	कुल	**11830**	**14751331**	**222985**

अनुबंध -10

(पैरा 6.4 के संदर्भ में)

पंजाब में 'दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना' के अंतर्गत एससी छात्र के संबंध में कल्याण विभाग द्वारा दावा किए गए एवं प्रतिपूर्ति किए गए शुल्क का विवरण

क्र.सं.	जिला का नाम	क्र.सं.	संस्थान का नाम	दावा राशि (₹ में)	प्रतिपूर्ति की गई राशि (₹ में)	शेष (₹ में)
1.	**भटिंडा**	1.	बागला मुखी/शिक्षा कॉलेज	10292000	1440500	8851500
		2.	भाई मान सिंह पॉलीटेक्निक कॉलेज	45851469	28799005	17052464
		3.	बी एम शिक्षा कॉलेज, भटिंडा	9786100	5093630	4692470
		4.	जीजीएसएसएस, भटिंडा	2154102	858497	1295605
		5.	गुरू हरगोबिंद पॉलिटेक्निक कॉलेज गिल कलान	118638522	103174666	15463856
		6.	गुरु काशी विश्वविद्यालय भटिंडा	250083933	65726754	184357179
		7.	हाई-टेक पॉलिटेक्निक कॉलेज, भटिंडा	35680088	24764758	10915330
		8.	पंजाब पब्लिक नर्सिंग कॉलेज, भटिंडा	13347500	5636450	7711050
		9.	सरस्वती प्राईवेट आईटीआई, मालआउट रोड, भटिंडा	5597518	1417673	4179845
		10.	टीपीडी मालवा कॉलेज	27751226	10585505	17165721
2.	**होशियारपुर**	11.	बीसीएमएस, प्रौद्योगिकी संस्थान, होशियारपुर (एआईसीटीई)	62107211	41206433	20900778
		12.	डायट, अज्जोवाल	1181890	315848	866042
		13.	राजकीय कॉलेज, होशियारपुर	54733744	16791570	37942174
		14.	जीएसएसएस, गढ़शंकर	1608361	357982	1250379
		15.	जीएसएसएस, रेलवे मंडी, होशियारपुर	1811700	640008	1171692
		16.	गुरु नानक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वालेवाल	80564726	62293820	18270906

क्र.सं.	जिला का नाम	क्र.सं.	संस्थान का नाम	दावा राशि (₹ में)	प्रतिपूर्ति की गई राशि (₹ में)	शेष (₹ में)
		17.	माता विद्यावती आईटीसी, मुकेरियन	7002030	1259070	5742960
		18.	मदर मैरी नर्सिंग संस्थान, होशियारपुर	14223195	7308482	6914713
		19.	रायत बहरा इंजिनियरिंग नैनो टेक संस्थान (एआईसीटीई), होशियारपुर	145603350	74870086	70733264
		20.	एसजीजीएस खालसा कॉलेज महिलपुर	35392906	13154790	22238116
3.	**जालंधर**	21.	डीएवी कॉलेज, जालंधर	101310820	46725850	54584970
		22.	डायट, जालंधर	1928225	932916	995309
		23.	डीआईपीएस आईएमटी जालंधर	71481050	3835048	67646002
		24.	जीएसएसएस नेहरू गार्डन, (जी), जालंधर	3274354	984344	2290010
		25.	जीएसएसएस फिल्लौर (जी)	1751922	524748	1227174
		26.	गुरु नानक नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान, जालंधर	12072569	7210400	4862169
		27.	लयल्लपुर खालसा बालक कॉलेज, जालंधर	139175632	52707360	86468272
		28.	मेहर चंद पॉलिटेक्निक कॉलेज, जालंधर	99737783	69326375	30411408
		29.	परताबपुर, आईटीसी, परताबपुरा, जालंधर	1674585	468235	1206350
		30.	सत्यम पॉलीटेक्निक कॉलेज, जालंधर	61870278	38330686	23539592
4.	**मोगा**	31.	एपीएस, आईटीसी, मोगा	5703400	1476987	4226413
		32.	बीआईएस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, गगरा, मोगा	44252150	22920100	21332050
		33.	जीजीएसएसएस, बाघा पुराना	1705887	373955	1331932
		34.	जीएसएसएस मोगा (जी)	1723123	421086	1302037

क्र.सं.	जिला का नाम	क्र.सं.	संस्थान का नाम	दावा राशि (₹ में)	प्रतिपूर्ति की गई राशि (₹ में)	शेष (₹ में)
		35.	एल.एल.आर. राजकीय कॉलेज, मोगा	8579321	1817020	6762301
		36.	लाला लाजपत राय मेमोरियल पॉली कॉलेज, अजितवाल	118969473	95464391	23505082
		37.	एलएलआरएम आईटीआई अजितवाल मोगा	5875410	128535	5746875
		38.	एमएलएम पॉलीटेक कॉलेज, मोगा	64292026	34923472	29368554
		39.	एमएलएम नर्सिंग कॉलेज, वीपीओ किली चहल, मोगा	19279125	6265742	13013383
		40.	सुखदेव कृष्ण शिक्षा कॉलेज (जी) मोगा	22915485	5232975	17682510
5.	**पटियाला**	41.	आदर्श नर्सिंग कॉलेज, पटियाला	9143650	3370749	5772901
		42.	आदर्श पॉलिटेक्निक कॉलेज धनथल, पटियाला	44890535	22126767	22763768
		43.	एशियन कॉलेज, पटियाला	28940246	10503746	18436500
		44.	जीएसएसएस नभा (बी)	2250834	885260	1365574
		45.	मालवा आईटीसी बुरार पोट्रान, पटियाला	8504241	3957361	4546880
		46.	नैन्सी शिक्षा कॉलेज, पाटियाला	12956150	5701083	7255067
		47.	नैन्सी पॉलिटेक्निक कॉलेज, पाटियाला	52685400	30145914	22539486
		48.	पटियाला पॉलीटेक्निक कॉलेज, रखरा	73887676	43097922	30789754
		49.	पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला	194589716	80103034	114486682
6.	**श्री मुक्तसार साहिब**	50.	आदेश पॉलिटेक्निक कॉलेज, मुक्तसर	52261382	30617984	21643398
		51.	बाबा दीप सिंह पॉलिटेक्निक कॉलेज, मुक्तसर	57880841	40414079	17466762
		52.	सीजीएम कॉलेज	7548078	2549126	4998952

क्र.सं.	जिला का नाम	क्र.सं.	संस्थान का नाम	दावा राशि (₹ में)	प्रतिपूर्ति की गई राशि (₹ में)	शेष (₹ में)
		53.	जीएसएसएस (जी) वार्ड सं. 5, मुक्तासार	1967016	1180903	786113
		54.	जीएसएसएस (जी) वार्ड सं. 6 गीडरबाहा	1274880	480652	794228
		55.	जीटीबी पॉलिटेक्निक कॉलेज	50162042	28983357	21178685
		56.	गुरू नानक बालिका कॉलेज	20849452	7393441	13456011
		57.	लिटिल ऐंजिल शिक्षा कॉलेज, मुक्तसर	8590050	2349225	6240825
		58.	राज्य नर्सिंग एवं पारा-चिकित्सा विज्ञान संस्थान, मुक्तसर	12291700	6049699	6242001
		59.	टेक्नो औद्योगिक प्रशिक्षण, मुक्तासार	5310278	1678840	3631438
कुल				**2356968356**	**1177354894**	**1179613462**

अनुबंध - 11

(पैरा 6.5 के संदर्भ में)

पंजाब में अध्ययन यात्रा राशि के अधिक भुगतान का विवरण

वर्ष	संस्थानों का प्रकार	संस्थानों की सं.	छात्रों की सं.	अध्ययन यात्रा के रूप में भुगतान की गयी राशि	अधिकतम स्वीकार्य	अध्ययन यात्रा राशि का अधिक भुगतान
				(₹ लाख में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) x 1600	(7) = (5) – (6)
2013-14	तकनीकी शिक्षा संस्थान	402	40019	2955.57	640.30	2315.27
	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानें	203	3353	119.41	53.65	65.76
2014-15	तकनीकी शिक्षा संस्थान	14	301	13.94	4.81	9.13
2015-16	शैक्षणिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान	7	331	12.07	5.30	6.77
	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	7	131	4.06	2.10	1.96
	तकनीकी शिक्षा संस्थान	16	434	18.57	6.94	11.63
	सार्वजनिक निर्देशों निदेशालय के अंतर्गत संस्थान	47	2001	75.26	32.02	43.24
	चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान	73	2852	100.79	45.63	55.16
कुल		**769**	**49422**	**3299.67**	**790.75**	**2508.92**

अनुबंध - 12

(पैरा 6.5 के संदर्भ में)

पंजाब में उन छात्रों का विवरण जिन्होनें 2013-14 के दौरान अस्वीकार्य पुस्तक भत्ता का दावा किया

क्र.सं.	संस्था का नाम	छात्रों की संख्या	दावित/भुगतान किया गया पुस्तक भत्ते की राशि (₹ में)
1.	आदर्श नर्सिंग कॉलेज	5	6000
2.	आदर्श चिकित्सा विज्ञान संस्थान	11	13200
3.	आदेश फिजियोथेरेपी कॉलेज	2	2400
4.	आदेश दंत विज्ञान अनुसंधान संस्थान	4	4800
5.	आदेश चिकित्सा विज्ञान संस्थान (नर्सिंग कॉलेज)	5	6000
6.	अग्रवाल नर्सिंग कॉलेज	154	184800
7.	अजीत नर्सिंग संस्थान सुनाम	14	16800
8.	ऑल सेंट इस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिसर्च वीपीओ जसपाल बांगर	9	10800
9.	अनिल बागी नर्सिंग कॉलेज	6	7200
10.	एपीएस नर्सिंग कॉलेज	6	7200
11.	एपीएस नर्सिंग कॉलेज (एनएसजी स्कूल) माल्सियन	23	27600
12.	आर्मी नर्सिंग कॉलेज	2	2400
13.	आर्यन नर्सिंग संस्थान	3	3600
14.	अशोक नर्सिंग संस्थान	3	3600
15.	बाबा बांदा बहादुर नर्सिंग कॉलेज	12	14400
16.	बाबा जसवंत सिंह दंत कॉलेज	11	13200
17.	बाबा महान दास मेमोरियल नर्सिंग संस्थान	40	48000
18.	बाबा मंगल सिंह नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान	16	19200
19.	बाबा मेहर सिंह मेमोरियल नर्सिंग कॉलेज	3	3600
20.	बाबा मोनी जी महाराज नर्सिंग कॉलेज	15	18000
21.	बाबा शेख फरीद चिकित्सा संस्थान	6	7200
22.	बटाला चिकित्सा विज्ञान संस्थान	5	6000
23.	बेबे के नर्सिंग संस्थान	7	8400
24.	भाई घनईया एकता नर्सिंग संस्थान	12	14400
25.	भाई माती दास नर्सिंग स्कूल	19	22800
26.	भारत नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान	24	28800
27.	चरनजीत सिंह मेमोरियल नर्सिंग शिक्षा संस्थान	16	19200
28.	चीफ खालसा दीवान एनएसजी अंतराष्ट्रीय कॉलेज	10	12000
29.	चिंतापुरणी चिकित्सा अस्पताल कॉलेज बुंगल	8	9600
30.	नर्सिंग कॉलेज सीएमसी अस्पताल, लुधियाना	3	3600
31.	नर्सिंग कॉलेज आदेश मेडिकल संस्थान।	3	3600
32.	नर्सिंग कॉलेज डीएमसी सिविल लाइंस लुधियाना	27	32400
33.	नर्सिंग कॉलेज पब्लिक खालसा महिला कॉलेज	27	32400
34.	कर्नल नर्सिंग स्कूल चूरल कलान	7	8400

35.	दशमेश नर्सिंग कॉलेज तलवंडी रोड	12	14400
36.	दशमेश दंत विज्ञान अनुसंधान संस्थान	4	4800
37.	दशमेश नर्सिंग संस्थान मालाउट	23	27600
38.	डीएवी भौतिक चिकित्सा पुनर्वास संस्थान	12	14400
39.	देवेंद्र मेमोरियल नर्सिंग कॉलेज पट्टी	4	4800
40.	दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज	14	16800
41.	दयानंद चिकित्सा कॉलेज एवं अस्पताल	9	10800
42.	दीप नर्सिंग एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान	11	13200
43.	दीप फार्मेसी आयुर्वेदिक संस्थान	2	2400
44.	देश भगत आयुर्वेदिक कॉलेज वीपीओ सौन्टी	25	30000
45.	देश भगत दंत कॉलेज श्री मुक्तसर साहिब	9	10800
46.	देश भगत नर्सिंग संस्थान	32	38400
47.	दिलबाग मेमोरियल नर्सिंग स्कूल सोहियन कलान	15	18000
48.	डॉ. बलबीर सिंह राष्ट्रीय नर्सिंग संस्थान भगतभाई	26	31200
49.	जी.एच.जी. आयुर्वेदिक फार्मेसी कॉलेज	1	1200
50.	जेनिसिस दंत विज्ञान अनुसंधान संस्थान	10	12000
51.	ज्ञान सागर नर्सिंग कॉलेज	6	7200
52.	ज्ञान सागर दंत कॉलेज अस्पताल	8	9600
53.	ज्ञान सागर चिकित्सा कॉलेज अस्पताल	6	7200
54.	जीएनएम प्रशिक्षण विद्यालय सिविल चिकित्सा मंसा रोड	30	36000
55.	सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज पटियाला	22	26400
56.	सरकारी दंत कॉलेज अमृतसर	5	6000
57.	सरकारी दंत कॉलेज पटियाला	8	9600
58.	सरकारी जीएनएम प्रशिक्षण विद्यालय सिविल अस्पताल रोपड़	31	37200
59.	सरकारी चिकित्सा कॉलेज अमृतसर	21	25200
60.	सरकारी जीएनएम नर्सिंग विद्यालय सिविल अस्पताल गुरदासपुर	28	33600
61.	गुरुसेवा नर्सिंग कॉलेज वीपीओ पानम	72	86400
62.	गुरु अमरदास नर्सिंग विद्यालय	6	7200
63.	गुरु अंगद देव नर्सिंग विद्यालय	28	33600
64.	गुरु गोविंद सिंह नर्सिंग कॉलेज	6	7200
65.	गुरु गोविंद सिंह नर्सिंग कॉलेज बरनाला	15	18000
66.	गुरु गोविंद सिंह चिकित्सा कॉलेज फरीदकोट	11	13200
67.	गुरु गोविंद सिंह नर्सिंग संस्थान पतरन	36	43200
68.	गुरु नानक आयुर्वेदिक चिकित्सा कॉलेज	14	16800
69.	गुरु नानक नर्सिंग कॉलेज धाहान कलेरन	52	62400
70.	गुरु नानक नर्सिंग कॉलेज गोपालपुर	18	21600
71.	गुरु नानक देव नर्सिंग विद्यालय	7	8400
72.	गुरु नानक नर्सिंग संस्थान	25	30000
73.	गुरु नानक नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान अस्पताल	51	61200
74.	गुरु राम दास आयुर्वेदिक कॉलेज फतेहगढ़ कुरिअन	3	3600
75.	गुरु तेग बहादुर नर्सिंग कॉलेज	10	12000
76.	एच.के.एल. नर्सिंग कॉलेज	119	142800
77.	हिमालय आधुनिक नर्सिंग विद्यालय	7	8400

78.	होली नर्सिंग विद्यालय सिंघेवाला	6	7200
79.	होमियोपैथिक चिकित्सा कॉलेज अबोहर	1	1200
80.	भारतीय नर्सिंग चिकित्सा संस्थान	9	10800
81.	नर्सिंग शिक्षा संस्थान जीटीबीएस(सी) अस्पताल	36	43200
82.	अंतरराष्ट्रीय नर्सिंग कॉलेज	22	26400
83.	अंतरराष्ट्रीय डिवाइन नर्सिंग विद्यालय	2	2400
84.	जय अम्बे नर्सिंग विद्यालय	4	4800
85.	जीवन जोत नर्सिंग संस्थान	42	50400
86.	जश नर्सिंग चिकित्सा विज्ञान संस्थान	1	1200
87.	कल्यान होमियोपैथिक चिकित्सा कॉलेज अस्पताल	1	1200
88.	केसीएम आयुर्वेदिक कॉलेज	14	16800
89.	खालसा नर्सिंग कॉलेज	14	16800
90.	किरन मेमोरियल कुलार नर्सिंग विद्यालय	1	1200
91.	कुलार नर्सिंग कॉलेज	2	2400
92.	लाजवती जैन मेमोरियल नर्सिंग संस्थान	48	57600
93.	लाला लाजपत राय नर्सिंग शिक्षा संस्थान	21	25200
94.	लाला लाजपत राय नर्सिंग संस्थान मोगा	16	19200
95.	लाईफ गार्ड आयु. फार्मेसी संस्थान	13	15600
96.	लुधियाना एनएसजी कुब्बे संस्थान नीलोन पुल के पास	31	37200
97.	लक्ष्मी बाई दंत विज्ञान अस्पताल	7	8400
98.	मां सरस्वती नर्सिंग विद्यालय अबोहर	34	40800
99.	महा शिव शक्ति नर्सिंग विद्यालय पट्टी	1	1200
100.	महंत गुरबंता दास मेमोरियल आयुर्वेदिक संस्थान	4	4800
101.	महंत गुरबंता दास मेमोरियल नर्सिंग विद्यालय	17	20400
102.	महाराजा अग्रसेन नर्सिंग विद्यालय	1	1200
103.	महर्षी परशुराम नर्सिंग विद्यालय	18	21600
104.	माई भागो नर्सिंग कॉलेज तरन-तारन	15	18000
105.	मालवा फार्मेसी कॉलेज (एवाई. डी-फार्मेसी)	21	25200
106.	माता गुजरी नर्सिंग संस्थान अदिमपुर	16	19200
107.	माता इसहार कौर नर्सिंग तमकोट	17	20400
108.	माता कौशल्या देवी चिकित्सा विज्ञान संस्थान	28	33600
109.	माता साहिब कौर नर्सिंग संस्थान गिद्दरबाहा	13	15600
110.	मीरा चिकित्सा नर्सिंग संस्थान एवं अस्पताल	39	46800
111.	मोहाली नर्सिंग कॉलेज	26	31200
112.	मोहन दाई ओसवाल नर्सिंग कॉलेज	8	9600
113.	मदर मैरी नर्सिंग संस्थान	47	56400
114.	नाइटेंगल नर्सिंग कॉलेज	34	40800
115.	एनआरआई नर्सिंग कॉलेज	16	19200
116.	माता कौशल्या नर्सिंग विद्यालय एवं अस्पताल पटियाला	41	49200
117.	पंजाब फार्मेसी कॉलेज (एवाई) ग्राम कोट शामीर	28	33600
118.	पंजाब चिकित्सा विज्ञान संस्थान (पीआईएमएस)	6	7200
119.	पंजाब नर्सिंग चिकित्सा संस्थान अस्पताल	15	18000
120.	पंजाब राष्ट्रीय नर्सिंग विद्यालय गुलाबगढ़	12	14400
121.	पंजाब पब्लिक नर्सिंग विद्यालय	81	97200

122.	रामगड़िया स्वास्थ्य विज्ञान अनुसंधान संस्थान	31	37200
123.	रतन व्यवसायिक शिक्षा महाविध्यालय शोहना	7	8400
124.	रायत बहरा नर्सिंग कॉलेज वीपीओ बोहन	16	19200
125.	रायत-बहरा नर्सिंग कॉलेज	4	4800
126.	रायत-बहरा दंत-चिकित्सा कॉलेज अस्पताल	15	18000
127.	रॉयल नर्सिंग संस्थान	17	20400
128.	सचखंड नर्सिंग विद्यालय	27	32400
129.	साई नर्सिंग कॉलेज	43	51600
130.	संत सहारा नर्सिंग संस्थान	7	8400
131.	सैल्यूटरी नर्सिंग संस्थान	5	6000
132.	संधू नर्सिंग संस्थान	23	27600
133.	संगरूर आयुर्वेदिक कॉलेज	14	16800
134.	संजीवनी फार्मेसी-आयुर्वेदिक संस्थान	34	40800
135.	संजीवनी नर्सिंग विद्यालय	13	15600
136.	संत बाबा भाग सिंह नर्सिंग संस्थान	8	9600
137.	संत प्राग राज आयुर्वेदिक चिकित्सा कॉलेज	13	15600
138.	सरस्वती आयुर्वेदिक अस्पताल एवं चिकित्सा कॉलेज	5	6000
139.	सरस्वती नर्सिंग संस्थान	7	8400
140.	सरस्वती प्रोफ. एवं उच्च शिक्षा नर्सिंग कॉलेज	5	6000
141.	सरदार पटेल नर्सिंग चिकित्सा संस्थान	17	20400
142.	नर्सिंग विद्यालय (एसबीएलएस)	46	55200
143.	एसजीएल नर्सिंग संस्थान	30	36000
144.	शहीद करतार सिंह साराभा आयुर्वेदिक कॉलेज	5	6000
145.	शहीद करतार सिंह साराभा नर्सिंग कॉलेज	8	9600
146.	शहीद करतार सिंह साराभा दंत-चिकित्सा कॉलेज	11	13200
147.	श्री बालाजी आयुर्विज्ञान संस्थान	4	4800
148.	श्री लक्ष्मी नारायण आयुर्वेदिक कॉलेज अमृतसर	4	4800
149.	श्री गुरु राम दास नर्सिंग कॉलेज	5	6000
150.	श्री गुरु राम दास नर्सिंग संस्थान पंढ़ेर	12	14400
151.	श्री गुरु राम दास दंत-चिकित्सा विज्ञान संस्थान	5	6000
152.	श्री गुरु राम दास चिकित्सा विज्ञान संस्थान	7	8400
153.	श्री सुखमनी नर्सिंग संस्थान	1	1200
154.	एसएसडी डी-फार्मेसी कॉलेज (उपवेद)	21	25200
155.	एसएसडी नर्सिंग संस्थान	4	4800
156.	एसएसएस फार्मेसी आयुर्वेद कॉलेज (उपवेद)	34	40800
157.	एसएसएस नर्सिंग संस्थान	19	22800
158.	एसटी नर्सिंग कॉलेज वीपीओ मेहलनवाली	41	49200
159.	एसटी. सोलजर नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान - खांबड़ा	24	28800
160.	राज्य नर्सिंग तथा पारा चिकि. वि. संस्थान	56	67200
161.	सुखजींदर आयुर्वेदिक फार्मेसी (उपवेद) कॉलेज	4	4800
162.	सुखजींदर नोवेल नर्सिंग संस्थान	1	1200

163.	स्वामी प्रेमानंद नर्सिंग कॉलेज	24	28800
164.	स्वामी विवेकानंद नर्सिंग कॉलेज	14	16800
165.	स्विफ्ट नर्सिंग संस्थान	3	3600
166.	सिनर्जी अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग संस्थान	32	38400
167.	दसाल्वेशन आर्मी मैकरॉबर्ट एच. नर्सिंग कॉलेज	2	2400
168.	यूनाइटेड क्रिश्चियन नर्सिंग कॉलेज	3	3600
169.	यूनिवर्सिटी नर्सिंग महाविद्यादलय	45	54000
170.	यूनिवर्सिटी फिजियोथेरेपी कॉलेज	5	6000
171.	यूनिवर्सिटी फार्मेसी संस्थान	6	7200
172.	विक्टर नर्सिंग संस्थान	23	27600
173.	वीएमएस नर्सिंग एवं पारा चिकित्सा विज्ञान संस्थान	91	109200
174.	ज़ेरा नर्सिंग विद्यालय	42	50400
	कुल योग	**3144**	**3772800**
175.	आदर्श नर्सिंग कॉलेज	1	1200
176.	आदेश चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान	21	25200
177.	अजीत नर्सिंग संस्थान सुनाम	14	16800
178.	बाबा अमर सिंह कीर्ति आयुर्वेदिक चिकित्सा कॉलेज	15	18000
179.	बाबा जसवंत सिंह दंत-चिकित्सा कॉलेज	1	1200
180.	बाबा मंगल सिंह नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान	30	36000
181.	बाबे के आयुर्वेदिक चिकित्सा कॉलेज अस्पताल	10	12000
182.	बेबे के नर्सिंग संस्थान	3	3600
183.	भाई घनईया एकता नर्सिंग विद्यालय	26	31200
184.	भाई गुरदास नर्सिंग संस्थान	13	15600
185.	मुख्य खलसा दीवान अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग कॉलेज	6	7200
186.	कर्नल नर्सिंग विद्यालय चुराल कलान	8	9600
187.	देश भगत आयुर्वेदिक कॉलेज वीपीओ सौन्टी	1	1200
188.	देश भगत नर्सिंग संस्थान	3	3600
189.	दिलबाग मेमोरियल नर्सिंग विद्यालय सोहियन कलान	4	4800
190.	डॉ. श्याम लाल थापर नर्सिंग विद्यालय	37	44400
191.	डॉ. श्याम लाल थापर नर्सिंग कॉलेज मोगा	8	9600
192.	ईस्टइंड नर्सिंग विद्यालय	4	4800
193.	जी.एच.जी. आयुर्वेदिक फार्मेसी कॉलेज	9	10800
194.	जी.एच.जी. नर्सिंग विद्यालय	17	20400
195.	ज्ञान सागर दंत-चिकित्सा कॉलेज अस्पताल	1	1200
196.	ग्लोबल डी-फार्मेसी संस्थान	67	80400
197.	ग्लोबल नर्सिंग संस्थान	15	18000
198.	राजकीय चिकित्सा कॉलेज, पटियाला	26	31200
199.	राजकीय चिकित्सा कॉलेज, चंडीगढ़	1	1200
200.	राजकीय नर्सिंग प्रशिक्षण विद्यालय सिविल अस्पताल	57	68400
201.	राजकीय नर्सिंग विद्यालय सिविल हॉस्पीटल गुरदासपुर	4	4800
202.	गुरूसेवा नर्सिंग कॉलेज वीपीओ पानम	3	3600

203.	गुरु अमर दास नर्सिंग विद्यालय	3	3600
204.	गुरु नानक देव दंत-चिकित्सा कॉलेज अनुसंधान संस्थान	4	4800
205.	गुरु नानक देव नर्सिंग शिक्षा संस्थान	9	10800
206.	अंतर्राष्ट्रीय डिवाइन नर्सिंग विद्यालय	2	2400
207.	केसीएम आयुर्वेदिक कॉलेज	1	1200
208.	कुलर नर्सिंग कॉलेज	2	2400
209.	लाला लाजपत राय नर्सिंग संस्थान मोगा	29	34800
210.	लाइफ गार्ड आयु. फार्मेसी संस्थान	11	13200
211.	लाइफ गार्ड नर्सिंग संस्थान	50	60000
212.	लॉर्ड शिव नर्सिंग कॉलेज हमीरगढ़	30	36000
213.	महात्मा हंस राज डीएवी नर्सिंग संस्थान	14	16800
214.	मालवा नर्सिंग कॉलेज	22	26400
215.	माता गुजरी नर्सिंग विद्यालय	17	20400
216.	मीरा नर्सिंग एवं अस्पताल चिकित्सा संस्थान	1	1200
217.	मीरा नर्सिंग विद्यालय	5	6000
218.	एमएलएम नर्सिंग विद्यालय वीपीओ किल्ली चहल	84	100800
219.	राष्ट्रीय नर्सिंग संस्थान	64	76800
220.	पंजाब बहुउद्देशीय फार्मेसी (आयु) संस्थान सेहना	18	21600
221.	पंजाब बहुउद्देशीय नर्सिंग संस्थान	26	31200
222.	रतन व्यावसायिक शिक्षा कॉलेज सोहना	1	1200
223.	रेहबर आयुर्विज्ञान संस्थान	58	69600
224.	एस.एम.एल. नर्सिंग विद्यालय भानोर्ड	14	16800
225.	संधू नर्सिंग संस्थान	1	1200
226.	संत प्राग राज आयुर्वेदिक चिकित्सा कॉलेज	14	16800
227.	सरस्वती नर्सिंग संस्थान	3	3600
228.	सरदार पटेल नर्सिंग चिकित्सा संस्थान	5	6000
229.	नर्सिंग विद्यालय डॉ. बी.एल. कपूर मेमोरियल	23	27600
230.	एसडी फार्मेसी (उप-वेद) कॉलेज	10	12000
231.	एसएफसी नर्सिंग संस्थान	17	20400
232.	शहीद भगत सिंह आयुर्वेदिक कॉलेज	3	3600
233.	शिराज नर्सिंग विद्यालय	3	3600
234.	श्री सत्य साईं मुरलीधर आयुर्वेदिक कॉलेज	4	4800
235.	श्री सुखमनी दंत-चिकित्सा कॉलेज अस्पताल डेराबस्सी	6	7200
236.	श्री सुखमनी नर्सिंग संस्थान	1	1200
237.	संत कबीर नर्सिंग विद्यालय	5	6000
238.	राज्य नर्सिंग एवं पारा-चिकित्सा विज्ञान संस्थान	1	1200
239.	स्विफ्ट नर्सिंग संस्थान	1	1200
240.	वैद सुलाखाण सिंह डी. फार्मेसी कॉलेज	26	31200
241.	विद्या ज्योति नर्सिंग कॉलेज	10	12000
242.	विद्यासागर नर्सिंग कॉलेज भीखी	12	14400
243.	विद्यासागर नर्सिंग संस्थान अहलूपुर	5	6000

244.	ज़ीरा नर्सिंग विद्यालय	3	3600
	कुल	**1023**	**1227600**
	कुल योग 213 संस्थान	**4167**	**5000400**
	आदर्श नर्सिंग कॉलेज ग्राम चौन्थ जिला पटियाला		
	2014-15	55	122400
	2015-16	98	213800
	2016-17	101	118812
		4421	**5455412**

अनुबंध-13

[पैरा सं. 7.2 (एफ) के संदर्भ में]

राज्य पोर्टलों की लेखापरीक्षा में नोटिस किए गए विसंगतियों के विवरण

महाराष्ट्र में, सॉफ्टवेयर में जंक डाटा (यूआईडी नम्बर में 12 अंकों से कम या गैर संख्यात्मक डाटा), यूआईडी नम्बर और एसएससी सीट नम्बर कॉलम में दोहरे डाटा और अपात्र छात्रों से आवेदन स्वीकार किए गए, जैसा कि नीचे दिखाया गया है:	
ए)	इसमें 2875 अभिलेख थे जिनमें 100 आधार संख्या और 3075 अभिलेख थे जिनमें 644 एसएससी सीट नम्बर का उपयोग किया गया था। यूआईडी नम्बर और एसएससी सीट संख्या प्रणाली में छात्र की दोहरी प्रविष्टि को वैद्यता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। महाराष्ट्र में पीएमएस-एससी के कार्यान्वयन की स्थिति पर मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में इस तथ्य को भी उजागर किया कि राज्य सरकार द्वारा बनाई गई ई - छात्रवृत्ति पोर्टल के साथ अन्य छात्रवृत्ति योजना के साथ एकीकरण सहित शिक्षा सुधार समिति, राज्य राजस्व विभाग, एचएससी बोर्ड, आधार और बैंक विवरण आदि में महत्वपूर्ण सुधार किया जाना आवश्यक था।
बी)	13531 अभिलेख ऐसे हैं, जहॉ आय के साथ-साथ जाति प्रमाण पत्रों में शून्य दर्ज था। ।
सी)	1084 अभिलेखों में, जाति प्रमाण पत्र संख्या और आय प्रमाण पत्र संख्या दोनों में समान संख्या शामिल है। ये अभिलेख केवल उन मामलों से संबंधित थे जिनके समान जाति/आय प्रमाण पत्र संख्या के लिए 10 या अधिक ऐसे अभिलेख मिलते हैं।
डी)	शैक्षणिक वर्ष (आयुक्त, समाज कल्याण द्वारा निर्दिष्ट तिथि) शुरू होने से पहले 195 आवेदन प्राप्त हुए थे। शैक्षणिक वर्ष के पूरा होने के बाद भी 5924 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से एक वर्ष की शैक्षणिक सत्र पूर्ण होने के बाद एक वर्ष के वितरण के बाद 50 आवेदन प्राप्त हुए थे। इस प्रकार, सिस्टम किसी भी समय आवेदनों की अनुमति दे रहा था (शैक्षणिक वर्ष से पहले और बाद में) और उन आवेदनों को भी स्वीकृत भी पाया गया है।
ई)	1384 मामलों में जहॉ माता-पिता की आय निर्दिष्ट[1] से अधिक दिख रही थी अर्थात् 2 लाख प्रतिवर्ष
पंजाब में 2015-16 और 2016-17 के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला:	
ए)	2015-16 के लिए 17147 मामलों में आधार संख्या रिक्त थी और 83 मामलों में आधार संख्या की लम्बाई बारह अंकों (आवश्यक लम्बाई) की नहीं थी।
बी)	2015-16 और 2016-17 से संबंधित क्रमश: तीन और 108 मामलों में आधार संख्या अवैध दर्ज थी। इन संख्याओं को सिस्टम में (“000000000000”) के रूप में दर्ज किया गया था।
सी)	2015-16 और 2016-17 से संबंधित क्रमश: 37 और 20 मामलों में बैंक खाता संख्या अवैध दर्ज थे इन नम्बरों को या तो सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक या (“000000000000”) के रूप में लिया गया था।

[1] जैसाकि पैरा सं. 5.2.1 में चर्चा की गई है। महाराष्ट्र ने माता-पिता की बढ़ी हुई आय सीमा को लागू नहीं किया है।

डी)	जहॉ भी दोहरे अभिलेख पाए गए, विभाग परिणाम के साथ दोनों अभिलेखों को निरस्त कर रहा था कि छात्र के वैध दावे को अस्वीकार करने की संभावना है क्योंकि उनका डाटा दो बार दर्ज किया गया है। एक छात्र की अवैध बैंक खाता संख्या के मामले में, यह पता नहीं लगाया जा सकता है कि छात्रवृत्ति को छात्र को स्थानांतरित कर दिया गया है या नहीं, क्योंकि इन मामलों में छात्रवृत्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया विभाग द्वारा स्पष्ट नहीं की गई थी। विभाग ने बताया (अक्तूबर 2017) कि पोर्टल में सुधार किए जा रहे हैं अर्थात् वे वर्ष 2017-18 से विद्यार्थी के पिता/मां/अभिभावक के आधार पर दर्ज करना शुरू कर चुके हैं।
तमिलनाडु में छात्रवृत्ति वितरित किए गए मामलों[2] से संबंधित 2013-15 और 2015-17 वर्ष के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला:	
ए)	लाइन विभागों द्वारा स्वीकृति की तारीख के बारे में कॉलम 15,77,591 मामलों में से 6,43,279 मामलों में रिक्त छोड़ दिया गया, अर्थात् 2013-17 में 41 प्रतिशत। चूंकि ये विभाग विद्यार्थियों की वास्तविकता की पुष्टि करने के लिए अंतिम प्राधिकरण हैं, डाटाबेस में सत्यापन नियंत्रण की कमी के कारण विद्यार्थियों को उनकी वास्तविकता की पुष्टि किए बिना छात्रवृत्ति का वितरण किया जा रहा है।
बी)	3,59,780 मामलों में जन्म तिथि नहीं ली गई है।
सी)	2,165 मामलों में छात्रों की उम्र 55 वर्ष[3] से उपर थी।
डी)	7,407 ममालों में आंकड़ों के शैक्षणिक वर्ष 2013 से संबंधित होने के बावजूद प्रवेश की तारीख 1 जनवरी 2010 से पहले थी।
ई)	4,860 विद्यार्थियों की उम्र उनके प्रवेश के समय 14 वर्ष से कम थी
एफ)	अन्य 1,174 मामलों में दाखिला की तारीख को उनकी जन्म तिथि से पहले दिखाया गया था।
जी)	10,18,388 मामलों में शिक्षा संस्थान में प्रवेश की तारीख नहीं दी गई थी, जो रखरखाव भत्ता की गणना के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है।
एच)	6,17,780 मामलों में, यह पाया गया[4] कि जिला एडीडब्ल्यू द्वारा स्वीकृति से पहले ईसीएस जमा किया गया है
आई)	उपरोक्त मामलों के संबंध में सूचना को सही और आपूर्ति करने के लिए आवेदन सॉफ्टवेयर में नियंत्रण प्रदान करने के साथ-साथ विभाग द्वारा विसंगतियों के कारण और उठाए गए कदम प्रतीक्षित है।

[2] एम_छात्र_विवरण (2013-15 - 19,18,2015 अभिलेख; 2015-17 - 10,34,117 अभिलेख) और वितरित मामलों में टी_छात्र_छात्रवृत्ति_विवरण (2013-15 - 7,55,017 अभिलेख; 2015-17 - 8,22,574 अभिलेख)

[3] मानदंड डीओबी < '01 जनवरी 1963'

[4] वितरित किए छात्रवृत्ति जो कि कार्यप्रवाह प्रणाली में उपयोग किए जिला एडीडब्ल्यू के द्वारा अनुमोदित होने के बाद ईसीएस ने विद्यार्थियों के बैंक खाते में छात्रवृत्ति जमा कर दिया। जिला एडीडब्ल्यू द्वारा क्रमश: अनुमोदन की तिथि 'एसएएनसी-दिनांक' और ईसीएस-सीआरटी-डीटी तालिका के कॉलम के अंतर्गत लिखा गया था

संकेताक्षरों की सूची

एसीएल	अतिरिक्त प्रतिबद्ध देयता
एडी एवं टीडब्ल्यू	आदि द्रविदार तथा जनजातीय कल्याण
एजी (ए&ई)	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
सीए	केंद्रीय सहायता
सीएडी एवं टीडब्ल्यू	आयुक्तालय, आदि द्रविदार तथा जनजातीय कल्याण
सीएडीडब्ल्यू	आयुक्त आदि द्रविदार कल्याण
सीसीईए	आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति
सीएल	प्रतिबद्ध देयता
सीपीएल	वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस
डीएडी&टीडब्ल्यू	निदेशालय, आदि द्रविदार तथा जनजातीय कल्याण
डीएसड्ब्लूसीबीसी	निदेशक, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण
डीएसडब्ल्यूओ	जिला समाज कल्याण अधिकारी
एफएफसी	शुल्क निर्धारण समिति
आईईसी	सूचना, शिक्षा और संचार
एमओएफ	वित्त मंत्रालय
एमओएसजेई	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
पीएफएमएस	सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली
पीएमएस	दशमोत्तर योजना
एसजेएसएडी	सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग (**महाराष्ट्र**)
एससी	अनुसूचित जाति
एसएमआईएस	छात्रवृत्ति प्रबंधन सूचना प्रणाली
टीपी	तालुक पंचायत
टीएसडब्ल्यूओ	तालुका समाज कल्याण अधिकारी
जेडपी	जिला पंचायत

***

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in